

वा० अबा भास्त्र  
बिल्ली

(भास्त्र अबा)



9929

कम मल्या

काल न०

खण्ड

## विवरण-शील-प्रकाश

विवाह के वर्तमान लेख पर प्रकाश ।

त्रिलोक

पंडित जुगलकिशोर मुख्तार,  
सरसाला, जिला सहारनपुर।

प्रकाशक

ला० जौहरीमल जैन, सर्वाफ़,  
दरीबा कलाँ, देहली ।

四

गयादत्त प्रेस, चड़ा दरीबा, देहली ।

प्रधानाधीश } मात्रपद संवत् १५८२ विहार, } भूस्त्र  
 हन्दियार प्रति } अगस्त, १८८५. } लक्ष्मण

## प्रकाशक के दो शब्द ।

आज, आपनी पूर्वसूचना के अनुसार, 'शिक्षाप्रबंधाहरण' की समालोचना का विस्तृत उत्तर लेकर पाठकों के सामने उपस्थित हो रहा हूँ, यह मेरे लिखे ही आनन्द तथा हर्ष का विषय है। लेखक महोदय किशोर जी ने इस उत्तर-लेखके लिखने में कितना आशम किया है, कितना बुक्सियुक्त, प्रामाणिक तथा सांख्यिक उत्तर लिखा है और इसके द्वारा विवाहक्षेत्र पर कितना धिक्क प्रकाश डाला गया है, ये सब बातें प्रकृत पुस्तक को देखने से ही सम्भव रखती हैं। और इस लिये अपने पाठकों मेरा यह सानुसेध निवेदन है कि वे इस पुस्तकको खूब गौरके साथ सोधन्त पढ़नेकी ज़रूर करें। इसके पढ़नेसे उन्हें कितनी ही नई नई बातें मालूम पड़ेंगी और वे विवाह की वर्तमान समस्याओं को हल करने में बहुत कुछ समर्थ हो सकेंगे। इस्थी उन्हें यहभी मालूम पड़ जायगा कि १० मकानलालजी प्रबारक की लिखी हुई समालोचना कितनी अधिक नि सार, निर्मल, बेतुकी, बेढगी, मिथ्या, तथा समालोचकके कर्तव्योंसे गिरी हुई है। और उसके द्वारा कितना अधिक स्रम फैलाने तथा सत्य पर पर्दा डालने की जघन्य चेष्टा की गई है।

यहाँ पर मैं इतना और भी प्रकट करदेना उचित समझता हूँ कि समालोचक लेखक समालोचना की 'भूमिका' में प्रकाशक के उद्देश्य तथा आशय (मशा) के विषय में जो कुछ लिखा है वह सब भी मिथ्या तथा उन्होंके द्वारा परिकलिपत है।

अन्तमें, लेखक महोदयका हृदय से आभार मानता हुआ, मैं उन सभी सज्जनों का सहर्ष धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित करने में सहायता प्रदान की है।

जौहरीमल जैन ।



# विवाह-क्षेत्र-प्रकाश ।

अर्थात्,

‘शिक्षाप्रद शास्त्रीय उदाहरण’ की समालोचना के उत्तररूपमें, अनेक प्राचीन रीतियों के प्रदर्शनपूर्वक, विवाहके वर्तमान क्षेत्र पर प्रकाश ।

---

## प्राथमिक निवेदन ।

सन् १९१८ में, ‘शिक्षाप्रद शास्त्रीय उदाहरण’ नामसे मैंने एक स्लोज माला प्रारंभ की थी और उस समय सबसे पहिले एक छोटासा स्लोज सेठचारुदत्त के उदाहरण को सेकर लिखा गया था, जो अक्तूबर सन् १९१८ के ‘सत्योदय’ में प्रकाशित हुआ और जिसमें जाति विरादरी के स्तोगों को पतित भाइयों के प्रति अपने अपने व्यक्तिगत तथा बर्ताव में कुछ शिक्षा प्रहरण करने की प्रेरणा की गई थी । उसके बाद, बसुदेवजी के उदाहरण को सेकर, दूसरा स्लोज लिखा गया और उसमें विवाह-विषय पर कितना ही प्रकाश डाला गया । वह स्लोज सबसे पहले अप्रैल सन् १९१९ के ‘सत्योदय’ में, और बादको सितंबर सन् १९२० के ‘जैन हितैषी’ में भी प्रकाशित हुआ था । इन्हीं दोनों स्लोजों को आगे पीछे संप्रह करके, इसमें, लोगों और दीर्घामल जी जैन सराफ़, दरीबा कलाँ, देहसी ने ‘शिक्षाप्रद

साक्षीय उदाहरण' नामके पक्षपुस्तक प्रकाशित की और उसे जिना \* मूल्य वितरण किया है। इस पुस्तक पर जैन अनाश्रम देवताओं के प्रचारक पं० मण्डनलाल जी ने एक समालोचना ( ! ) लिखकर उसे पुस्तक की शुरूआत में प्रकाशित कराया है, और वे इसका जोरों के साथ प्रचार कर रहे हैं। प्रचारक जी को वह समालोचना कितनी निःसार, निर्मल, निर्वृतुक, बेतुकी और समालोचक के कर्तव्यों से गिरी हुई है, और उसके द्वारा कितना अधिक भ्रम कैलाने तथा सत्य पर पर्दा ढालने की जघन्य चेष्टा कीगई है, इन सब बातोंको अच्छी तरह से बतलाने और जनता को मिथ्या तथा अविचारितरम्य समालोचना से उत्थन्न होने वाले भ्रमसे सुरक्षित रखने के लिये ही यह उत्तर-खेद लिखा जाता है। इससे विवाह-विषय पर और भी ज्यादा प्रकाश पड़ेगा—वह बहुत कुछ स्पष्ट हो जायगा—और उसे इस उत्तर का आनुषंगिक फल समझना चाहिये।

सबसे पहिले, मैं अपने पाठकों से यह निवेदन करदेना चाहताहूंकि जिस समय प्रचारकजीकी उक्त समालोचना-पुस्तक मुझे पहले पहल देखने को मिली और उसमें समालोच्य पुस्तक की बाबत यह पढ़ा गया कि यह “अत्यन्त मिथ्या, शास्त्र विरुद्ध और महा पुरुषों को केवल भूठा कलंक लगाने वाली” तथा “अस्पृश्य” † है और उसमें “बिलकुल भूठ,” “मनगढ़त,” “सर्वथा

\* यह पुस्तक अब भी जिना मूल्य उक्त लाला जौहरीमल जी के पास से मिलती है।

† समालोचक जी खुद पुस्तक को छूते हैं दूसरों को पढ़ने के लिये देते हैं, कितनी ही बार श्रीमन्दिर जी में भी उसे ले गये परन्तु फिर भी अस्पृश्य बतलाते हैं ! किमाश्चर्यमतः परं !!

मिथ्या और शास्त्र विरुद्ध” कथाएँ लिख कर अथवा “सफेद भूठ” या “मारी भूठ” बोल कर “धोखा” दिया गया है, तो मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही। क्योंकि, मैं अब तक जो कुछ लिखता रहा हूँ वह यथाशक्ति और यथासाधन बहुत कुछ जाँच पड़ताल के बाद लिखता रहा हूँ। यद्यपि मेरा यह दावा नहीं है कि मुझसे भूल नहीं हो सकती, भूल ज़रूर हो सकती है और मेरा काई विचार अथवा नतीजा भी ग़लत हो सकता है परन्तु यह मुझसे नहीं हो सकता कि मैं जानवृक्षकार कोई ग़लत उल्लेख करुँ अथवा किसी बातके असली छपाको छिपाकर उसे नक़ली या बनाकरी शुकल में पाठकों के सामने उपस्थित करुँ। अपने लेखों की ऐसी प्रकृति और परिवर्तिका मुझे सदा ही गर्व रहता है। मैं सत्य बातको कभी छिपाना नहीं चाहता—अबसर मिलने पर उसे बड़ी निर्भयता के साथ प्रगट कर देता हूँ—और असत्य उल्लेखका सख़त विरोधी हूँ। ऐसी हालत में उक्त समालोचना को पढ़कर मेरा आश्चर्य चकित होना स्वाभाविक था। मुझे यह स्थायोल पैदा हुआ कि कहो अनजान में तेरे से कोई ग़लत उल्लेख तो नहीं होगया, यदि ऐसा हुआ हो तो फौरन अपनी भूलको स्वीकार करना चाहिये, और इस लिये मैंने बड़ी सावधानी से अपनी पुस्तक के साथ समालोचना की पुस्तक को ख़बही गौर से पढ़ा और उल्लेखित प्रथों आदि पर से उसकी यथेष्ट जाँच पड़ताल भी की। अन्तको मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि समालोच्य पुस्तक में एक भी ऐसी बात नहीं है जो ख़ास तौरपर आपसि के योग्य हो। जिनसेनाचार्य कृत हरिवंशपुराण के अनुसार, ‘देवकी’ अवश्य ही वसुदेव की ‘भतीजी’ भी परन्तु उसे ‘सगी भतीजी’ लिखना यह समालोचक जी की निजी कल्पना और उनकी अपनी कर्तृत है—लेकिनसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है;

‘आरा’ लंबर म्लेच्छकन्या थी और म्लेच्छों का वही आचार है जो आदिपुराण में वर्णित हुआ है; ‘प्रियंगुसुन्दरी’ एक व्यभिचारजात की ही पुत्री थी, और रोहिणी के वरमाला डालने के बहुत तक बसुदेव के कुल और उनकी जातिका वहाँ (स्वर्यवर में) किसी को कोई पता नहीं था। वे एक अपरिचित तथा बाजा बजाने वाले के रूप में ही उपस्थित थे। साथ ही, चारुदत्त सेठ का बसंतसेना वेश्या को अपनी रुपी बना लेना भी सत्य है। और इन सब बातों को आगे चलकर खूब उपष्ट किया जायगा।

## उद्देश्यका अपलाप, अन्यथाकथन और समालोचकके कर्तव्यका खून।

समालोचना में पुस्तक पर बड़ी बेरहमी के साथ कुन्दी छुरी ही नहीं चलाई गई, बल्कि सत्य का दुरी तरह से गला घोटा गया है, पुस्तक के उद्देश्य पर एक दम पानी फेर दिया है, उसे समालोचना में दिखलाया तक भी नहीं, उसका अपलाप करके अथवा उसको बदल कर अपने ही कल्पित रूपमें उसे पाठकों के सामने रखा गया है और इस तरह पर समालोचक के कर्तव्यों से गिरकर, बड़ी भूष्टता के साथ समालोचना का रंग जमाया गया है। अथवा यों कहिये कि भोले भाइयों को फँसाने और उन्हें पथझट करने के लिये खासा जाल बिछाया गया है। यह सब देखकर, समालोचक जी की बुद्धि और परिणामि पर बड़ी ही दया आती है। आपने पुस्तक लेखक के परिणामों का फाँट लीचने के लिये समालोचनाके पृष्ठ ३६, ४० पर, “जो छढ़ियोंके इतने भक्त हैं”

इत्यादि रूपसे कुछ वाक्यों को भी उद्धृत किया है परन्तु वे वाक्य आगे पीछे के सम्बन्ध को छाड़ कर ऐसे खण्ड रूपमें उद्धृत किये गये हैं जिनसे उनका असली मतस्थ प्रायः गुम हो जाता है और वे एक असम्बद्ध प्रलापसर जान पड़ते हैं। यदि समालोचक जो ने प्रत्येक लेख के अंतमें दिये हुये उदाहरण के विवेचन अथवा उसके शिक्षा-भागको ज्यों का न्यो उद्धृत किया होता तो वे अपने पाठकों को पुस्तक के आशय तथा उद्देश्य का अच्छा ज्ञान कराते हुए, उन्हें लेखक के तजजन्य विचारों का भी कितना ही परिचय करा सकते थे, परन्तु जान पड़ता है उन्हें वैसा करना इष्ट नहीं था-वैसा करने पर समालोचना का सारा रंग ही फीका पड़ जाता अथवा उन अधिकांश कलिपत वातों की सारी कलई ही खुल जाती जिन्हें प्रकृत पुस्तक के आधार पर लेखक के विचारों या उद्देश्यों के रूपमें नामांकित किया गया है। इसीसे उक्त विवेचन अथवा शिक्षा-भाग पर, जो आधी पुस्तक के बराबर होते हुए भी सारी पुस्तक की जगत थी, कोई समालोचना नहीं की गई, सिर्फ उन असम्बद्ध खण्डवाक्योंको देकर इतना ही लिखदिया है कि—

“बाबू साहब के उपर्युक्त वाक्यों से आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि उनका हृदय कैसा है और घृ समाज में कैसी प्रवृत्ति चलाना ( गोव जाति पांति नीच ऊँच भंगी चमार चांडालादि भेद मेंटकर हर एक के साथ विवाह की प्रवृत्ति करना) चाहते हैं”।

इन पंक्तियों में समालोचक ने, बैरेकट के भीतर, जिस प्रवृत्ति का उल्लेख किया है उसे ही लेखककी पुस्तक का घ्येय अथवा उद्देश्य प्रकट करते हुए वे आगे लिखते हैं :—

“उपर्युक्त प्रवृत्तिको चलाने के लिये ही बाबू साहब ने बसुदेवजी के विवाहकी चार घटनाओं का ( जो कि

बिलकुल भूठ हैं ) उल्लेख करके पुस्तक को समाप्त करदिया था लेकिन फिर बाबू साहबको जयाल आया कि भतीजीके साथभी शादी उचित बतावी तथा नीच भील और व्यभिचारजात दस्तों के साथ भी जायज़ बतावी किन्तु वेष्या तो रह ही गई यह सोचकर आप ने फिर शिक्षाप्रद शास्त्रोंय उदाहरणका दूसरा हिस्सा लिखा और खूबही वेश्यागमनकी शिक्षा दी है”।

इसी तरहके और भी कितनेही धोक्य समालोचना-पुस्तक में जहाँ तहाँ पाये जाते हैं, जिनके कुछ नमूने इस प्रकार हैं:—  
 ( १ ) “लेकिन बाबू जी को लोगों के लिये यह दिखलाना था कि भतीजी के साथ विवाह करने में कोई हानि नहीं है”।  
 ( पृ० ४ )

( २ ) “उन्हें [ बाबू साहब को ] तो जिस तिस तरह अपना मतलब बनाना है और कामबासना की हवस मिटाने के लिये यदि बाहरसे कोई कन्या न मिले तो अपनीही वहिन भतीजी आदि के साथ विवाह करलेने की आज्ञा दे देना है।” ( पृ० ११ )

( ३ ) [देवकी की कथा से] “ यह सिद्ध करना चाहा है कि विवाह में जाति गोत्र का पचडा व्यर्थ है। यदि काम बासना की हवस पूरी करने के लिये अन्य गोत्रकी कन्या न मिले तो फिर अपनी ही वहिन भतीजी आदिसे विवाह कर लेने में कोई हानि नहीं है।” ( पृ० ३७ )

( ४ ) “ जराकी कथासे आप सिद्ध करना चाहते हैं कि भंगी चमार आदि नीच मनुष्य व शूद्रों के साथ ही विवाह कर लेने में कोई हानि नहीं है।” ( पृ० ३८ )

( ५ ) “बाबू साहब को तो लोगों को भ्रममें डालकर और सबको वेश्यागमन का खुलतम खुलता उपदेश देकर अपनी

हवस पूरी करना है उन्हें इतनी सम्भवी समझ से क्या काम,” (पृ० ४५—४६)

(६) “बाबू साहबने जो चारदिश की कथा से वेश्या तक को घरमें ढाल लेने की प्रवृत्ति चलाना चाहा है वह प्रवृत्ति सर्वथा धर्म और सोक विरुद्ध है । ऐसी प्रवृत्ति से पवित्र जैन धर्म को कलङ्क लग जायगा” (पृ० ४६)

(७) “लाला जौहरीमल जो जैन सर्वानुसारी कुल मन चले लोगोंने …… बाबू जुगलकिशोर जी के लिये अनुसार “गृहस्थ के लिये खों की जड़रत हांने के कारण चाहे जिसकी कथा ले लेनी चाहिये” इसी उद्देश्य को उचित समझा” (भूमिका)

अब देखना चाहिये कि, इन सब वाक्योंके द्वारा पुस्तक के प्रतिपाद्य विषय, आशय, उद्देश्य और लेखकके तज़ज़न्य विचारों आदि के सम्बन्ध में जो व्याख्या की गई है वह कहाँ तक सत्य है—दोनों लेखों परसे उसकी कोई उपलब्धि होती है या कि नहीं—और यह तभी बन सकता है अथवा इस विषय का अच्छा अनुभव पाठकों को तभी हो सकता है जबकि उनके सामने प्रत्येक लेखका वह अंश मौजूद हो जिसमें उस लेखके उदाहरण का नतीजा निकाला गया या उससे निकलने वाली शिक्षा को प्रदर्शित किया गया है । अतः यहाँ पर उन दोनों अंशोंका उद्धृत किया जाना बहुत ही ज़रूरी जान पड़ता है ।

पहले लेखमें, वसुदेव जी के विवाहों की चार घटनाओं का—देवकी, जरा, प्रियंगुसुन्दरी और रोहिणी के साथ होने वाले विवाहों का—उल्लेख करके और यह बतला कर कि ये चारों प्रकार के विवाह उस समय के अनुकूल होते हुए भी आज कल की हवाके प्रतिकूल हैं, जो नतीजा निकाला गया अथवा जिस शिक्षा का उल्लेख किया गया है वह निम्न प्रकार

है, और लोकके इस अंशमें वे सब खड़ वाक्य भी आजाते हैं जिन्हें समालोचकजी ने समालोचना के पृष्ठ ३६—३० पर उद्धृत किया है :—

“इन आरो घटनाओंको लिये हुए वसुदेवजी के एक पुराने वहुमान्य शास्त्रीय उदाहरणसे, और साथही वसुदेवजी के उक्त वचनोंको\* आदिपुराण के उपर्युक्तिवित वाक्यों† के साथ

\*वसुदेवजीके वे वचन जो पुस्तक के पृष्ठ = पर उद्धृत हैं और जिनमें स्वयंवर विवाहके नियमको सूचित किया गया है इस प्रकार हैं :—

कन्या वृणीते रुचितं स्वयंवरगता वरं ।

कुलीनमकुलीनं वा क्रमे नास्ति स्वयंवरे ॥११-७१॥

—जिनदासकृत हरिवंशपुराण ।

अर्थात्—स्वयंवरको ग्रास हुई कन्या उस वरको वरण (स्वीकार) करती है जो उसे पसंद होता है, चाहे वह वर कुलीन हो या अकुलीन । क्योंकि स्वयंवरमें इस प्रकारका—वरके कुलीन या अकुलीन होने का—कोई नियम नहीं होता ।

†आदिपुराणके वे पृष्ठ ह पर उद्धृत हुए वाक्य इस प्रकार हैं —

सनातनोऽस्ति मार्गोऽयं श्रुतिस्मृतिषु भाषितः ।

विवाहविधिभेदेषु वरिष्ठोऽहि स्वयंवरः ॥४४-३२॥

तथा स्वयंवरस्येमे नाभूवन् यद्यकम्पनाः ।

कःप्रवर्त्तयितान्योऽस्य मोर्मस्यैष सनातनः ॥४५-५४॥

मार्गाश्चिरंतनान्येऽत्र भोगभूमितिरोहितान् ।

कुर्वन्ति नूतनान्सन्तः सद्भिः पूज्यास्त एव हि ॥४५-५५॥

इनमेंसे पहले पद्में स्वयंवरविधिको ‘सनातन मार्ग’ लिखनेके

मिसाकर पढ़नेसे विवाह-विषय पर बहुत कुछ प्रकार पड़ता है और उसकी अनेक समस्याएँ खुदबखुद (स्वयमेव) हल होजाती हैं। इस उदाहरणसे वे सब लोग बहुत कुछ शिक्षा प्रहण कर सकते हैं जो प्रचलित रीति-रिवाजोंको ब्रह्म-वाक्य तथा आस-वचन समझे हुए हैं, अथवा जो रुद्धियोंके इतने भक्त हैं कि उन्हें गणितशास्त्रके नियमोंकी तरह अटल सिङ्गांत समझते हैं और इसलिये उनमें ज्ञान भी फेरफार करना जिन्हें रुचिकर नहीं होता, जो ऐसा करनेको धर्मके विरुद्ध चलना और जिनेन्द्रभगवानकी आकृका उम्मीद करना मान बैठे हैं, जिन्हें विवाहमें कुछ सख्त्या प्रमाण गोत्रोंके न बचाने तथा अपने वर्णसे मिलन वर्णके साथ सादीकरनेसे धर्मके द्वयजानेका भय लगा हुआ है। इससे भी अधिक जो एक ही धर्म और एक ही आचारके मानने तथा कालनेवाली अप्रवाल, याएडेलवाल आदि समानजातियोंमें भी परस्पर रोटी बेटी व्यवहार एक करने को अनुचित समझते हैं—पालक अपवाह पतनकी शङ्कासे जिनका हृदय सन्तस है—और जो अपनी एक जातिये भी आठ आठ गोत्रों तकका टालनेके बक्करमें फड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को वसुदेवजीका उक्त उदाहरण और उसके साथ विवाहसम्बंधीवर्तमान रीति-रिवाजोंका मीलान बतलायगा कि

साथ साथ उसे सम्पूर्ण विवाह-विधानों में भक्तसे अधिक अष्ट (वरिष्ठ) विधान प्रकट किया है और पिछले दोनों वर्षोंमें, जो भरत चक्रवर्ती की ओर से कहे गये पद्य हैं, यह सूचित किया गया है कि युगकी आदिमें राजा अकम्पन-द्वारा इस विवाहविधि (स्वयंवर) का सबसे पहले अनुष्ठान होने पर भरत चक्रवर्ती ने उसका अभिनन्दन किया था और उन लोगों को सत्पुरुषों द्वारा कूज्ब ढहराया था जो ऐसे सनातन मार्गोंका पुत्रहृदार करें। \*

रीति-रिवाज कभी एक हालत में नहीं रहा करते, वे सर्वज्ञ भगवान की आकाश और अटल सिद्धान्त नहीं होते, उनमें समयानुसार बराबर फेरफार और परिवर्तन की ज़रूरत हुआ करती है। इसी ज़क्करतने वसुदेवजी के समय और वर्तमान समयमें ज़मीन आस-मान का सा अन्तर ढाल दिया है। यदि ऐसा न होता तो वसुदेव जी के समय के विवाहसम्बन्धी नियम-उपनियम इस समय भी हिंगर रहते और उसी उत्तम तथा पूज्य हृषिसे देखे जाते जैसे कि वे उस समय देखे जाते थे। परन्तु ऐसा नहीं है और इसलिये कहना होगा कि वे सर्वज्ञ भगवान्‌की आकाश अथवा अटल सिद्धान्त नहीं थे और न हो सकते हैं। दूसरे शब्दोंमें यो कहना चाहिये कि यदि वर्तमान वैवाहिक रीतिरिवाजोंको सर्वज्ञ प्रणीत-सार्वदेशिक और सार्वकालिक अटल सिद्धान्त—माना जाय तो यह कहना पड़ेगा कि वसुदेवजीने प्रतिकूल आचरणद्वारा बहुत स्पष्टरूपमें सर्वज्ञकी आकाश का उल्लङ्घन किया है। ऐसी हालत में आचार्यों द्वारा उनका यशोगान नहीं होना चाहिये था, वे पातकी समझे जाकर कलहित किये जानेके योग्य थे। परन्तु ऐसा नहीं हुआ और न होना चाहिये था; क्योंकि शास्त्रों द्वारा उन समयके मनुष्यों की प्रायः ऐसी ही प्रवृत्ति पाई जाती है, जिससे वसुदेवजी पर कोई कलङ्क नहीं आसकता। तब क्या यह कहना होगा कि उस वक्तके वे रीति रिवाज सर्वज्ञप्रणीत थे और आज कलके सर्वज्ञप्रणीत अथवा जिनभाषित नहीं हैं? ऐसा कहने पर आज कलके रोनि-रिवाजोंको एकदम उठाकर उनके स्थानमें वही वसुदेवजीके समयके रीति-रिवाज कायम कर देना ही समुचित न होगा बल्कि साथ ही अपने उन सभी पूर्वजोंको कलहित और दोषी भी उठाना होगा जिनके कारण वे पूरने ( सर्वज्ञभाषित ) रीति रिवाज उठाकर उनके स्थान में वर्तमान रीति रिवाज कायम हुए और फिर हम उक पहुँचे। परन्तु ऐसा

कहना और उद्वारना दुःसाहस मात्र होगा । वह कभी इष्ट नहीं हो सकता और न युक्ति युक्त ही प्रनीत होता है । इस लिये यही कहना समुचित होगा कि उस वक्तके बेरीति रिवाज भी सर्वव्याख्या भाषित नहीं थे । बास्तवमें गृहस्थों का धर्म दो प्रकारका वर्णन किया गया है, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक । लौकिक धर्म लोकाश्रय और पारलौकिक आगमाश्रय होता है+। विवाह-कर्म गृहस्थोंके लिये एक लौकिक धर्म है और इसलिये वह लोकाश्रित है—लौकिक जनोंकी देशकालानुसार जो प्रवृत्ति होती है उसके अधीन है—लौकिक जनों की प्रवृत्ति हमेशा एक रूपमें नहीं रहा करती । वह देशकालकी आवश्यकताओं के अनुसार, कभी पञ्चायनियोंके निर्णय द्वारा और कभी प्रगतिशीलव्यक्तियोंके उदाहरणोंको लेकर, बराबर बदला करती है और इसलिये वह पूर्णरूपमें प्रायः कुछ समयके लिये ही स्थिर रहा करती है । यही घजह है कि भिज्ञ भिज्ञ देशों, समयों और जातियोंके विवाहविधानोंमें बहुत बड़ा अन्तर पाया जाता है । एक समय था जब इसी भारतभूमि पर सगे भाई बहिन भी परस्पर लौटी पुरुष होकर रहा करते थे और इन्हे पुण्याधिकारी समझे जाते थे कि मरने पर उनके लिये नियमसे देवगति का विधान किया गया है+ । फिर वह समय भी आया जब उक्तप्रवृत्तिका निषेध किया गया और उसे अनुचित उद्वाराया गया । परन्तु उस समय गोत्र तो गोत्र एक कुटुम्बमें विवाह होना, अपनेसे भिज्ञ वर्णके साथ शादीका किया जाना और शूद्र ही नहीं किन्तु म्लेच्छों तककी कन्याओंसे विवाह करना भी अनुचित नहीं माना

\*द्वौ हि धर्मौ गृहस्थानां लौकिकः पारलौकिकः ।

लोकाश्रयो भवेदाद्यः परः स्यादागमाश्रयः॥—सोमदेवः॥

+ यह कथन उस समयका है जबकि वहाँ भोगभूमि प्रचलत ।

गया । साथ ही, मामा-फूफीकी कन्याओं से विवाह करनेका तो आम दस्तूर रहा और वह एक प्रशस्त विधान समझा गया । इसके बाद समयके हेरफेरसे उक्त प्रवृत्तियोंका भी निषेध प्रारम्भ हुआ, उनमें भी दोष निकलने लगे पापोंकी कल्पनायें, होने लगीं—और वे सब बदलते बदलते वर्तमानके ढाँचेमें ढल गईं । इस असेंमें सैकड़ों जातियों, उपजातियों और गोत्रोंकी कल्पना होकर विवाहक्षेत्र इतना सङ्कीर्ण बन गया कि उसके कारण आजकलकी अनता बहुत कुछ हानि नथा कष्ट उठा रही है और ज्ञातिका अनुभव कर रही है—उसे यह मालूम होने लगा है कि कैसी कैसी समद्विशालिनी जातियाँ इन वर्तमान रीति-रिवाजोंके चुहलमें फँतकर संसारसे अपना अस्तित्व उठा चुकी हैं और कितनी मृत्युशय्या पर पड़ी हुई हैं— इससे अब वर्तमान रीतिरिवाजोंके विरुद्ध भी आवाज उठनी शुरू हो गई है । समय उनका भी परिवर्तन चाहतम है । सक्षेपमें, यदि सम्पूर्ण जगत्के भिन्न देशों, समयों और जातियों के कुछ थोड़े थोड़े से ही उदाहरण एकत्र किये जायें तो विवाह-विधानोंमें हजारों प्रकार के भेद उपभेद और परिवर्तन हजिर-गोचर होगे, और इस लिये कहना होगा कि यह सब समय समयकी ज़रूरतों, देश देशकी आवश्यकताओं और जाति जातिके पारस्परिक व्यवहारोंका नतीजा है; अथवा इसे कालचक्रका प्रभाव कहना चाहिए । जो लोग कालचक्र की गतिको न समझ कर पक हो स्थान पर खड़े रहते हैं और अपनी पोजीशन (Position) को नहीं बदलते—स्थितिको नहीं सुधारते—वे नि सन्देह कालचक्रके आधातसे पीड़ित होते और कुचले जाते हैं । अथवा संसारसे उनकी सत्ता उठ जाती है । इस सब कथनसे अथवा इनने ही संकेतसे लोकाभित (लौकिक ) धर्मोंका बहुत कुछ रहस्य समझ में आसकता है ।

साथ ही, यह मौलम हो जाता है कि वे कितने परिवर्तनशील हुआ करते हैं। ऐसी हालतमें विद्याह जैसे लौकिक धर्मों और सांसारिक व्यवहारोंके लिये किसी आगमका आश्रय सेना, अर्थात् यह दृढ़ जोज लगाना कि आगममें किस प्रकार से विद्या ह करना लिखा है, बिलकुल व्यर्थ है। कहा भी है—

“संसारव्यवहारे तु स्वतःसिद्धे वृथागमः॥”

अर्थात् संसार व्यवहारके स्वतः सिद्ध होनेसे उसके लिये आगम की ज़रूरत नहीं ।

बस्तुतः आगम प्रन्थोंमें इस प्रकारके लौकिक धर्मों और लोकाधितविधानोंका कोई कम निर्दिष्ट भही होता। वे सब लोकप्रवृत्ति पर अधिलमिष्ट रहते हैं। हाँ, कुछ त्रिवर्णाचारों जैसे अनार्थ प्रन्थोंमें विद्याह-विधानोंका वर्णन ज़रूर पाया जाता है। पर न्तु वे आगम प्रन्थ नहीं हैं—उन्हें आप भगवान्के वचन नहीं कह सकते और न वे आसवचनानुसार लिखेगये हैं—इतने पर भी कुछ प्रन्थ तो उनमें से बिलकुल ही जाली और बनाएटी हैं; जैसा कि ‘जिनसेनत्रिवर्णाचार’ और ‘भद्रवाहुसंहिताके’ के परीक्षा-लेखों से प्रगट है × । वास्तवमें ये सब प्रन्थ एक प्रकारके लौकिक प्रन्थ हैं। इनमें प्रहृत विषयके वर्णनको तात्कालिक और तदेशीय रूपतिरिवाजोंका उल्लेख मात्र सामझना चाहिये, अथवा यों कहना चाहिये कि प्रन्थकत्तःओंको उस प्रकारके रीतिरिवाजोंको प्रचलित करना इष्ट था। इससे अधिक उन्हें

“यह श्रीसोमदेव आचार्य का वचन है।

× वे सब लेख ‘प्रन्थपरीक्षा’ नामसे पहिले जैमहितैषी प्रथमें अकाशित हुए थे और अब कुछ समयसे अलग पुस्तकाकार भी छुप मये हैं। बर्वई और दटावा आदि स्थानोंसे मिलते हैं।

और कुछ भी महत्व नहीं दिया। जासकता— वे आजकल प्रायः इतने ही काम के हैं—एकवेशीय, लौकिक और सामयिक प्रन्थ होनेसे उनका शासन सार्वदेशिक और सार्वकालिक नहीं हो सकता। अर्थात्, सर्व देशों और सर्व समयों के मनुष्योंके लिये वे समान रूपसे उपयागी नहीं हो सकते। और इसलिये केवल उनके आधार पर चलना कभी युक्तसंगत नहीं कहला सकता। विवाह-विषयमें आगमका मूलविधान सिर्फ इतना ही पाया जाता है कि वह गृहस्थाश्रमका वर्णन करते हुए गृहस्थ के लिये आम तौर पर गृहिणीकी अर्थात् एक खीकी जड़तर प्रकट करता है। वह खी कैसी, किस वर्णकी, किस जातिकी, किन किन सम्बन्धोंसे युक्त तथा रहित और किस गोत्रकी होनी चाहिये अथवा किस तरह पर और किस प्रकारके विधानोंके साथ विवाह कर लानी चाहिये, इन सब बातोंमें आगम प्रायः कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करता। ये सब विधान लोकाभित हैं, आगमसे इनका प्रायः कोई सम्बन्ध विशेष नहीं है। यह दूसरी बात है कि आगममें किसी घटना विशेषका उल्लेख करते हुए उनका उल्लेख आजाय और तात्कालिकहण्ठिसे उन्हें अच्छा या बुरा भी बतला दिया जाय परन्तु इससे वे कोई सार्वदेशिक और सार्वकालिक अटल सिद्धान्त नहीं बन जाते— अर्थात्, ऐसे कोई नियम नहीं हो जाते कि जिनके अनुसार चलना सर्व देशों और सर्व समयोंके मनुष्योंके लिये बराबर ज़रूरी और हितकारी हो। हाँ, इतना ज़रूर है कि आगमकी हण्ठिमें सिर्फ वे ही लौकिकविधियाँ अच्छी और प्रमाणिक समझी जा सकती हैं जो जैन सिद्धान्तोंके विरुद्ध न हों, अथवा जिनके कारण जैनियोंकी अद्धा (सम्बन्ध) में वाधा न पड़ती हो और न उनके ब्रतोंमें ही कोई दूषण लगता हो। इस हण्ठिको सुरक्षित रखते हुए, जैनी लोग प्रायः सभी लौकिक विधियोंको खुशीसे

स्वीकार कर सकते हैं और अपने वर्तमान रीति-रिवाजों में देशकालानुसार, यथेष्ट परिवर्तन कर सकते हैं# । उनके लिये इसमें कोई वाधक नहीं है । अस्तु; इस सम्पूर्ण विवेचनसे प्राचीन और आवाचीनकालके विवाह विधानोंकी विभिन्नता, उनका देश कालानुसार परिवर्तन और लौकिक धर्मोंका रहस्य, इन सब बातोंका बहुत कुछ अनुभव प्राप्त हो सकता है, और साथ ही यह भले प्रकार समझमें आ सकता है कि वर्तमान रीति-रिवाज कोई सर्वज्ञमानित ऐसे अटल तिद्धान्त नहीं हैं कि जिनका परिवर्तन न हो सके अथवा जिनमें कुछ फेरफार करनेसे धर्मके दूषजानेका कोई भय हो । हम, अपने सिद्धान्तोंका विरोध नकरते हुए, देश काल और जाति की आवश्यकताओंके अनुसार उन्हें हर घक बदल सकते हैं वे सब हमारे ही कायम किए हुए नियम हैं और इसलिए हमें उनके बदलनेका स्वतः अधिकार प्राप्त है । इन्हीं सब बातोंको लेकर एक शारीय उदाहरणके रूपमें यह नोट(लेख)लिखा गया है । आशा है कि हमारे जैनीभाई इससे ज़रूर कुछ शिक्षा प्रहृण करेंगे और विवाहतत्वको समझ कर जिसके समझनेके लिये 'विवाहका उद्देश्य' × नामक निवन्ध भी साथमें पढ़ना विशेष उपकारी होगा, अपने वर्तमान रीति-रिवाजों में यथाचित फेरफार करनेके लिये समर्थ होंगे । और इस तरह पर कालतत्वके आधातसे बचकर अपनी सत्ताको चिरकाल तक यथेष्ट रीतिसे बनाये रखेंगे । ”

लेखके इस अंश अध्यवा शिक्षा भाग से स्पष्ट है कि लेखका

\* सर्व एव हि जैनानां प्रमाणं लौकिको विधिः ।

यत्र सम्यक्त्वहानिर्न यत्र न व्रतदूषणम् ॥—सोमदेवः ।

× यह पस्तक 'जैनप्रम्थरत्नाकर कार्यालय' बम्बई द्वारा प्रकाशित हुई है, और लेखकके पाससे बिना मूल्य भी मिलती है ।

प्रतिपाद्य विषय, आशय और उद्देश्य वह नहीं हैं जो समालोचकजी ने प्रकट किया है—इसमें कहीं भी यह प्रतिपादन नहीं किया गया और न पेसा कोई विधान किया गया है कि गोत्र, जाति पांति, नीच ऊँच, भंगी चमार चाएडालादिके भेदोंको उठा देना चाहिये, उन्हें मेटकर हरएक के साथ विवाह करलेना चाहिये, चाहे जिसकी कन्या ले लेनी चाहिये, अथवा भंगी चमार आदि नीच मनध्यों के साथ विवाह करलेने में कोई हानि नहीं है; और न कहीं पर यह दिखलाया गया अथवा पेसी कोई आहा दीगई है कि आजकल अपनी ही बहिन भतीजी के साथ विवाह कर लेनेमें कोई हानि नहीं है, अन्य गोत्रको कन्या न मिलने पर उसे करलेना चाहिये—बल्कि बहुत स्पष्ट शब्दोंमें वसुदेवजी के समय और इस समयके रीति-रिवाजों—विवाह विधानोंमें “जमीन आस्मान का सा अन्तर” बतलाते हुए, उनपर एक खासा विवेचन उपस्थित किया गया है और उसमें रीति-रिवाजों की लिपि, उनके देशकालानुसार परिवर्तन तथा लौकिक धर्मोंके रहस्यको सूचित किया गया है। सो अहीं, यह बतलाया गया है कि “बर्तमान रीति रिवाज कोई सर्वक भाषित ऐसे अटल सिद्धान्त नहीं है कि जिनका परिवर्तन न हो सके अथवा जिनमें कुछ फेरफार करने से धर्मके ढूब जानेका कोई भयहो, हम अपने सिद्धान्तों का विरोध न करते हुए देशकाल और जातिकी आवश्यकाओं के अनुसार उन्हें हरवक बदल सकते हैं, वे सबहमारे ही कायम किये हुए नियम हैं और इसलिये हमें उनके बदलनेका स्वतः अधिकार प्राप्त है।” परन्तु उनमें क्या कुछ परिवर्तन अथवा तबदीली होनी चाहिये, इसपर लेखक ने अपनी कोई राय नहीं दी। सिर्फ इतना ही सूचित किया है कि वह परिवर्तन (फेरफार) “यथोचित” होना चाहिये, और ‘यथोचित’ की परिभाषा वही हो सकती है जिसे

“आगमकी हृष्टि” बतलाया गया है और जिसे सुरक्षित रखते हुए परिवर्तन करने की प्रेरणा की गई है। इसके सिवाय, वसुदेवजी के समयके विवाह-विधानों की इस समयके लिये कहीं परभी कोई हिमायत नहीं की गई, बल्कि “ऐसा नहीं है” इत्यादि शब्दोंके द्वारा उनके विषयमें यह स्पष्ट घोषित किया गया है कि वे आजकल स्थिर नहीं हैं और न उस उत्तम तथा पूज्य हृष्टिसे देख जाते हैं जिससे कि वे उस समय देखे जाते थे और इसलिये कहना होगा कि वे सर्वज्ञ भगवान की आशाएँ अथवा अटल सिद्धान्त नहीं थे और न हो सकते हैं। जो लोग वसुदेवजी के समयके रीति-रिवाजोंका सर्वज्ञप्रणीत और वर्तमान रीति-रिवाजी को असर्वज्ञभाषित कहते हों और इस तरह पर अपने उन पूर्वजोंको कलंकित तथा दोषी ठहराते हों जिनके कारण वसुदेवजीके समय के वे पुराने (सर्वज्ञभाषित) रीति-रिवाज उठकर उनके स्थानमें वर्तमान रीति-रिवाज कायम हुए उन्हें लदय करके साफ़ लिखा गया है कि उनका “ऐसा कहना और ठहराना दुःसाहस मात्र होगा, वह कभी हृष्ट नहीं हो सकता और न युक्तियुक्त ही प्रनोत होता है।” इससे लेखमें वसुदेवजी के समयके रीति रिवाजोंकी कोई खास हिमायत नहीं की गई, यह और भी स्पष्ट हो जाता है। केवल प्राचीन और अर्वाचीन रीति-रिवाजोंमें बहुत बड़े अन्तर को दिखलाने, उसे दिखलाकर, रीति-रिवाजोंकी असलियत, उनकी परिवर्तनशीलता और लौकिक धर्मोंके रहस्य पर एक अच्छा विवेचन उपलिखित करने और उसके द्वारा वर्तमान रीति-रिवाजोंमें यथोचित परिवर्तनको समुचित ठहराने के लिये ही वसुदेवजी के उदाहरणमें उनके जीवनकी इन चार घटनाओंको चुना गया था। इससे अधिक लेखमें उनका और कुछ भी उपयोग नहीं था। और इसीसे लेखके अन्तमें लिखा गया था कि-

“इन्हीं सब बातोंको लेकर एक शारीय उदाहरण के रूपमें यह नोट लिखा गया है ।”

लेखकी ऐसी स्पष्ट दालतमें पाठक स्वयं समझ सकते हैं कि समालोचक जो ने अपने उक बातों और उन्हीं जैसे दूसरे बातों द्वारा भी पुस्तकके जिस आशय, उद्देश्य, अथवा प्रतिपाद्य विषयकी धोषणा की है वह पुस्तकसे बाहर की चोज़ है—प्रकृत लेखसे उसका कोई सम्बंध नहीं है—और इसलिये उसे समालोचक द्वारा परिकलिपत अथवा उन्हींकी मन प्रसूत समझना चाहिये । जान पड़ता है वे अपनी नासमझीसे अथवा किसी तीव्र कथायके घशवर्ती होकर ही ऐसा करने में प्रवृत्त हुए हैं । परन्तु किसी भी कारणसे सही, इसमें सदेह नहीं कि उन्होंने ऐसा करके समालोचकके कर्तव्यका भारा खून किया है । समालोचक का यह धर्म नहीं है कि वह अपनी तरफसे कुछ बातें खड़ी करके उन्हें समालोच्य पुस्तककी बातें प्रकट करे, उनके आधार पर अपनी समालोचना का रंग जमाए और इस तरह पर पाठकों तथा सर्व साधारण को धोखे में डाले । यह तो महानीबातिनीच कर्म है । समालोचकका कर्तव्य है कि पुस्तकमें जो बात जिसरूप से कही गई है उसे प्रायः उसी रूपमें पाठकों के सामने रखें और फिर उसके गुण-दांशों पर चाहे जितना विवेचन उपस्थित करे; उसे समालोच्य पुस्तक की सीमाके भीतर रहना चाहिये—उससे बाहर कदापि नहीं जाना चाहिये—उसका यह अधिकार नहीं है कि जो बात पुस्तकमें विधि या निषेध रूपसे कहीं भी नहीं कही गई उसकी भी समालोचना करे अथवा पुस्तकसे धूणा उत्पन्न कराने के लिये पुस्तकके नाम पर उसका स्वयं प्रयोग करे—उसे एक हथियार बनाय । भंगी, चमार और चांडालका नाम तकभी पुस्तकमें कहीं नहीं है, फिरभी पुस्तक के नाम पर उनके विवाह

की जो बात कही गई है वह ऐसी ही घृणोत्पादक दृष्टि अथवा अनधिकार चेष्टा का फल है । भूमिका में एक वाक्य “बाबू जुगलकिशोरजी के लिये अनुसार” इन शब्दों के अनन्तर निम्न प्रकार से डबल कामाज़ के भोतर दिया है और इस तरह पर उसे लेखकका वाक्य प्रकट किया है—

“गृहस्थके लिये खी की ज़रूरत होनेके कारण चाहे  
जिसका कन्या ले लेनी चाहिये”

परन्तु समालोच्य पुस्तक में यह वाक्य कहीं पर भी नहीं है, और न लेखककी किसी दूसरी पुस्तक अथवा लेखमें ही पाया जाता है; और इसलिये इसे समालोचकजीकी सत्यवादिता और अकृटलेखकता का एक दूसरा नमूना समझना चाहिये ! जान पड़ता है आप पेसे ही सत्यके अनुयायी अथवा भक्त हैं ! और इसलिये दूसरी का नग्न सत्य भी आपको सर्वथा मिथ्या और सफेद भूठ नज़र आता है !!

वह तो हुई पहले लेखके शिक्षांश की बात, अब दूसरे लेखके शिक्षांको लीजिये ।

## द्वितीय लेखका उद्देश्य और उसका स्पष्टीकरण ।

समालोचकजी ने पहले लेखके उदाहरणांशों को जिस प्रकार अपनी समालोचनामें उद्धृत किया है उस प्रकारसे दूसरे लेख के उदाहरणांशका उद्धृत नहीं किया और इसलिये यहाँ पर इस दूसरे छोटेसे लेखको पूरा उद्धृत कर देना ही ज्यादा उचित मालूम होता है, और वह इस प्रकार है :—

“हरिवंशपुराणादि जैनकथामें वारदा सेठकी एक

प्रसिद्ध कथा है। यह सेठ जिस बेड़ा पर आसक होकर बर्थों-तक उसके घरपर, जिना किसी भोजन पानादि सम्बन्धी भेदके, एकत्र रहा था और जिसके कारण वह एक बार अपनी संपूर्ण धनसंपत्तिको भी गँवा दैठा था उसकानाम 'बसंतसेना' था। इस बेश्याकी माताने, जिस समय धनाभावके कारण चारुदत्त सेठको अपने घरसे निकाल दिया और वह धनोण जीन के लिये विदेश चला गया उस समय बसंतसेनाने, अपनी माताके बहुत कुछ कहने पर भी, दूसरे किसी धनिक पुण्यसे अपना सबध जोड़ना उचित नहीं समझा और तब वह अपनी माताके घरका ही परित्याग कर चारुदत्तके पीछे उसके घरपर चली गई। चारुदत्तके कुटुम्बियोंने भी बसंतसेनाको आश्रय देनेमें कोई आनाकानी नहीं की। बसन्तसेनाने उनके समुदार आश्रयमें रहकर एक आर्यिका के पाससे श्रावकके १२ व्रत प्रहण किये, जिससे उसकी नीचपरिणति पलटकर उच्च तथा धार्मिक बन गई; और वह चारुदत्तकी माता तथा खीकी सेवा करती हुई निःसंकोच भाव से उनके घरपर रहने लगी। जब चारुदत्त विपुल धन सम्पत्तिका स्वामी बनकर विदेश से अपने घरपर वापिस आया और उसे बसंतसेनाके स्वगृह पर रहने आदि का हाल मालूम हुआ तब उसने बड़े हर्षके साथ बसंतसेना को अपनाया—अर्थात्, उसे अपनी खी रूपसे स्वीकृत किया। चारुदत्तके इस कृत्य पर—अर्थात्, एक बेश्या जैसी नीच खी को खुल्लमखुल्ला घरमें डाल लेनेके अपराध पर—उस समयकी आति—विराद्रीने चारुदत्तको जातिसे छ्युत अथवा विराद्री से खारिज नहीं किया और न दूसरा ही उसके साथ कोई घृणा का व्यवहार किया गया। वह श्रोतेमिनाथ भगवान के चचा बसुदेवजी जैसे प्रतिष्ठित प्रवर्षोंसे भी ग्रंशसित और सम्मानित रहा। और उसकी शुद्धता यहाँ तक बनी रही कि वह

अन्तको उसके दिगम्बर मुनि तक होने में भी कुछ वाधक न हो सकी। इस तरह पर एक कुटुम्ब तथा जाति—विराद्धी के सदृश्यहार के कारण दो व्यसनासक व्यक्तियों को अपने उद्धार का अवसर मिला।

इस पुराने शास्त्रीय उदाहरणसे वे लोग कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जो अपने अनुदार विचारों के कारण ज़रा ज़रा सी बात पर अपने जाति भाइयोंको जातिसे च्युत करके—उनके धार्मिक अधिकारोंमें भी हस्तक्षेप करके—उन्हें सन्मार्गसे पीछे छाटा रहे हैं और इस तरह पर अपनी जातीय तथा संघशक्तिका निर्बल और निःसत्त्व बनाकर अपने ऊपर अनेक प्रकार की विष-स्तियों को बुलाने के लिये कमर कसे हुए हैं। ऐसे लोगों को संघशक्ति का रहस्य जानना चाहिये और यह मालूम करना चाहिये कि धार्मिक और लौकिक प्रगति किस प्रकार से हो सकती है। यदि उस समयको जानि—विराद्धी उक्त दोनों व्यसनासक व्यक्तियोंको अपने में आश्रय न देकर उन्हें अपने से पृथक कर देती, घृणा की दृष्टि से देखती और इस प्रकार उन्हें सुधरने का कोई अवसर न देती तो अन्त में उक्त दोनों व्यक्तियों का जो धार्मिक जीवन बना है वह कभी न बन सकता। अनः ऐसे अवसरों पर जाति विराद्धी के लोगों को साच समझकर, बड़ी दूरदृष्टि के साथ काम करना चाहिये। यदि वे पतितों का स्वयं उद्धार नहीं कर सकते तो उन्हें कमसे कम पतितों के उद्धार में वाधक न बनना चाहिये और न ऐसा अवसर ही देना चाहिये जिससे पतितजन और भी अधिकताके साथ पतित हो जायें।”

पाठकजन देखें और खूब गौरसे देखें, यही वह लेख है जिसकी वाचत समालोचकजी ने प्रकट किया है कि उसमें खूब ही वेश्योगमनकी शिक्षा कीर्गई और सबको उसका खुलतम खुलता उपदेश दिया गया है, अथवा उसके छारा वेश्या तकको

घरमें डालने की प्रवृत्ति चलाना चाहा गया है। वेश्यागमनकी सूची ही शिक्षा और उपदेश देना तो दूर रहा, लेखमें एकभी शब्द पसा नहीं है जिसके द्वारा वेश्यागमनका अनुमोदन या अभिनंदन किया गया हो अथवा उसे शुभकर्म बतलाया हो। प्रत्युत इसके चारूदत्त और उस वेश्याका “दोव्यसनासक व्यक्ति” तथा “पतित अन” सूचित किया है, वेश्याको “नीच ली” और उसकी पूर्व परिणति को (१२ वर्तोंके प्रहणसे पहले वेश्या जीवनकी अवस्थाका) “नीच परिणति” बतलाया है और एक वेश्या जैसी नीच लीको खुलतम खुलना घरमें डाल लेनेके कर्म को “अपराध” शब्दसे अभिहित किया है। साथही, उदाहरणांश और शिक्षांश में दिये हुए दो वाक्यों द्वारा यह स्पष्ट घोषित किया गया है कि उक्त दोनों व्यसनासक व्यक्ति अपने उद्धार से पहले पतित दशामें थे, बिगड़े हुए थे और उनका जीवन अधार्मिक था; एक कुटुम्ब तथा जाति विराद्वरीके सद्व्यवहार के कारण उन्हें अपने ‘उद्धार’ तथा ‘सुधार’ का अवसर मिला और उनका जीवन अन्तको ‘धार्मिक’ बन गया।

इतने परभी समालोचकजी उक्त लेखमें वेश्यागमनके महोपदेशका स्वप्न देख रहे हैं और एक ऐसे व्यक्ति पर वेश्यागमन का उपदेश देकर अपनी हवस पूरी करन का मिथ्या आराप (इलजाम) लगा रहे हैं जा २५ वर्ष से भा पहले से वेश्याओंके नृत्य देखने तकका त्यागी है—उसक लिये प्रतिशा बढ़ है—और एस विवाहोंमें शामिल नहीं होता जिनमें वेश्याएं नचाई जाती हैं। समलोचकजीकी इस बुद्धि, परिणति, सत्यवादिता और समालोचकीय कर्तव्य पालनकी निःसन्देह बलिहारी है !! जान पड़ता है आप एकदम ही ग्रहणीडित अथवा उन्मत्त हो उठे हैं और आपने अकाएड ताएडव आरम्भ कर दिया है।

रही वेश्याको घरमें डालने की प्रवृत्ति चलानेकी बात,

यद्यपि किसी घटना का केवल उहलेक करने से ही वह ताजिमी नहीं आता कि उसका लेखक वैसी प्रवृत्ति चलाना चाहता है फिरभी उस उहलेकमात्र से ही यदि वैसा प्रवृत्ति की इच्छाका हाना ताजिमी मान लिया जाय तो समालोचकजी को कहना होगा कि श्रीजिनसेनाचार्यने एक मनव्यके जीतजी उसकी खीको घरमें डाल लेनेकी, दूसरेकी कन्धाको हरलानेकी और घेह्या से विवाह कर लेनेकी भी प्रवृत्तिको चलाना चाहा है, क्योंकि उन्होंने अपने हरिवशपुराणमें ऐसा उहलेक किया है कि राजा सुमुण्णने वीरक सेठके जीतेजी उसकीखी 'बनमाला' का अपने घरमें डाल लिया था, कृष्णजी रुक्मिणीका हर कर लाये थे, और अमोघदर्शन राजाके पुत्र बाहुबल्ने 'काम पताका' नामकी वेश्याके साथ अपना विवाह किया था । यदि सचमुच ही इन घटनाओंके उहलेकमात्र से श्रीजिनसेनाचार्य, समालोचकजीकी समझके अनुसार, वैसी इच्छाके अपराधों उहरते हैं तो लेखक भी जहर अपराधी है और उसे अपने उस अपराधके लिये जरामी चिन्ता तथा पश्चात्ताप करनेकी ज़करत नहीं है । और यदि समालोचकजी जिनसेनाचार्य पर अधेश उन्हीं जैसे उहलेक करने वाले और भी कितनेही आचार्यों तथा विद्वानोंपर वैसी प्रवृत्ति चलानेका आरोप लगानके लिये तरयार नहीं है—उसे अनुचित समझते हैं—तालेखकपर उनका वैसा आरोप लगाना किसी तहभी न्याय समत नहीं हो सकता । वास्तवमें वह लेख नतो वैसे किसी आशय या उद्देश्यसे लिखा गया और उसके किसी शब्द परस ही वैसा आशय या उद्देश्य व्यक्त होता है जैसाकि समालोचकजी ने प्रकार किया है । लेखका स्पष्ट उद्देश्य उसके शिळांगमें व्यक्त योड़ेसे जैसे तुले शब्दोंद्वारा सूचित किया गया है, और उन परसे इतनक विचारणील यह नतीजा निकाल सकता है कि वह जाति-विरा-

हरीके आधुनिक दरण-विधानोंको सहय करके हिला गया है।

### जाति-पंचायतों का दण्ड-विधान ।

आजकल, हमारे बहुधा जैनी भाई अपने अनुदार विचारों के कारण ज़रा ज़रा सी बात पर अपन जाति भाइयोंको जातिसे च्युत अवंवा विरावरीसे खारिज करके—उनके धार्मिक अधिकारों में भी हस्तक्षेप करके—उन्हें सन्मार्गसे पीछे दटा रहे हैं और इस तरह पर अपनी जातीय तथा सघशक्तिको निर्बल और नि-सत्त्व बनाकर अपने ऊपर अनेक प्रकारकी विपत्तियों को बुलाने के लिये कमर कसे हुए हैं। ऐसे लोगोंको चाहदत के इस उदाहरण द्वारा यह चेतावनी की गई है कि वे दण्ड-विधानके ऐसे अवसरों पर बहुतही सोच समझ और गहरे विचार तथा दुरदृष्टिसे काम लिया करें। यदि वे पतितोंका स्वय उद्धार नहीं कर सकते तो उन्हें कमसे कम पतितोंके उद्धारमें बाधक न बनाना चाहिये और न ऐसा अवसरही देना चाहिये जिससे पतितजन और भी अधिकताके साथ पतित होजायें। किसी पतित भाई के उद्धारकी चिन्ता न करके उसे जातिसे खारिज कर देना और उसके धार्मिक अधिकारोंका भी छीन लेना, ऐसा ही कम है जिससे वह पतित भाई, अपने सुधार का अवसर न पाकर, और भी ज्यादा पतित होजाय, अथवा यों कहिये कि वह दूषत का ढाकर मारकर शीघ्र डबा देने के समान है। तिरस्कार से प्रायः कभी किसी का सुधार नहीं होता, उससे तिरस्कृत व्यक्ति अपने पापकार्यमें और भी दृढ़ हो जाता है और तिरस्कारीके प्रति उसकी ऐसी शवुता घड़ाजाती है जो अन्म अन्मान्तरोंमें अनेक दुःखों तथा कष्टोंका कारण होती हुई दोनोंके उन्नति पथमें बाधा उपस्थित करदेती है। हाँ, सुधार होता है प्रेम, उपकार और सहज्यवहार से।

यदि चारुदत्त के कुटुम्बीजन, अपने इन गुणों और उदार परिणामि के कारण, वसंतसेनाको चारुदत्तके पीछे अपने वहाँ आश्रय न देते बलिक यह कहकर दुरकार देते कि 'इस पापिनी ने हमारे चारुदत्तका सर्वनाश किया है, इसकी सूत मी नहीं देखनी चाहिये और न इसे अपने छारपर छड़ेहो होने देना चाहिये', तो बहुत संभव है कि वह निराश्रित दशामें अपनी माताके ही पास जाती और वेष्यावृत्ति के लिये मजबूर होती और तब उसका वह सुन्दर आविका का जीवन न बन पाता औ उन लोगोंके प्रेमपूर्वक आश्रय देने और सदृश्यबहाइसे बन सका है। इसलिये सुधारके अर्थ प्रेम, उपकार और सदृश्यबहार को अपनाना चाहिये, उसकी नितान्त आवश्यका है। पापीसे पापीका भी सुधार हो सकता है परन्तु सुधारक होना चाहिये। ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है जो स्वभावसे ही 'अयोग्य' हो परन्तु उसे योग्यताको ओर लगाने वाला अथवा उसकी योग्यता से काम लेने वाला 'योजक' होना चाहिये—उसीका मिलना कठिन है। इसीसे नीतिकारोंने कहा है—

**"अयोग्यः पुरुषोनास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः ।"**

ओ जाति अपने किसी अपराधी व्यक्तिको जातिसे बाहिज करती है और इस तरह पर उसके व्यक्तित्व के ग्रति भावी घृणा और तिरस्कारके भावको प्रदर्शित करती है, समझना चाहिये, वह स्वयं उसका सुधार करने के लिये असमर्थ है, अयोग्य है, और उसमें योजकशक्ति नहीं है। साथ ही, इस कृतिके द्वारा वह सर्वसाधारण में अपनी उस अयोग्यता और अशक्तिकी घोषणा कर रही है, इतना ही नहीं बलिक अपनी स्वार्थसाधुताको भी प्रकट कर रही है। ऐसी अयोग्य और असमर्थ जातिका, जो अपनेको धार्म भी नहीं

सकती, क्रमशः पतन होना कुछभी अस्वाभिवक नहीं है । पापी का सुधार वही कर सकता है जो पापीके व्यक्तित्व से घृणा नहीं करता बल्कि पापसे घृणा करता है । पापीसे घृणा करने वाला पापीके पास नहीं फटकता, वह सदैव उससे दूर रहता है और उन दोनोंके बीचमें मीलोंकी गहरी खाई पड़ जाती है; इससे वह पापीका कभी कुछ सुधार या उपकार नहीं कर सकता । प्रत्युत इसके, जो पापसे घृणा करना है वह सदैव उसके तरह हमेशा पापी (रोगी) के निकट होता है, और बराबर उसके पापरोगको दूर करनेका यत्न करता रहता है । यही दोनों में भारी अन्तर है । आजकल अधिकांश जन पापसे तो घृणा नहीं करते परन्तु पापीसे घृणा का भाव ज़रुर दिखलाते हैं अथवा घृणा करते हैं । इसीसे संसारमें पापकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती है और उसकी शांति होनेमें नहीं आती । बहुधा जाति विरादियों अथवा पंचायतों की ग्रायः पेसी नीति पाई जाती है कि वे अपने जाति भाइयोंको पापकर्मसे तो नहीं रोकतीं और न उनके मार्गमें कोई अर्गला ही उपस्थित करती हैं बल्कि यह कहती है कि 'तुम सिंगिल (एकहरा) पाप मत करो बल्कि उबल (दोहरा) पाप करो—उबल पाप करनेसे तुम्हें कोई दण्ड वहों मिलेगा परन्तु सिंगिल पाप करने पर तुम जातिसे खारिज कर दिये जाओगे । अर्थात्, वे अपने व्यवहारसे उन्हें यह शिक्षा देरही है कि 'तुम चाहे जितना बड़ा पाप करो, हम तुम्हें पाप करने से नहीं रोकतीं परन्तु पाप करके यह कहो कि हमने नहीं किया— पापको छिपकर करो और उसे छिपाने के लिये जितना भी मायाचार तथा असत्य भाषणादि दूसरा पाप करना पड़े उसकी तुम्हें हुड़ी है—तुम खुशीसे व्यभिचार कर सकते हो परन्तु वह स्थूल रूपमें किसी पर जाहिर न हो, भले ही इस कामके लिये रोटी बनानेवालीके रूपमें किसी कीको

## द्विं लेखका उद्देश्य और उसका स्पष्टीकरण ।

रखलो परन्तु उसके साथ विवाह मत करो; और यदि तुम्हारे फ़ैल (कर्म) से किसी विधवाको गर्भ रहजाय तो खुशीसे उसकी भूणहस्या कर डालो अथवा बालकको प्रसव कराकर उसे कहीं ज़ंगल आदि में डाल आओ या मारडालो परन्तु खुले रूपमें जाति-विरादरीके सामने यह बात न आने दो कि तुमने उस विधवा के साथ सम्बंध किया है, इसीमें तुम्हारी खेर है—मुक्ति है—और नहीं तो जातिसे खारिज कर दिये जाओगे।' जाति-विरादरियों अथवा पचायतों की ऐसी नीति और व्यवहारके कारण ही आजकल भारत वर्षका और उसमें भी उच्चत कहलाने वाली जातियोंका बहुत हो ज्यादा नैतिक पतन होरहा है। ऐसी हालत में पापियोंका सुधार और पतितोंका उद्धार कौन करे, यह एक बड़ी ही कठिन समस्या उपस्थित है !!

एक बात और भी नोट किये जाने के योग्य है और वह यह कि यदि कोई मनुष्य पाप कर्य करके पतित होता है तो उसके लिये इस बातकी खास ज़ुकरत रहती है कि वह अपने पापका प्रायशिच्छत करने के लिये अधिक धर्म करे, उसे ज्यादा धर्मकी और लगाया जाय और अधिक धर्म करने का मौका दिया जाय परन्तु आजकल कुछ जैन जातियों और जैन पंचायतोंकी ऐसी उल्टी रीति पाई जाती है कि वे ऐसे लोगोंको धर्म करने से रोकती हैं—उन्हें जिनमंदिरोंमें जाने नहीं देती और और भी कितनी ही आपत्तियाँ उनके धार्मिक अधिकारों पर खड़ी करदेती हैं। समझमें नहीं आता यह कैसी पापोंसे घुणा और धर्मसे प्रीति अथवा पतितोंके उद्धारकी इच्छा है !! और किसी विरादरी या पचायतोंको किसीके धार्मिक अधिकारोंमें हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है !!

जैनियोंमें 'अविरत सम्बन्धित' का भी एक दर्जा (चतुर्थ

गुण स्थान) है, और अविरतसम्यग्मधिटि उसे कहते हैं जो इन्द्रियोंके विषयों तथा ब्रह्मस्थावर जीवों की हिंसासे विरक्त नहीं होता—अथवा यों कहिये कि इन्द्रियसंयम और प्राण-संयम नामक दानों संयमों में से किसी भी संयमका धारक नहीं होता—परन्तु जिनेद्र भगवानके वचनोंमें अद्वा ज़ब्दर रखता है\* । ऐसे लोग भी जब जैन होते हैं और सिद्धान्ततः जैन मंदिरों में आने तथा जिनपूजनादि करने के अधिकारी हैं + तब एक आवकसे, जो जैनधर्मका अद्वानी है, चारित्र मोहिनी कर्मके तीव्र उदयवश यदि कोई अपराध बन जाता है तो उसकी हालत अविरत सम्यग्मधिटिसे और ज्यादा क्या खराब होआती है, जिसके कारण उसे मंदिरमें जाने आदिसे दोका जाता है । जान पड़ता है इस प्रकारके दंडविधान केवल नासमझी और पारस्परिक कषाय भावोंसे सम्बंध रखते हैं । अन्यथा, जैनधर्ममें तो सम्यग्मर्शनसे युक्त (सम्यग्मधिटि) चांडाल-पुत्रको भी 'देव' कहा है—आराध्य बतलाया है—और उसकी दशा उस अंगारके सदृश प्रतिपादन की है जो बाह्यमें भूमसे आच्छादित होनेपर भी अन्तरंगमें तेज तथा प्रकाश को लिये हुए है और इसलिये कदाचित् उपेक्षणीय नहीं होता+ । इसीसे

\*यथा—ऐ इंद्रेसुविरदो लो जीवे थावरे तसे वापि ।

जो सहददि जिणुत्तं सम्माइट्टी अविरदोसो ॥२९  
गोम्मटसार ।

+ जिन पूजाके कौन कौन अधिकारी हैं, इसका विस्तृत और प्रामाण्यिक कथन लेखककी लिखी हुई 'जिनपूजाधिकार मीमांसा' से जानना चाहिये ।

+यथा—सम्यग्मर्शनसम्पर्जमपि मातगदेहम् ।

देवा देवं विदुर्भस्म गूढाङ्गारात्मरौजसम् ॥

— इति रत्नकरणाङ्कके स्वामिसमंतभद्रः ।

बहुत प्राचीन समयमें, जबकि जैनियों का हृदय सच्ची धर्म-भावनासे प्रेरित होकर उदार था और जैनधर्मकी उदार (अनेकान्तात्मक) छत्रछायाके नीचे सभी लोग एकत्र होते थे, मातग (चारडाल) भी जैनमंदिरोंमें जाया करते थे और भगवान का दर्शन-पूजन करके अपना जन्म सफल किया करते थे । इस विषय का एक अच्छा उल्लेख श्रीजिनसेनाचार्य के हरि-वंशपुराणमें पाया जाता है और वह इस प्रकार है—

सस्त्रोकाः स्वेच्छरा याताः सिद्धकूटजिनात्यम् ।

एकदा वंदितुं सोपि शौरिर्मदनवेगया ॥ २ ॥

कृत्वा जिनमहं स्वेदाः प्रवन्द्य प्रतिमागृहम् ।

तस्युः स्तंभानुपाश्रित्य बहुवेषा यथायथम् ॥ ३ ॥

विद्युद्गेगोपि गौरीणां विद्यानां स्तंभमाश्रितः ।

कृतपूजास्थितः श्रीमान्स्वनिकायपरिष्कृतः ॥ ४ ॥

पृष्ठ्या वसुदेवेन ततो मदनवेगया ।

विद्याधरनिकायास्ते यथास्वमिति कीर्तिताः ॥ ५ ॥

\*. \* \* \*

अमी विद्याधरा ह्यार्याः समासेन समीरिताः ।

मातंगनामपि स्वामिनिकायान् श्रृणु वच्चिम ते ॥ १४ ॥

नीलांबुदचवश्यामा नीलांबरवरस्त्रजः ।

अमी मातंगनामानो मातंगस्तंभसंगताः ॥ १५ ॥

शमशानास्थिकृतोत्तंसा भस्मरेणुविधूसराः ।

शमशाननिलयास्त्वेते शमशानस्तंभमाश्रिताः ॥ १६ ॥

नीलवैदूर्यवणांनि धारयंत्यंवराणि ये ।

पाएडुरस्तंभमेत्यामी स्थिताः पाएडुक्खेचराः ॥ १७ ॥  
 कृष्णाजिनधरास्त्वेते कृष्णचर्माम्बरस्तजः ।  
 कानीलस्तंभमध्येत्य स्थिताः कालश्वपाकिनः ॥ १८ ॥  
 पिंगलैर्मूर्ध्वे जैर्युक्तास्तप्तकोचनभूषणाः ।  
 श्वपाकीनां च विद्यानां श्रितास्तंभं श्वपाकिनः ॥ १९ ॥  
 पत्रपणांशुकच्छन्न-विचित्रमुकुटस्तजः ।  
 पार्वतेया इति ख्याता पार्वतस्तंभमाश्रिताः ॥ २० ॥  
 वंशीपत्रकृतोर्चंसाः सर्वतुकुसुमस्तजः ।  
 वंशस्तंभाश्रिताश्चैते खेता वंशालया मताः ॥ २१ ॥  
 महाभुजगशोभांकसंदृष्टवरभूषणाः ।  
 वृक्षमूलमहास्तंभमाश्रिता वाक्षमूलकाः ॥ २२ ॥  
 स्ववेषकृतसंचाराः स्वचिह्नकृतभूषणाः ।  
 समासेन समाख्याता निकायाः सचरोदताः ॥ २३ ॥  
 इति भार्योपदेशेन इताविद्याधरान्तरः ।  
 शोरिर्यातो निजं स्थानं खेचराश्च यथायथम्” ॥ २४ ॥  
 --२६ वाँ सर्ग ।

इन पद्योंका अनुवाद पं० गजाधरलालजी ने, अपने भाषा  
 \*हस्तिवंश पुराणमें, निम्न प्रकार दिया है :—

“एकदिन समस्त विद्याधर अपनी अपनी लियोंके साथ  
 सिद्धकृट चैत्यालयकी वंदनार्थ गये कुमारा ( बसुदेव ) भी

\* देखो इस हस्तिवंशपुराण का सन् १६१६ का छपा हुआ  
 संस्करण, पृष्ठ २८४, २८५ ।

प्रियतमा मदनवेगाके साथ चलदिये ॥ ३ ॥ लिङ्ग कृटधर आकर विष्व विष्विष्व बैर्धोंके धारण करने वाले विद्याधरोंने स्तंभका भगवानकी पूजा की चैत्यालय को नमस्कार किया परं अपने अपने स्तंभोंका सहारा ले जुड़े २ स्थानों पर बैठ गये ॥ ३ ॥ कुमार के श्वसुर विद्युदेगने भी अपनी जातिके गौरिक निकाय के विद्याधरोंके साथ मले प्रकार भगवानकी पूजाकी ओर अपनी गौरी-विद्याओं के स्तंभका सहारा ले बैठगये ॥ ४ ॥ कुमारको विद्याधरोंकी जातिके जानने की उत्कंठा हुई इसलिये उन्होंने उनके विषयमें प्रियतमा मदनवेगासे पूछा और मदनवेग व्याधोंय विद्याधरोंकी जातियोंका इसप्रकार वर्णन करने लगी—”

\* \* \* \*

“प्रभो ! ये जितने विद्याधर हैं वे सब आर्य जातिके विद्याधर हैं आव मैं मातंग [ अनार्य ] जातिके विद्याधरोंको बतलाती हूँ आप ज्यान पूर्वक सुनें—”

“नील मेघके समान श्याम नीली माला धारण किये मातंग स्तंभके सहारे बैठे हुये ये मातंग जातिके विद्याधर हैं ॥ ५ ॥ मुद्दोंकी हड्डियोंके भूषणोंसे भवित भस्म (राख) की रेणुओंसे भद्र मैले और शमशान [ स्तंभ ] के सहारे बैठे हुये ये शमशान जातिके विद्याधर हैं ॥ ६ ॥ बैहृद्यमणिके समान नीले नीले बर्दों को धरण किये पाँडुर स्तंभके सहारे बैठे हुये ये पाँडुक जातिके विद्याधर हैं ॥ ७ ॥ काले काले मृगचर्मों को आढ़े काले चमड़े के बर्दों और मालाओं को धारे कालस्तंभका आधय ले बैठे हुये ये कालश्वपाकी जातिके विद्याधर हैं ॥ ८ ॥ पीले बर्दोंके केशोंसे भूषित, तस सुबणों के भूषणोंके धारक श्वपाक विद्याओंके स्तंभके सहारे बैठने वाले ये श्वपाक जातिके विद्याधर हैं ॥ ९ ॥ बृहस्पति के पर्सोंके समान हरे बर्दोंके धारण करनेवाले, भाँति भाँतिके मुकुट और मालाओंके धारक, पर्वत-

स्तंभका सहारा लेकर बैठे हुये ये पार्वतेय जातिके विद्याधर हैं ॥ २० ॥ जिनके भूषण वाँसके पत्तोंके बने हुये हैं जो सब ऋतुओंके फूलोंकी माला पहिने हुये हैं और वंशस्तंभके सहारे बैठे हुये हैं वे वंशालय जातिके विद्याधर हैं ॥ २१ ॥ महासर्पके चिह्नोंसे युक्त उत्तमोत्तम भूषणोंको धारण करने वाले वृक्षमूल नामक विशाल स्तंभके सहारे बैठे हुये ये वार्द्धमूलक जातिके विद्याधर हैं ॥ २२ ॥ इस प्रकार रमणी मदनवेगा द्वारा अपने अपने वेष और चिह्न हुये युक्त भूषणोंसे विद्याधरोंका भेद जान कुमार अति प्रसन्न हुये और उसके साथ अपने स्थान वापिस चले आये एवं अन्य विद्याधर भी अपने अपने स्थान चले गये ॥ २३-२४ ॥ ”

इस उल्लेख परसे इतनाही स्पष्ट मालूम नहीं होता कि मातंग जातियोंके चारडाल लोग भी जैनमंदिरमें जाते और पूजन करते थे बल्कि यहमो मालूम होता है कि \* समशानभूमि की हड्डियोंके आभूषण पहिने हुए, वहाँ की राज बदनसे मले हुए, तथा मृगझाला आंडे, चमड़ेके वस्त्र पहिने और चमड़ेकी मालाएं हाथमें लिये हुए भी जैनमंदिरमें जासकते थे, और न केवल जाही सकते थे बल्कि अपनी शक्ति और भक्तिके अनुसार पूजा करने के बाद उनके वहाँ बैठनेके लिए स्थान भी नियत था, जिससे उनका जैनमंदिरमें जानेका और भी ज्याहा नियत अधिकार पाया जाता है । जान पड़ता है उस समय ‘सिद्ध-

\*यहाँ इस उल्लेख परसे किसीको यह समझने की मूल न करनी चाहिये कि लेखक आजकल ऐसे अपवित्र वेषमें जैम मंदिरोंमें आने की प्रवृत्ति चलाना चाहता है ।

+ श्री जिनसेनाचार्य ने, ह वीं शुतावदी के थालावरत्युके अनुसार भी, ऐसे लोगों का जैनमंदिर में जाना आदि आपस्तिके

कृष्णजिनालय' में प्रतिमागहके सामने एक बहुत बड़ा विश्वास मंडप होगा और उसमें स्तंभोंके बिभागसे सभी आर्य अनार्य आतिथोंके लोगोंके बैठनेके लिये जुदाजुदा स्थान नियतकर रखनेहोंगे। आजकल जैनियोंमें उक्त सिद्धकृष्णजिनालयके दंगका—उसकी नीतिका अनुसरण करनेवाला—एकभी जैनमंदिर नहीं है X। लोगोंने बहुधा जैनमंदिरोंका देवसम्पत्ति न समझकर अपनी घर सम्पत्ति समझ रखा है, उन्हें अपनी ही चहलपहल तथा आमोद-प्रमोदादिके बक प्रकारके साधन बना रखा है, वे प्रायः उन महौदार्य-सम्पन्न लोकपिता वीतराग भगवानके मंदिर नहीं जान पड़ते जिनके समवसरता में पशुतक भी जाकर बैठतेथे, और न वहाँ, मूर्तिको छोड़कर, उब पूज्य पिता के वैराग्य, औदार्य तथा साम्यभावादि गुणोंका कहीं कोई आदर्श ही नज़र आता है। इसीसे वे लोग उनमें चाहे जिस जैनीको आने देते हैं और चाहे जिसको नहीं। कई ऐसे जैनमंदिर भी देखने में आए हैं जिनमें उनी वस्त्र पहिने हुए जैनियोंको भी घुसने नहीं दिया जाता। इस अनुदारता और कृतिम धर्मभावनाका भी कहीं कुछ ठिकाना है। ऐसे सब लोगोंको खूब याद रखना

योग्य नहीं ठहराया और न उससे मंदिरके अपवित्र होजानेको ही सूचितकिया। इससे क्या यह न समझ लिया जाय कि उन्होंने ऐसी प्रयुक्तिका अभिनंदन किया है अथवा उसे बुरानहीं समझा?

X चाँदनपुर महाबीरजीके मंदिरमें तो वर्ष भरमें दो एक दिनके लिये यह हवा आ जाती है कि सभी ऊँच नीच आतिथों के लोग बिना किसी रुकावटके अपने प्राकृत वेषमें—जूते पहने और चमड़े के ढोल आदि चोर्जे लिये हुए—वहाँ चले जाते हैं। और अपनी भक्तिके अनुसार दर्शन पूजन तथा परिक्षण करके वापिस आते हैं।

चाहिये कि दूसरोंके धर्म-साधन में विश्व करना—चाधक होना—, उनका मंदिर जाना बंद करके उन्हें देवदर्शन आदि से विमुख रखना, और इस तरह पर उनको आत्मोन्नतिके कार्यमें रुकावट डालना बहुत बड़ा भारी पाप है । अंजना सुंदरीने अपने पूर्वजन्ममें थोड़े ही कालके लिये, जिनप्रतिमाको छिपाकर, अपनी सौतन के दर्शनपूजनमें अन्तराय ढाला था । जिसका परिणाम यहाँ तक कटुक हुआ कि उसको अपने इस जन्ममें २२ वर्ष तक पतिका दुःसह वियोग सहना पड़ा और अनेक संकट तथा आपदाओंका सामना करना पड़ा, जिनका पूर्ण विषरण श्रीरविषेणाचार्यकृत 'पद्मपुराण' के देखने से मोलूप हो सकता है । श्रोकुन्दकुन्दाचार्यने, अपने 'रथयसार' प्रन्थ में यह स्पष्ट बतलाया है कि—'दूसरोंके पूजन और दानकार्यमें अन्तराय (विश्व) करने से जन्मजन्मान्तरमें क्षय, कुष्ठ, शूल, रक्तविकार, भगद्वर, जलोद्वर, नेत्रपीड़ा, शिरोवेदना आदिक रोग तथा शीत उपशु (सरदी गरमी) के आताप और (कुचो-नियोगें) परिच्छमशु आदि अनेक दुःखोंकी प्राप्ति होती है ।' यथा—

खयकुटसूतपूलो लोयभगदरजलोदरक्तिसिरो-  
स्मीदुएहवशराई पूजादाणंतरायकमफलं ॥ ३३ ॥

इस लिये जो कोई जाति-विरादरी अधिका पंचायत किसी जैनीको जैनमंदिरमें न जाने अधिका जिनपूजादि धर्मकार्योंसे वचित रखने का दण्ड देती है वह अपने अधिकार का अतिक्रमण और उल्लंघन ही नहीं करती बल्कि घोर पापका अनुष्ठान करके स्वयं अपराधिनी बनती है । ऐसी जाति-विरादरियोंके पंचोंकी निरंकुशता के विरुद्ध आजाज उठने की झड़त है और उसका बोतावरण ऐसेही लेखोंके द्वारा पैदा किया जा सकता है । आजकल जैन पंचायतोंने 'जाति-बहिष्कार' नामके तीक्ष्ण

इथियार को जो एक जिलौने की तरह अपने हाथमें ले रखता है और, जिना उसका प्रयोग जाने तथा अपने बलादिक और देशकालकी स्थिति को समझे, जहाँ तहाँ यद्धातद्धारूपमें उसका व्यवहार किया जाता है वह धर्म और समाजके लिये बड़ा ही भयकर तथा हानिकारक है। इस विषयमें श्रीसोमदेवसूरि अपने \* 'शशस्त्रक' प्रन्थ में लिखते हैं :—

नवैः संदिग्धनिर्वाहै विदध्याद्वार्णवर्धनम् ।

एकदोषकृते त्यज्यः प्राप्ततत्वः कथं नरः ॥

यतः समयकार्यार्थो नानापञ्चजनाध्यः ।

अतः संबोध्य यो यत्र योग्यस्तं तत्र योजयेत् ॥

उपेक्षायां तु जापेत तत्वाद्वदूरतरो नरः ।

ततस्तस्य भवो दीर्घः समयोऽपि च हीयते ॥

इन पदों का आशय इस प्रकार है :—

'ऐसे ऐसे नवीन मनुष्यों से अपनी जाति की समूह-बृद्धि करनी चाहिये जो संदिग्धनिर्वाह हैं—आर्थात्, जिनके विषय में यह संदेह है कि वे जाति के आचार-विचार का यथेष्ट पालन कर सकेंगे। ( और जब यह बात है तब ) किसी एक दोष के कारण कोई विद्वान् जाति से बहिष्कार के योग्य कैसे हो सकता है ? चूंकि सिद्धान्ताचार-विषयक धर्म कार्यों का प्रयोग नाना पञ्चजनों के आभित है—उन के सहयोग से सिद्ध होता है—अतः समझाकर जो जिस कामके योग्य हो उसको उसमें लगाना चाहिये—जातिसे प्रथक् न करना चाहिये। यदि किसी दोषके कारण एक व्यक्तिकी—प्राप्तकर विद्वान्<sup>१</sup>—

\* यह ग्रंथ शुक सं० ८८१ ( वि० सं० १०१६ ) में बनकर समाप्त हुआ ।

उपेक्षा की जाती है—उसे जाति में रखने की पर्याप्ति न करके जाति से प्रयत्न किया जाता है—तो इस उपेक्षा से वह मनुष्यत्व से बहुत दूर जा पड़ता है । तत्व से दूर जा पड़नेके कारण उसका समाज बढ़ जाता है और धर्म की भी क्षति होती है—अर्थात्, समाजके साथ साथ धर्म को भी भारी हानि उठानी पड़ती है, उस का यथेष्ट प्रचार और पालन नहीं हो पाता ।

आचार्यमहोदय ने अपने चाकयों द्वारा जैन जातियों और पंचायतों को जो गहरा परामर्श दिया है और जो दूर की बात सुझाई है वह सभीके ध्वनि देने और मनन करनेके योग्य है । जब जब इस प्रकार के सदुपदेशों और सत्परामर्शों पर ध्यान दिया गया है तब तब जैन समाजका उत्थान होकर उसकी हालत कुछ से कुछ होनी रही है—इसमें अच्छे अच्छे राजा भी हुए, मुनि भी हुए और जैनियों ने अपनी लौकिक तथा पारलौकिक उन्नति में यथेष्ट प्रगति की,—एरन्तु जब से उन उपदेशों तथा परामर्शों की उपेक्षा की गई तभी से जैन समाज का पतन हो रहा है और आज उसकी इतनी पतिताखस्था हो गई है कि उसके अभ्युदय और समृद्धि की प्रायः सभी बाँहें स्वप्न जैसी मालूम होती हैं, और यदि कुछ पुरातत्वहों अथवा ऐतिहासिक विद्वानों द्वारा थोड़ासा प्रकाश न डाला जाता तो उन पर एकाएक विश्वास भी होना कठिन था । ऐसी हालत में, अब ज़रूरत है कि जैनियों की प्रत्येक जाति में ऐसे बीर पुरुष पैदा हों अथवा खड़े हों जो बड़े दूर प्रेम के साथ युकिपूर्वक जातिके पंचों तथा मुखियाओं को उनके कर्तव्य का ज्ञान कराएँ और उनकी समाज-हित-विरोधनी निरंकुश प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिये जी जान से प्रयत्न करें । ऐसो होने पर ही समाज का पतन रुक सकेगा और उस

में फिर से वही स्वास्थ्यप्रद जीवनदाता और समृद्धिकारक पर्यावरण का उत्तम संकेत जिसका बहना अब बंद हो रहा है और उस के कारण समाज का सांस घुट रहा है।

समाज के दड़-विधान और उसके परिणाम-विषयक इन्हीं सब बातोंको ध्यान से सूच वाक्यों द्वारा सुझाने अथवा उनका संकेतप्राप्त करने के उद्देश्य से ही वह चारदिश बाला लेख लिखा गया था।

समालोचकजीको यदि इन सब बातोंका कुछ भी ध्यान होता तो वे ऐसे सदुउद्देश्य से लिखे हुए इस लेखके विरोधमें ज़राभी लेखनी न उठाते। आशा है लेखोंउद्देश्य के इस स्पष्टीकरणसे उनका बहुत कुछ समाधान होजायगा और उनके द्वारा सर्वसाधारणमें जो भ्रम फैलाया गया है वह दूर हो सकेगा।

## वेश्याओं से विवाह ।

पृष्ठक के आशय-उद्देश्यका विवेचन और स्पष्टीकरण करने आदि के बाद अब मैं उदाहरणोंकी उन बातों पर विचार करता हूँ जिन पर समालोचना में आक्षेप किया गया है, और सबसे पहले इस चारदिश बाले उदाहरणको ही लेता हूँ। यही पहले लिखा भी गया था, जैसा कि शुरू में ज़ाहिर किया जा चुका है। समालोचकजी ने जो इसे वसुदेव जी बाले उदाहरण के बाद लिखा बतलाया है वह उनकी भूल है।

इस उदाहरण में सिर्फ दो बातों पर आपत्ति की गई है एकतो वसंतसेना वेश्याको अपनी रुपी रूप से स्वीकृत करने अथवा खुल्लमखुल्ला घर में ढोल लेने पर, और दूसरी इस बात पर कि चारदिश के साथ कोई घृणा को व्यवहार नहीं किया गया। इनमें से दूसरी बात पर जो आपत्ति की

गई है वह तो कोई खास महत्व नहीं रखती। उसका तात्पर्य सिर्फ़ इतना ही है कि 'सप्तश्यसनों में वेश्या सेवन भी एक व्यसन है, इस व्यसनको सेवन करने वाले बहुत से मनुष्य होंगये हैं परन्तु उनमें चारुदत्त का नाम ही जो खास तौर से प्रसिद्ध चला आता है वह इस बात को सुनित करता है कि इस व्यसन के सेवन में चारुदत्त का नाम जैसा बदनाम मुझा है वैसा दूसरे का नहीं। नाम की यह बदनामी ही चारुदत्तके प्रति घृणा और तिरस्कार है, इस लिये उस समयके लोग भी ज़बर उसकेप्रति घृणा और तिरस्कार किये बिना न रहे होंगे।' इस प्रकारके अनुमान को प्रस्तुत करनेके सिवाय, समालोचक जी ने दूसरा कोई भी प्रमाण किसी प्रन्थ से ऐसा पेश नहीं किया जिससे यह मालूम होता कि उस वक्त की जानि-जिरादरी अथवा जनताने चारुदत्तके व्यक्तित्वके प्रति घृणा और तिरस्कार का असुक व्यवहार किया है। और अनुमान जो आपने बाँधा है वह समुचित नहीं है। क्योंकि एक वेश्याव्यसनोंके क्षमत्वमें चारुदत्त का जो कथानक प्रसिद्ध है वह, एक रोगीमें व्यक्त होनेवाले रोगके परिणामोंको प्रदर्शित करने की तरह, चारुदत्तके उस दोषका फल प्रदर्शन अथवा उससे होनेवाली मुसीबतोंका उल्लेख मात्र है और उसे ज्यादा से ज्यादा उसके उस दोषकी निन्दा कह सकते हैं। परन्तु उससे चारुदत्तके व्यक्तित्व (शास्त्र-सिद्धि) के प्रति घृणा या तिरस्कारका कोई भाव नहीं पाया जाता जिसका निषेध करना उदाहरणमें अभीष्ट था और न किसीके एक दोषकी निन्दासे उसके व्यक्तित्वके प्रति घृणा या तिरस्कारका हानालाजिमी आता है। दोषकी निन्दा और बात है और व्यक्तित्वके प्रति घृणा या तिरस्कार का होना दूसरी बात। श्रीजिनसेनाचार्य-विरचित हरिवंशपुराणादि किसी भी ग्राचीन प्रन्थमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता जिससे

यह पाता जाता हो कि चारुदत्तके साथ उस एक जनतोका व्यवहार तिरस्कारमय था । प्रस्तुत इसके, यह मालूम होता है कि चारुदत्तका काका स्वयं वेश्याव्यवसनीथा, चारुदत्तकी माता सुभद्राने, चारुदत्तको ली-संभोगसे विरक्त होकर, इसी काकाके द्वारा वेश्याव्यवसनमें लगायाथा# ; वेश्या के घर से निकाले जाने पर जब चारुदत्त अपने घर आया तो उसकी ली ने ब्यापार के लिये उसे अपने गहने दिये और वह मामाके साथ विदेश गया ; विदेशोंमें चारुदत्त अनेक देवों तथा विद्याधरों से पूजित, प्रशंसित और सम्मानित हुआ ; उसे प्रामाणिक और धार्मिक पुरुष समझ कर 'गंधर्वसंना' नामकी विद्याधर-कन्या उसके समर्थ भाइयों द्वारा विवाह करदेनेके लिये सौंपी गई और जिसे चारुदत्तने पुत्रीकी तरह रखा ; चारुदत्त के पीछे वसन्तसेना वेश्या उसकी माताके पास आ रही और माताकी सेवा सुधृष्टा करते हुए निःसंकोच भावसे उसके घरों रहने पर कहीं से भी कोई आपसि नहीं की गई ; चारुदत्तके विदेशसे वापिस आने पर मातादिक कुटुम्बीज्ञ और चम्पापुरी नगरीके सभी लोग प्रसन्न हुए और उन्होंने चारुदत्त के साथ महती तथा अद्भुत प्रीति को धारण किया x ; चारुदत्तने उस वसन्तसेना वेश्याको अंगीकार किया

#ब्रह्मनेभिदत्त ने भी आराधनाकथा कोश में लिखा है :—

तदा स्वपुत्रस्य मोहेन संगति गणिकादिभि ।

सुभद्रा कारयामास तस्योचैर्लम्पद्वैर्जनैः॥

x ब्रह्मनेभिदत्तके कथाकोशमें चम्पापुरीके लोगों आदि की इस प्रीतिका उल्लेख निम्न प्रकार से पाया जाताहै :—

भानुः ओष्ठी सुभद्रा सा चारुदत्तागमे तदा ।

अन्ये चम्पापुरीलोकाः प्रीतिं प्राप्ता महाद्वृताम् ॥

जो उसी को एक चति मान कर उसके घर पर रहने लगी थी, 'किमिच्छुक' दान देकर दीनों और अनाथों आदिको संतुष्ट किया, गंधर्वसेवा की प्रतिक्षावुसार उसका पति निश्चित करनेके लिये अबेक थरट गंधर्वविद्याके ज्ञानकार विद्वानोंकी समांग जुटाई, प्रतिक्षा पूरी होने पर वसुदेवके साथ उसका विवाह किया, और बराबर जैनधर्मका पालन करतेहुए अन्त को जैनमुनि दीक्षा धारण की ॥५॥ इसके सिवाय, वसुदेवजीने चाहुदतका वेश्याध्यसनादिसहित सारा पूर्व वृत्तांत सुनकर और उससे सन्तुष्ट होकर चाहुदतकी प्रशंसा में निम्न वाक्य कहे—  
चाहुदतस्य चोत्साहं तुष्टस्तुष्टाव यादवः ॥१८॥

अहोचेष्टितमार्यस्य महोदार्यसमन्वितम् ।

अहो पुण्यबलं गणयमनन्यपुरुषोचितम् ॥१९॥

न हि पौरुषमीहन्तं विना दैवबलं तथा ।

ईहनान् विभवान् शक्याः प्राप्तं समुखेचराः ॥२०॥

—हरिवंशपुराण ।

भाषामें पं० गजाधरलाल जी ने इन्हीं प्रशंसावाक्यों को निम्न प्रकार से अनुवादित किया है :—

“कुमार वसुदेवको परम आनंद हुआ उन्होंने चाहुदतकी इस प्रकार प्रशंसा कर [को] कि—आप उसम पुरुष हैं, आपकी जेष्ठा धन्य है उदारता भी लोकोचर है अन्य पुरुषों के लिये

× यथाः—चाहुदतः सुधीश्चापि भुक्त्वा भोगान्स्वपुरुण्यतः ।

समाराध्यजिनेन्द्रोकं धर्मं शर्माकर चिरं ॥४२॥

ततो वैराग्यमासाद्य मुन्द्रराख्यसुताय च ।

इत्वा अेष्टिपदं पूत दीक्षां जैनेभरी धितः ॥४३॥

—नेमिदत्त-कथाकोश ।

सर्वथा दुर्लभ यह आपका पुण्यदत्त भी अचिन्त्य है ॥१८१-१८२॥  
विना भाष्य के ऐसा पौन्य होना अति कठिन है ऐसे उत्तमोसम  
भोगों को मनुष्यों की तो क्या बात सामान्य देख विद्याधर भी  
प्राप्त नहीं कर सकते ॥

और हरिवंशपुण्य के २५वें सर्ग के अन्त में श्रीजिनसेना  
चार्य ने चारुदत्तजीको भी वसुदेवकी तरह रूप और विद्वान  
के सांगर तथा धर्म अर्थ कामरूपी त्रिवर्ग के अनुभवी अथवा  
उसके अनुभवसे संतुष्टचित्त प्रकट किया है, और इस तरह पर  
दोनों को एक ही विशंखणों द्वारा उल्लेखित किया है यथा—

इत्यन्योन्यस्वरूपद्वा रूपविद्वानसागराः ।

त्रिवर्गानुभवप्रीताश्चारुदत्तादयः स्थिताः ॥१८५॥

इन सब बातों से यह स्पष्ट जाना जाता है कि चारुदत्त  
अपने कुटुम्बीजनों, पुरजनों और इतरजनों में से किसी के भी  
द्वारा उस वक्त तिरस्कृत नहीं थे और न कोई उनके व्यक्तित्व  
को घृणाकी दृष्टिसे देखता था । इसी से लेखक ने लिखा था  
कि “उस समय की जाति विरादरी ने चारुदत्त को जाति से  
च्युत अथवा विरादरी से खारिज नहीं किया और न दूसरा ही  
उसके साथ कोई घृणाका व्यवहार किया गया ।” परन्तु समा-  
लोचक जी अपने उक्त दूषित अनुमानके भरोसे पर इसे सफेद  
भूढ़ बतलाते हैं और इसलिये पाठक उक्त संपूर्ण कथन पर से  
उनके इस सफेद सत्य का स्वयं अनुमान कर सकते हैं और  
उसका मूलप जाँच सकते हैं ।

अब पहिली बात पर कीगई आपत्तिको लीजिये । समालो-  
चक जी की यह आपत्ति बड़ी ही विचित्र मालूम होती है ।  
आप यहाँ तक तो मानते हैं कि चारुदत्त का वसंतसेना वेश्या  
के साथ एक व्यसनी जैसा सम्बन्ध था, वसन्तसेना भी

चारुदत्त पर आसक थी और उसके प्रथम दर्शन दिवस से ही यह प्रतिक्षा किए हुए थी कि इस जन्म में मैं दूसरे पुरुष से संभोग नहीं करगी; चारुदत्त उससे लड़भिड़ कर या नाराज़ होकर विदेश नहीं गया बल्कि वेश्या की माता ने धन के न रहने पर जब उसे अपने घर से निकाल दिया तो वह धन कमाने के लिये ही विदेश गया था, उसके विदेश जाने पर वसन्तसेना ने, अपनी माता के बहुत कुछ कहने सुनने पर भी, किसी दूसरे धनिक पुरुष से अपना सम्बन्ध जोड़ना उचित नहीं समझा और अपनी माता को यही उत्तर दिया कि चारुदत्त मेरा कुमारकालका पति है मैं उसे नहीं छोड़ सकती, उसे छोड़ कर दूसरे कुबेर के समान धनवान पुरुष से भी मेरा कोई मतलब नहीं है, और फिर अपनी माता के घर का ही परित्याग कर वह चारुदत्त के घर पर जा रही और उस की मातादिक की सेवा करती हुई चारुदत्तके आगमन की प्रतीक्षा करने लगी; साथ ही, उसने एक आर्यिंका से शावकके ब्रत लेकर इस बात की ओर भी रजिष्ट्री कर दी कि वह एक पतिव्रता है और भविष्य में वेश्यावत्ति करना नहीं चाहती। इसके बाद चारुदत्त जी विदेश से विपुलधन-सम्पत्ति के साथ वापिस आए और वसन्तसेना के अपने घर पर रहने आदिका सब द्वाल मालूम करके उससे मिले और उन्होंने उसे बड़ी खुशी के साथ अपनाया—स्वीकार किया। परन्तु यह सब कुछ मानते हुए भी, आपका कहना है कि इस अपनाने या स्वीकार करनेका यह अर्थ नहीं है कि चारुदत्तने वसन्तसेना को खो रूपसे स्वीकृत कियाथा या घरमें द्वाल लियाथा बल्कि कुछ दूसरा ही अर्थ है, और उसे आपने निम्न दो वाक्यों द्वारा सूचित किया है—

(१) “चारुदत्तने उपकारी और ब्रतधारण करनेवाली समझ कर ही वसन्तसेना को अपनाया था ॥”

(२) “असल बात यह है कि वसन्तसेना सेवा सुधूषा करने के लिये आई थी, और चारुदत्त ने उसे इसी रूप में आपना लिया था । ”

इन में पहले वाक्य से तो आपनाने का कोई विसरण अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। हाँ, दूसरे वाक्य से इतना जरूर मालूम होता है कि आपने वसन्तसेना का खोसे मिज्जसेवा सुधूषा करने वाली के रूप में आपनाने का विधान किया है अथवा यह प्रतिपादन किया है कि चारुदत्त ने उसे एक खिदमतगारनी या नौकरनी के तौर पर आपने यहाँ रखा था । परन्तु रोटी बनाने, पानी भरने, बर्तन मांजने, बुढ़ारी देने, तैलादि मर्दन करने, नहलाने, बच्चों का खिलाने या पक्का भालने आदि किस सेवा सुधूषा के काम पर वह वेश्यापुत्री रखको गई थी, इस का आपने कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं किया और न कहीं पर यही प्रकट किया कि चारुदत्त, अमुक अवसर पर, आपनी उस चिरसंगिनी और चिरभुक्ता वेश्या से पुनः संभोग न करने या उससे काम सेवा न लेने के लिये प्रतिष्ठावद्ध होनुके द्ये अथवा उन्होंने आपनी एक खोका ही ब्रत ले लिया था । यही आपकी इस आपत्तिका सारा रहस्य है, और इसके समर्थनमें आपने जिनसेनाचार्यके हृतिवंशपुराणसे सिर्फ़ एक श्लोक उद्धृत किया है, जो आपके ही अर्थ के साथ इस प्रकार है:-  
 तांसु[\*शु]श्रूषाकरी[री] स्वसूः[शश्रवाः]+आर्यातेव्रत संगतां।  
 श्रुत्वा वसंतसेनां च प्रतिः [ प्रीतः ] स्वीकृतवानहम् ॥ ”

\*ब्रैकट में जो रूप दिये हैं वे समालोचक जी के दिये हुए उन अल्पों के शुद्ध पाठ हैं जो उन से पहले पाये जाते हैं । +इस का अर्गह “ सदेष्व्रत संगताम् ” ऐसा पाठ देहली के नवे मंदिर की प्रति में पाया जाता है ।

“अर्थ—‘वेश्या वसन्तसेना अपनी माँका घर परित्यागकर मेरे घर आगई थी । और उसने आर्द्धिकाके पास जा आवकके बत धारण कर मेरी माँ और स्त्रीकी पूर्ण सेवाकी थी इसलिये मैं उससे भी मिला उसे सहर्ष अपनाया ।’

पं० दौलतरामजी ने अपने हरिवंशपुराणमें, इस श्लोककी भाषा टोका इस प्रकार दी है :—

“और वह कर्लिंगसेना वेश्याकी पत्री वसंतसेना पनिवना मेरे विदेश गए पीछे अपनी माताका घर लौड़ि आर्यनिके निकट आवकबत अंगीकार करि येरो मातानिके निकट आय रही । मेरी माताकी अर स्त्रीकी बानै अति सेवा करी । सो दोऊहीं बातै अतिप्रसन्न रहे । अर जगतिमें बहुत बाका जस भयो सो मैं हूँ अति प्रसन्न होय बाहि अंगीकार करना भया ।”

यह श्लोक चारुदत्तजीने, वसदेवजीको अपना पूर्व परिचय देते हुए उस समय कहा है जबकि गंधर्वसेनाका विवाह हो चुका था और चारुदत्तको विदेशमें चम्पापुरी वापिस आए बहुतसे दिन बीत चुके थे—गंधर्व विद्याके जानकर विद्वानोंकी महीने दर महीने की कई सभाएं भी हो चुकी थीं ।

इस संपूर्ण वस्तुस्थिति, कथनमम्बन्ध और प्रकरण परसे, यद्यपि, यही ध्वनि निकलती है और यही पाया जाता है कि चारुदत्तने वसन्तसेनाको अपनी स्त्री बना लिया था, और कोई

‘मूल श्लोकके शब्दों परसे उसका स्पष्ट और संगत अर्थ सिर्फ इतना ही होता है :—

‘और वसंतसेनाके विषयमें सासकी (मेरी माताकी) सेवा करने तथा आर्द्धिकाके पाससे बत प्रहण करने का हाल सुनकर मैंने प्रसन्नतापूर्वक उसे स्वीकार किया— अंगीकार किया ।’

भी सहृदय विचारशील इस बातकी कहणना नहीं कर सकता कि चारुदत्तने वसंतसेनाको, उससे काम सेवाका कोई काम न लेते हुए, केवल एक जिद्गमतगारिनी या नौकरीके तौर पर आपने पास रखा होगा—ऐसी कहणना करना उस सद्विचार-सम्पन्नाके साथ न्याय न करते उसका अपमान करना है; फिर भी समालोचकजीकी ऐसीही विलक्षण कहणना जान पड़ती है। इसीसे आप अपनीही बात पर जोर देने हैं और उसका आधार उक्त श्लोकमें ऐसी कौनसी बात है जिसका आप आधार लेते हों अथवा जिससे आपके अर्थका समर्थन हो सकता हो। किसी भी विरुद्ध कथनके साथमें न होतेहुए, एक लड़ीको अंगीकार करने का अर्थ उसे स्त्री बनानेके सिवाय और क्याहो सकता है? क्या 'स्वीकृतवान्' पदसे पहले 'खीरपेण' ऐसा कोई पद न होनेसे ही आप यह समझ वैठे हैं कि वसंतसेना की खीरपसे स्वीकृति नहीं हुई थी या उसे खीरपसे अंगीकार नहीं किया गया था? यदि ऐसा है तो इस समझपर सहज धन्यवाद है? जान पड़ता है अपनी इस समझके भरोसे परही आपने श्लोकमें पढ़े हुए 'श्वश्रवाः' पदका कोई ख़्याल नहीं किया और न 'स्वीकृति' या 'स्वीकार' शब्दके प्रकरणसंगत अर्थ पर ही ध्यान देनेका कुछ कष्ट उठाया !! श्लोकमें 'श्वश्रवाः' पद इस बातको स्पष्ट बतला रहा है कि चारुदत्त ने वसुदेवसे बातें करते समय अपनी माताको वसन्तसेनाकी 'सास' रूपसे उल्लेखित किया था और इससे यह साफ़ जाहिर है कि वसुदेव के साथ वार्तालाप करने से पहले चारुदत्तको वसंतसेनाके साथ विवाह हो चुका था। स्वीकरण, स्वीकृति, और स्वीकार शब्दों का अर्थ भी विवाह होता है—इसीसे बामन शिवराम पेठेने आपने कोश में इन शब्दोंका अर्थ Espousal, wedding तथा marriage

भी दिया है और इसी लिये उक्त श्लोकमें 'स्वीकृतवान्' से पहले 'खीरपेश' पदकी या इसी आशय को लिये हुए किसी दूसरे पदके देनेकी काई जरूरत नहीं थी—उसका देना व्यर्थ होता। स्वयं श्रीजिननेनाचार्यने अन्यत्र भी, अपने हरिवशपुराण में, 'स्वीकृत' को 'विवाहित ( ऊढ़ )' अर्थ में प्रयुक्त किया है, जिसका एक स्पष्ट उदाहरण इस प्रकार है :—

\* यागकर्मणि निवृत्ते सा कन्या राजसूनना ।

स्वीकृता तापसा भूपं भक्तं कन्यार्थमागताः॥३०॥

कौशिकायात्र तैस्तस्यां याचितायां नृपोऽवदत् ।

कन्या सोढा कुमारेण यातेत्युक्तास्तुते ययुः॥३१॥

—२४ वाँ सर्ग ।

ये दोनों पद्य उस यज्ञप्रकरण के हैं जिसमें राजा अमोघ-दर्शन ने रंगसेना वेश्याकी पुत्री 'कामपताका' वेश्या का नन्त्यकराया था और जिसे देखकर कौशिक ऋषि भी त्रुभित हो गये थे। इन पद्यों में बतलाया है कि 'यज्ञकर्म' के समाप्त होने पर उस ( कामपताका ) कन्या को राजपुत्र ( चारुचंद्र ) ने स्वीकार कर लिया। ( इसके बाद ) कुछ तापस लोग कन्या के लिये भक्त राजा के पास आए और उन्होंने 'कौशिक' के

\* जिनदास ब्रह्मचारीके हरिवशपुराण में भी 'स्वीकृत' को 'ऊढ़' ( विवाहित ) अर्थ में प्रयुक्त किया है। यथा :—

ततः कदाचित्सा कन्या स्वीकृता राजसूनना ।

तापसास्तेपिकन्यार्थं नृपपाशं समागताः॥३०॥

प्रार्थितायां नृपोशादीत्यस्यां सोढा विधानतः।

कुमारेण ततो यूथं यात स्वस्थानमुत्सुकाः॥३१॥

—१०४ वाँ सर्ग ।

लिये उसकी बाचना की । इस पर राजा के इस उत्तरको पाकर कि 'बहु कन्या तो राजपुत्रने विवाह ली है' वे लोग चले गये ।

इस उल्लेख परसे स्पष्ट है कि श्रीजिनसेनाचार्य ने बहुले पदमें जिस बातके लिये 'स्वीकृता' पदका प्रयोग किया था उसी बातको अगले पदमें 'ऊढ़ा' पदसे ज़ाहिर किया है, जिससे 'स्वीकृता' (स्वीकार कर ली) और 'ऊढ़ा' (विवाह ली) दोनों पद एक ही अर्थके बाचक सिद्ध होते हैं । पं० दौलतगामजी ने 'स्वीकृता' का अर्थ 'अङ्गीकार करी' और 'ऊढ़ा' का अर्थ 'घरी' दिया है । और समालोचकजीके अद्वास्पद पं० गडाधरलालजी ने, उक्तपदोंका अर्थ देतेहुए, 'स्वीकृता'को तरह 'ऊढ़ा'का अर्थ भी 'स्वीकृत करली' किया है और इस तरह पर यह घोषित कियाहै कि ऊढ़ा (विवाहिता, और 'स्वीकृता'दोनोंएकार्थबाचक पद हैं ।

ऐसी हालतमें यह बात बिलकुल निर्विवाद और निःसन्देह जान पड़ती है कि आरदत्तने वसन्तसेना वेश्याके साथ विवाह किया था—उसे अपनी खी बनाया था—और उसी बातका उल्लेख उनकी तरफसे उक्त झड़ाकमें किया गया है । और इस लिये उक्त झड़ोकमें प्रयुक्त हुए "स्वीकृतवान्" पदका स्पष्ट अर्थ "विवाहितवान्" समझना चाहिये ।

खेद है कि, इतना स्पष्ट मामला होतेहुए भी, समालोचकजी, सेवकके व्यक्तित्वपर आँखेप करते हुए, लिखतहैं—

"आरदत्तने वसन्तसेनाको घरमें नहीं डाल लिया था और न उसे खी रूपसे स्वीकृत किया था, जैसाकि बाबू साहबने लिखा है । यह दानोंबातें शास्त्रोंमें नहीं हैं न आने वाले साहबने कहाँसे लिखदी हैं बाबू साहबकी यह पुरानी आदत है कि जिस बातसे अपना मतलब विकलता देखते हैं उसी बातको अपनी ओरसे मिलाकर झट लोगोंको खोखेमें डाल देते हैं ।"

समालोचकजीके इस लिखनेका क्यामूल्य है, और इसके द्वारा क्षेत्रपर उन्होंने कितना भूड़ा तथा नीच आँखेप किया है, इसे पाठक अब स्वय समझ सकते हैं। समझमें नहीं आता कि एक वेश्यासे विवाह करने या उसे खी बना लेनेकी पुरानी बातको मान लेनेमें उन्हें क्यों संकोच हुआ और उसपर क्यों इतना पारबंद रचा गया ? वेश्याओंसे विवाह करलेनेकेतो और भी कितने ही उदाहरण जैनशास्त्रमें पाये जाते हैं, जिनमेंसे 'कामपताका' वेश्या का उदाहरण ऊपर दिया ही जा चुका है; और # 'पुण्यास्त्रव' कथाकोशमें लिखा है कि 'पंचसुगंधिनी' वेश्याकी 'किन्नरी' और 'मनोहरी' नामकी दो पुत्रियाँ थी, जिनके साथ जयंधरके पुत्र प्रतापंधर अपरनाम 'नागकुमार' ने, पिताकी आँखासे, विवाह किया था + । ये नागकुमार जिनपूजन किया करतथे, उन्होंने अन्तको जिनदीक्षा ली और वे केवलक्षानी होकर मोक्ष पधारे × । उनकी इस कृतिसे—अर्थात्, साक्षात्

\*यह पुण्यास्त्रव कथाकांश केशवनन्दि मुनिके शिष्य रामचन्द्र मुमुक्षुका बनाया हुआ है। इसका भाषानुवाद पं० नाभूरामजी प्रेमाने किया है और वह सन १९०७ में प्रकाशितभी होचुका है।

+ यथा—"एकदा राजास्थानं पंचसुगंधिनीतामवेश्या समागत्य भूष विहापयतिस्म देव ! मे सुते द्वे किन्नरी मनोहरी वीणावस्थमवर्गविते नागकुमारस्यादेशं देहि तयोर्व॑ष परीक्षितुं । .....तेचात्यासके पितृवर्षनेन परिणीतवान् प्रतापंधरः सुखमास ।"—इति पुण्यास्त्रवः ।

× "...प्रतापधरोमुनिश्चतुःषष्ठिवर्षाणि तपश्चकार कैलासे केवली जहे ।"—इति पुण्यास्त्रवः ।

अर्थात्—प्रतापंधर ( नागकुमार ) ने मुनि होकर ६४ वर्ष तप किया और फिर कैलासपर्वत पर केवल हानको प्राप्त किया ।

इतिहासान वेश्या-पुक्षियोंको अपनी खी बना लेनेसे—जैन-धर्मको कोई कलंक। नहीं लगा। जिसके लगानेकी समालोचक जीने समालोचनाके अन्तमें आशुका की है, वे बराबर जिनपूजा करते हैं और उससे उनकी जिनदीद्वा तथा आत्मोन्नतिको चरमसीमा तक पहुँचानेके कार्यमें भी कोई बा बा नहीं आसकी। इसलिये एक वेश्याको खी बनालेना आजकलकी उपचिसे भलेही लोकविरुद्धहो परन्तु वह जैनधर्मके सर्वथा विरुद्ध नहीं कहल सकता और न पहले ज़माने में सर्वथा लोकविरुद्ध ही समझा जाता था। आजकल भी बहुवा देशहितैषियोंकी यह धारणा पाई जाती है कि भारतकी सभी वेश्याएँ, वेश्यावृत्तिको छुड़ कर, यदि अपने अपने प्रधान प्रेमीक घर बैठजायें—गृहस्थधर्म में दीक्षित होकर गृहस्थन बन जायें अथवा ऐसा बननेकेलिये उन्हें मजबूर किया जासके—और इसतरह भारतसे वेश्यावृत्ति उठजाय तो इससे भारतका नैतिकपतन रुककर उसका बहुत कुछ कल्याण हो सकता है। वे वेश्यागमन या व्यसनकी अपेक्षा एक वेश्यासे, वेश्यावृत्ति छुड़ाकर, शादी करलेनेमें कम पाप समझते हैं। और, कामपिशाचके बशबती होकर, वेश्याके द्वारपर एड़े रहने, ठोकरें जाने, अपमानित तथा पहदलित होने और अनेक प्रकारकी शारीरिक तथा मानसिक य त्रणाएँ सहते हुए अन्तको पतितावस्थामें ही मर जानेको घोरपाप तथा अधर्म मानते हैं। अस्तु।

## कुटुम्ब में विवाह ।

चाहूदतके उदाहरणकी सभी आपत्तियोंका निरसन कर अब मैं दूसरे-बसुदेवजी बाले-उदाहरणकी आपत्तियोंको लेता हूँ। इस उदाहरण में सबसे बड़ी आपत्ति 'देवकीके' विवाह

पर की गई है। देवकी का वसुदेव के साथ विवाह हुआ, इस बात पर, यद्यपि, कोई आपत्ति नहीं है परन्तु 'देवकी रिश्ते में वसुदेव की भटीजी थी' यह कथन ही आपत्ति का खास विषय बनाया गया है, और इसे लेकर जूब ही कोलाहल मचाया गया तथा जमीन आरुमान एक किया गया है। इस आपत्तिपर विचार करने से पहले, यहाँ प्रकृत आपत्ति विषयक कथनका कुछ घोड़ा सा पूर्व इतिहास दे देना उचित नालूम होता है और वह इस प्रकार है :—

( १ ) सन् १८१० में, लाहौर से पं० दौलतराम जी कृत भाषा हरिषंशपुराण प्रकाशित हुआ और उसकी विषय-सूची में देवकी और वसुदेवके पूर्वोत्तर सम्बन्धोंको निम्न प्रकार से घोषित किया गया ।—

"वसुदेवका अपने बाबाके भाई राजा सुधीरकी(पड़)पोती कंसकी बहन देवकीसे विवाह हुआ ।"

इस घोषणा के किसी भी अश पर उस समय आपत्ति की कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं सुन पड़ी ।

( २ ) १७ फरवरी सन् १८१३ के जैन गजट में सरनड निवासी पं० रघुनाथदासजी ने, "शास्त्रानुकूल प्रवर्तना चाहिये" इस शीर्षक का एक लेख लिखा था और उस में कुछ रुद्धियों पर अपने विचार भी प्रगट किये थे। इस पर लेखकजी और से "शुभ चिह्न" नाम का एक लेख लिखा गया और वह २४ मार्च सन् १८१३ के 'जैनमित्र' में प्रकाशित हुआ, इस लेख में पंडित जी के डक 'शास्त्रानुकूल प्रवर्तना चाहिये' वाक्य का अभिनंदन करते हुए और समाज में रुद्धियों तथा रस्म रिवाजों का विवेचन प्रारम्भ होने की आवश्यकता जतलाते हुए, कुछ शास्त्रीय प्रमाण पंडित जी की भेट किये गये थे और उन पर निष्पक्षभाव से विचारने को प्रेरणा भी की गई थी । उन

प्रमाणों में चौथे नम्बर का प्रमाण इस प्रकार था:—

“ उक्त ( जिनसेनाचार्यकृत ) हरिवंशपुण्य में यह भी लिखा है कि बसुदेव जी का विवाह देवकी से हुआ । देवकी गाजा उप्रसेन की लड़की और महाराज सुवीर की पड़पोती ( प्रपौत्री ) थी और बसुदेव जी महाराजा सूर के पोते थे । सूर और सुवीर दोनों सगे भाई थे—अर्थात् श्रीनेभिनाथ के चचा बसुदेव जी ने अपने चचा जाद भाई की लड़की से विवाह किया । इससे प्रकट है कि उस समय विवाह में गोत्र का विचार वा बचाव नहीं किया जाता था ; नहीं मालूम परवारों में आजकल आठ आठ वा चार चार साकें ( शाखाएँ ) किस आधार पर मिलाई जाती हैं । ”

इस लेखके उत्तरमें पंडितजीने दूसरालेख, वही ‘शुभचिन्ह’ शीर्षक ढालकर, १६ जून सन १९१३ के जैनगढ़ट में प्रकाशित कराया, उसमें इस प्रमाणके किसीभी अंश परकोई आपत्तिनहीं कीगई और न दो इलोकोंके अर्थपर #आपत्तिकरने के सिवाय, दूसरेही किसी प्रमाणको अप्रमाण ठहराया गया । जैनमित्रके सम्पादक ब्र०शीतलप्रसादजीनेभी उक्त प्रमाण पर कोई आपत्ति नहींकी, हालाँकि उन्होंने लेखपर दो सं० नोट भी लगाये थे ।

(३) इसके छह वर्षबाद, ‘शिक्षाप्रदशाखीय उदाहरण’ नं० २ के नामसे बसुदेवजीके उदाहरणका यह प्रकृत लेख लिखा गया और अप्रैल सन १९१४ के ‘सत्योदय’ में प्रकाशित हुआ । उस घर्त इस लेखपर ‘पश्चावतोपुरवाल’ के सम्पादक पं० गजाधर-लालजी न्यायतीर्थ ने अपना विस्तृत विचार प्रकट किया था और उसमें इस बातको स्वीकार कियाथा कि देवकी उप्रसेनकी

\*अर्थ-विषयक इस आपत्तिका उत्तर ‘अर्थ-सर्थन’ नामके लेखद्वारा दिया गया था । १७ सितम्बर सन १९१३ के जैनमित्र में प्रकाशित हुआ था ।

पुत्री और बसुदेवकी भतीजी थीं। उनका वह विचार लेख आवण मासके पश्चातीपुरबाल अक न० ५ में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद सितम्बर सन १९२० के 'जैनहितैषी' में यही लेख प्रकाशित हुआ और वहाँ से चार वर्षके बाद अब इस पुस्तकमें उद्धृत किया गया है।

इस तरह पर देवका और बसुदेवके सम्बन्धका यह विषय इस पुस्तकमें कोई नया नहीं है बल्कि वह समाजके चार प्रसिद्ध पत्रों और एक ग्रन्थमें चर्चा जाकर बहुत पढ़लेसे समाजके विद्वानोंके सामने रखला जा चुका है और उसकी सत्यता पर इससे पहले कोई आपत्ति नहीं की गई अथवा यों कहिये कि समाजके विद्वानोंने उसे आपत्तिके योग्य नहीं समझा। ऐसी हालतमें समालोचकजीका इस विषयका लेकर व्यर्थका कोला हल मचाना और लेखकके व्यक्तित्व पर भी आकर्मण करना उनके अफाएड़ताएङ्ग तथा अविचार को सूचित करता है। लेखकने देवकीके विवाहकी घटनाका उल्लेख करतेहुए लिखा था

“देवकी राजा उप्रसेनकी पुत्री, नूपभाजक वृष्टिकी पौत्री और महाराज सुवीरकी प्रपौत्री थीं।

बसुदेव राजा अन्धकवृष्टिके पुत्र और नूप शरके पौत्र थे। ये नूप शर और देवकीक प्रपितामह ‘सुवीर’ दोनों संगे भाई थे। दोनोंके पिताका नाम ‘नरपति’ और पितामह (बाबा) का नाम ‘यदु’ था। ऐसा श्री जिनसेनाचार्यने अपने हरिवशपुराणमें सूचित किया है और इससे यह प्रकट है कि राजा उप्रसेन और बसुदेवजी दोनों आपसमें चचाताऊज्ञाद भाई लगते थे और इनलिये उप्रसेनकी लड़की ‘देवको’ रिशुतमें बसुदेवकी भतीजी (आतुजा) हुई। इस देवकीसे बसु देवका विवाह हुआ, जिसस स्पष्ट है कि इस विवाहमें

गोप्र तथा गोपकी शाकाओंका दालना तो दूररहा एक  
बंश और एक कुटुम्बका भी कुछ जायाल नहीं रखका  
गया ।”

इस कथनसे स्पष्ट है कि इसमें देवकी और वसुदेवकी  
रितेदारी का—उनके पूर्व सम्बन्ध का जो कुछ उल्लेख किया  
गया है वह सब भ्रीजिनसेनाचार्यके हरिवंशपुराण के आधार  
पर कियागया है। और इसलिये एक समालोचककी हैसियतसे  
समालोचकजीको इसपर यदि कोई आपत्ति करनी थी तो वह  
यातो जिनसेनाचार्यका लेखकरके करनी चाहिये थी—उनके  
कथनको मिथ्या ठहराना अथवा यह बतलाना चाहिये था कि  
वह अमुक अमुक जैनाचार्यों तब। विद्वानोंके कथनोंके विनाश  
है—और या वह इस रूपमें ही होनी चाहिये था कि लेखकका  
उक्त कथन जिनसेनाचार्यके हरिवंशपुराणके विरुद्ध है, और ऐसी  
हालतमें जिनसेनाचार्यके उनविराधीवाक्योंको दिखलानाचाहिये  
था। परन्तु समालोचकजीने यह सब कुछ भी न करके उक्त  
कथनको “सफेद झूठ” लिया है और उसे बैसा। सिद्ध करनेके  
लिये जिनसेनाचार्य का एक भी वाक्य उनके हरिवंशपुराणसे  
उद्भृत नहीं किया यह बड़ी ही विचित्र बात है ! हाँ, अन्य  
विद्वानोंके बनाये हुए पाँडवपुराण, नेमिपुराण, हरिवंशपुराण,  
उत्तरपुराण, और आराधनाकथाकोश नामक कुछ दूसरे प्रन्थों  
के वाक्य ज़रूर उद्भृत किये हैं और उन्हींके आधार पर लेखक  
के कथनको मिथ्या सिद्ध करना चाहा है, यह समालोचनाकी  
दूसरी विचित्रता है ! और इन दोनों विचित्रताओंमें समालो-  
चकजी की इस आपत्तिका सारा रहस्य आआता है। सहृदय  
पाठक इसपर से सहजहीमें इस बातका अनुभव कर सकते हैं  
कि समालोचकजी, इस आपत्तिको करते हुए, समालोचकके  
द्वायरेसे कितने बाहर निकल गये और उसके कर्तव्यसे कितने

मीचे गिर गये हैं । उन्हें इतनी भी समझ नहीं पड़ी कि लेखक अपने कथनको जिनसेनाचार्यके हरिवंशपुराणके आधार पर स्थितकर रहा है और इसलिये उसके विषयमें दूसरे ग्रन्थोंके आचार्योंको उद्धृत करना व्यर्थ होगा, उनसे वह कथन मिथ्या नहीं ठहराया जा सकता, उसे मिथ्या ठहरानेके लिये जिनसेनाचार्यके वाक्य ही पर्याप्त हो सकते हैं और यदि वैसे कोई विरोधी वाक्य उपलब्ध नहीं हैं तो या तो हमें कोई आपत्तिही न करनी चाहिये और या जिनसेनाचार्यको ही अपनी आपत्तिका विषय बनाना चाहिये ।

जैन कथा ग्रन्थों में सौंकड़ों बातें एक दूसरे के विरुद्ध पाई जानी हैं, और वह आचार्यों आचार्यों का परस्पर मतभेद है । पंडित टोडरमलजी आदि के सिवाय, पं० भागचन्द्रजी ने भी इस भेद भाव को लक्षित किया है और नेमिपुराण की अपनी भाषाटीका के अन्त में उसका कुछ उल्लेख भी किया है \* । परन्तु यहाँ पर हम एक बहुत प्रसिद्ध घटना को लेते हैं, और वह यह है कि सीता को उत्तरपुराण में रावण की पुत्री और पश्चपुराणादिक में राजा जनक की पुत्री बतलाया है । अब यदि कोई पुस्तक लेखक अपनी पुस्तकमें इस बात का उल्लेख

\* यथा:—“ यहाँ इतना और जानना इस पुराण की कथा [ और ] हरिवंशपुराणकी कथा कोई कोई मिलै नाहीं जैसे हरिवंशपुराण-विवैतो भगवानकाजन्म सौरीपुर कहा और इहाँ द्वारिका का जन्म कहा बहुरि हरिवंश में कृष्ण तीसरे नरक गया कहा इहाँ प्रथम नरक गया कहा और भी नाम आमादिक में फेर है सो इहाँ सम नाहीं करना । यह छापस्थ आचार्यन के कान में फेर पर्या है । ”—नेमिपुराण भाषा नानौताके एक मंदिर की प्रति ।

करे कि 'श्रीगुणभद्राचार्य प्रणीत उत्तरपुराण के अनुसार सीता रावण की बेटी थी' तो क्या उस पुस्तक की समालोचना करते हुए किसी भी समालोचक को ऐसा कहने अथवा इस प्रकार की आपत्ति करने का कोई अधिकार है कि पुस्तककार का वह लिखना भूठ है, क्योंकि पश्चपुराणादिक दूसरे कितने ही प्रन्थों में सीता को राजा जनक की पुत्री लिखा है ? कदापि नहीं । उसे उक्त कथन को भूठा बतलाने से पहले वह सिद्ध करना चाहिये कि वह उस उत्तरपुराण में नहीं है जिसका पुस्तक में हवाला दिया गया है, अथवा पुस्तककार पर भूठ का आरोप न करके, उस विषय में, सीधा उत्तरपुराणके रचयिता पर ही आक्रमण करना चाहिये । यदि वह ऐसा कुछ भी नहीं करता बल्कि उस पुस्तककार के उक्त कथनको मिथ्या सिद्ध करने के लिये पश्चपुराणादि दूसरे प्रन्थों के अवतरणों को ही उद्धृत करता है तो विद्वानों की इष्टि में उस की वह कृति ( समालोचना ) निरी अनधिकार चर्चा के सिवाय और कुछ भी महत्व नहीं रख सकती और उसके उन अवतरणों का ही कोई मूल्य हो सकता है । ठीक वही हालत हमारे समालोचकजी और उनके उक्त अवतरणों ( उद्धृत वाक्यों ) की समझनी चाहिये । उन्हें या तो लेखक के कथन के विरुद्ध जिनसेनाचार्य के हस्तिशपुराण से काई वाक्य उद्धृत करके बतलाना चाहिये था और या वैसे ( चर्चा भवीता जैसे ) सम्बन्ध-विधान के लिये जिनसेनाचार्य पर ही कोई आरोप करना चाहिये था ; यह दोनों बातें न करके जो आपने, लेखक के कथनको असत्य ढहराने के लिये, पाण्डवपुराणादि दूसरे प्रन्थों के वाक्य उद्धृत किये हैं वे सब असंगत, गैरमुत्तमजिक और आप की अनधिकार चर्चा का ही परिणाम जान पड़ते हैं, सदिच्चार-सम्पन्न विद्वानों की इष्टि में उन का कुछ भी

मूल्य नहीं है, वे समझ सकते हैं कि ऐसे अप्रसन्नत गैरमुतालिक ( irrelevant ) हजार प्रमाणों से भी लेखकका वह उस्तेज असत्य 'नहीं ठहराया जासकता । और न ये दूसरे प्रन्थोंके प्रमाण, जिनके लिये समालोचना के ७ पेज रोके गये हैं कथांचित् मतभेद अध्याय विशेष कथन को प्रदर्शित करने के सिवाय, जिनसेनाचार्य के वचनों पर हो कोई आपसि करने के लिये समर्थ हो सकते हैं; क्योंकि ये सब प्रन्थ जिनसेनाचार्य-प्रणीत हरिवंशपुराण से बाद के बने हुए हैं—जिनसेन का हरिवंशपुराण शक सं० ७०५ में, उत्तरपुराण शक सं० ८२० में, काष्ठासंघी भट्टारक यशःकीर्तिका प्रारूप हरिवंशपुराण विं० सं० १५००में और शुभचन्द्र भट्टारकका पाराङ्गपुराण विं० सं० १६०८ में बनकर समाप्त हुआ; वाकी ब्रह्मनेमिदत्तके नेमिपुराण और आराधनाकथाकोश तथा जिनदास ब्रह्मचारीका हरिवंशपुराण ये सब प्रन्थ विक्रम की प्रायः १६वीं शताब्दी के बने हुए हैं—ऐसी हालत में, इन प्रन्थों का जिनसेनके स्पष्ट कथन पर कोई असर नहीं पड़ सकता और न, प्राचीनताकी दृष्टि से, इन्हें जिनसेन के हरिवंशपुराण से अधिक प्रामाणिक ही माना जा सकता है । इन में उत्तरपुराण के छोड़कर शेष प्रन्थ तो बहुत कुछ आधुनिक हैं, भट्टारकों तथा \* भट्टारकशिष्यों के रचे हुए हैं और उन्हें जिनसेन के हरिवंशपुराण के मुकायले में कोई महत्व नहीं दिया जा सकता । रहा उत्तरपुराण, उसके कथन से यह मालूम नहीं होता कि देवकी और वसुदेव में चक्षा भतीजी का सम्बन्ध नहीं था,—बहिक उस सम्बन्ध का होना ही अधिकतर पाया जाता है, और इस बात को आगे

\* ब्रह्मनेमिदत्त भट्टारक महिमूर्त्यु के और जिनदास ब्रह्मचारी भट्टारक सकलकीर्ति के शिष्य थे ।

बलकर स्पष्ट किया जायगा । साथ ही, उत्तरपुराण और जिन-सेन के हरिवंशपुराण की सम्मिलित रोशनी से दूसरे प्रमाणों पर भी यथेष्ट प्रकाश ढाला जायगा । यहांपर, इसबक मैं यह बतला देना चाहता हूँ कि समालोचकजीने लेखकको सम्बोधन करके उसपर यह कटाक्ष किया है कि वह पं० गजाधरलालजी के भाषा किये हुए हरिवंशपुराणके कुछ अगसे पृष्ठोंको यदि पलटकर देखता तो उसे पता लगजाता कि उसके ३३६ वै पृष्ठकी २४ वीं लाइनमें स्पष्ट लिखा है कि—

“रानी नन्दयशा इस दशार्ण नगरमें देवसेनकी धन्या  
नामक रुपीसे यह देवकी उत्पन्न हुई है ।”

वेशक, समालोचकजी ! लेखकको इस भाषा हरिवंशपुराण के पृष्ठोंको पलटकर प्रकृत पृष्ठकों देखनेका कोई अवसर नहीं मिला । परन्तु अब आपकी सूचनाको पाकर जो उसे देखा गया तो उसमें बड़ीही विविच्छिन्नताका दर्शन हुआ है । यहाँ पं० गजाधरलालजी ने उक्त वाक्यको लिये हुए, एक श्लोकका जो अनुवाद दिया है वह इस प्रकार है :—

“और रानी नन्दयशाने उन्हीं पुत्रोंकी माता होनेका तथा  
रेवती धायने उनकी धाय होनेका निदान बाँधा । सो  
ठोकही है—पुत्रोंका स्नेह क्षोइना यड़ा ही कठिन है ।  
इसके बाद वे सब लोग समीरीन तपके प्रभावसे  
महाशुक्र स्वर्गमें सोलहासावर आयुके भोक्ता देव हुये ।  
वहाँसे आयुके अन्तमें चयकर शंखका जीव रोहिणीसे  
उत्पन्न बलभद्र हुआ है । रानी नन्दयशा ऐस्त इस  
दशार्ण नगरमें देवसेनकी धन्या नामक रुपीसे यह  
देवकी उत्पन्न हुई है और धाय भद्रिलसा नगरमें  
सुटकी नामक सेठकी अलका नामकी रुपी हुई है ॥१६७॥”

यह जिनसेनके जिस मूल श्लोक नं० १६७ का अनुवाद किया गया है वह हरिवशपुराणके ३३वें सर्गमें निम्नप्रकारसे पाया जाता है:—

“धात्री मानुष्यकं प्राप्ता पुरे भद्रिलसाद्ये ।  
सुहृष्टिश्रेष्ठिनो भार्या वर्तते शत्रुकाभिधा ॥”

कोईभी संस्कृतका विद्वान् इस श्लोकका वह अनुवाद नहीं कर सकता। जोकि पं० गजाधरलालजीने किया है और न इसका वह कोई भावार्थी ही होसकता है। इस श्लोक का सीधा सादा आशय सिर्फ़ इननाही होता है कि 'वह धाय ( रेवती ) मनुष्य जन्मको प्राप्त हुई इस समय भद्रिलसा नामक नगरमें सेठ सुहृष्टिकी अलका नामकी रुही है'। और यह आशय उक्त अनुवादके अन्तिम वाक्यमें आजाता है, इसलिये अनुवादका शेषाँश, जिसमें समालोचकजीका बड़े दर्पके साथ प्रदर्शित किया हुआ वह वाक्यभी शामिल है, मल प्रन्थसे बाहरकी चीज़ जान पड़ता है। मूलग्रन्थमें, इस श्लोकसे पहले या पीछे, दूसरा कोईभी श्लोक ऐसा नहीं पाया जाता जिसका आशय 'रानी नंदयशा' से प्रारंभ होनेवाला उक्तवाक्य होसके \*। इस श्लोकसे पहले "कुर्वन्निनमंकस्तीव" नामका पद्य और बादको 'गंगाद्या देवकी गम्भे' नामका पद्य पाया जाता है, जिनदानोंका अनुवाद, इसी क्रमसे—उक्त अनुवादसे पहले पाँछे—प्रायः ठीक किया गया है। परंतु उक्त पद्यके अनुवादमें यहुतसी बातें ऊपरसे मिलाई गई हैं, यह स्पष्ट है, और इस प्रकारकी मिलावट औरभी सँकड़ी पद्योंके अनुवादमें पाई जाती है। जो न्यायतीर्थी गजाधरलालजी

\* देखो देहलीके नयेमंदिर और पंचायती मंदिरके हरिवंशपुराणकी दोनों प्रतियोंके क्रमशः पञ्च नं० २०७ और १५१।

पं० दौलतरामजीकी भाषाटीका पर +आङ्गेप करते हैं वे स्वयंभी ऐसा गलत अथवा भिलावटको लिये हुए अनुवाद प्रस्तुत कर सकते हैं यह वडे ही खेदका विषय है । पं० दौलतरामजीने तो अपनी भाषा वचनिकामें इतनाही लिखा है कि “राणी नंदिय-साका जीव यह देवकी भई” और वह भी उक्त पद्मकी टीकामें नहीं बल्कि अगले पद्मकी टीकामें वहाँ उल्लेखित ‘देवकी’ का पूर्वसम्बन्ध व्यक्त करनेके लिये लिखा है × परन्तु गजाधरलालजी ने इसपर अपनी ओरसे देवकीके माता पिता और उत्पत्ति स्थानके न मोकी मगजी भी चढ़ादो है, और उसमें दशार्थी नगरसे पहले उनका ‘इस’ शब्दका प्रयोग और भी ज्यादा खटकता है; क्योंकि देवकी और वसुरेंवजीसे यह सब कथा कहते हुए अतिमुकुक मुनि उस समय दशार्थीनगरमें उपस्थित नहीं थे बल्कि मथुराके पासके सहकार बनमें उपस्थित थे इसलिये उनकी ओरसे ‘इस’ आशयके शब्दका प्रयोग नहीं बन सकता। परन्तु यहाँपर अनुवादकी भूलें प्रकट करना कोई इष्ट नहीं है; मैं इस कथन परसे सिर्फ इतनाही बतलाना चाहता हूँ कि जिस बातको समालोचकजाने वडे दर्पके साथ लेखकको दिजलाना चाहा था उसमें कुछभी सार नहीं है । वह जिनसेनाचार्यके हस्तिवशपुराणसे बाहरकी चीज़ है और इसलिये उसके आधार पर कोई आपत्ति नहीं की जासकती । समालोचकजीके सामने

+देखो गजाधरलालजीके भाषा हरिवंशपुराणकी प्रस्तावना का पृष्ठ नं० २ ।

× यथा:—‘तहाँते चयकरि रेवती धाय मा जीव भद्रलपुर विषै सुहाए नामा सेठकै अलका नामा रुही है ॥ ६७ ॥ अर राणी नंदियसाका जीव यह देवकी भई ताकै वे गंगदेव आदि पूर्वले पुनर स्वर्गतैं चयकरि याजन्मविषै भी पुच होइंगे ॥” १६८ ॥

जिनसेनका हरिवंशपुराण मौजूद था—उन्होंने उसके कितने ही वाक्य समालोचनामें दूसरे अवसरोंपर उद्धृत किये हैं—वे स्वयं इस बातको जानते थे कि पं० गजाधरलालजीने जो बात अनुवादमें कही है वह मूलमें नहीं है—यदि मूलमें होती तो वे सबसे पहले कूदकर उस मूलको उद्धृत करते और तब कहीं पीछे से अनुवादका नाम लेते—फिरभी उन्होंने गजाधरलालजी के मिथ्या अनुवादको प्रमाणमें लेश किया, यह बड़ेही दुःसाहसकी बात है। उन्हें इस बातका जगभी ज्यात नहीं हुआ कि जिस घोखादेहीका मैं दूनरों पर भूटा इलजाम लगा रहा हूँ उसका अपनी इस कृतिस्त स्वयंही सचमुच अपराधी बना जारहा हूँ और इसलिये मुझे अपने पाठकोंके सामने ‘उसी \* हरिवंशपुराण’ या ‘+जिनसेन’के नामपर ऐसी मिथ्या बातको रखते हुए शर्म आनी चाहिये। परन्तु जान पड़ता है समालोचकजी सत्य अथवा असलियत पर पर्दा ढालनेकी खुनमें इतने मस्त थेकि उन्होंने शर्म और सहित्यारको उठाकर एकदम बालाएं ताक रखदिया था, और इसीसे वे ऐसा दुःसाहसकरसके हैं।

इम समालोचकजीसे पूछने हैं कि, आपने तो पं० गजाधरलालजीके भाषा किये हुये हरिवंशपुराणके सभी पत्रोंको खूब उत्तर प्रलट कर देखा है तब आपको उसके ३६५वें पृष्ठ पर ये पंक्तियाँ भी जरूर देखनेको मिली होंगी जिनमें नवजान बालक कृष्णको मथुरासे बाहर ले जाने समय बसैवजी और कंसके बंदी पिता राजा उप्रसेनमें हुई बानीलापका उल्लेख हैः—

“पूज्य ! इस रहस्यका किसीको भी पता न लगे इस देवकीके पृथक्से नियमसे आप बंधनसे मुक्त होंगे उत्तर में उप्रसेनने कहा—अहा ! यह मेरे भाई देवसेनकीपुत्री

\* + देखो समालोचनाका पृष्ठ ३ रा और ६८।

देवकीका पुत्र है मैं इसकी बात किसीको नहि कह  
सकता मेरी अतरंग कामना है कि यह दिनोंदिन बढ़ै  
और बैरीको इसका पता तक भी न लगे ।”

इस उल्लेखद्वारा यह उष्ण घोषणा की गई है कि ‘देवकी’  
उन देवसेनकी पुत्री थी जो कंसके पिता उप्रसेनके भाई थे  
और इसलिये उप्रसेनकी पुत्री होनेसे देवकी और वसुदेवमें  
जो चचा भतीजीका सम्बंध बढ़ित होता है वही देवसेनकी  
पुत्री होनेसे भी बढ़ित होता है—उसमें रंचमात्रभी अन्तर  
नहीं पड़ता—क्योंकि उप्रसेन और देवसेन दोनों सगे भाई  
थे । फिर देवकीके ‘भतीजी’ होनेसे क्यों इनकार किया गया ?  
और क्यों इस उल्लेखको छिपाया गया ? क्या इसीलिये कि  
इससे हमारे सारं विरोध पर पानी फिर जायगा ? क्या यह  
स्पष्टरूपसे मायाचारी, चालाकी और अपने पाठकोंको धोका  
देना नहीं है ? और क्या अपनी ऐसी ही सत्कृतियो ( ! ) के  
भरोसे आप दूसरों पर मायाचारी, चालाकी तथा धोकादेही  
का इलाजाम लगाने के लिये मुँह ऊँचा किये हुए हैं ? आपको  
ऐसी नीचकृतियोंके लिये धांर लज्जा तथा शर्म होनी चाहियेथी !!

देवसेन राजा उप्रसेनके सगेभाई और वसुदेवके चचाजाद  
भाई थे, यह बात श्रीजिनसेनाचार्यके निम्न वाक्योंसे प्रकटहै:—

उदियाय यदुस्तत्र हरिवंशोदयाचले ।

यादवप्रभवो व्यापी भूमी भूपतिभास्करः ॥ ६ ॥

सुतो नरपतिः तस्मादुद्भूत्वभूपतिः ।

यदुस्तस्मिन्भुवं न्यस्य तपसा त्रिदिवं गतः ॥ ७ ॥

सूरस्चापि सुबीररच शूरौ वीरौ नरेश्वरौ ।

स तौ नरपतिः राज्ये स्थापयित्वा तपोभजत् ॥ ८ ॥

सूरः सुवीरपास्थाप्य प्रथुरायाँ स्वयं कृती ।  
 स चकार कुशद्येषु पुरं सौर्यपुरं परम् ॥ ६ ॥  
 शूरारचान्यकवृष्ट्याद्याः सूरादद्भवन्सुताः ।  
 वीरो भोजकवृश्याद्याः सुवीरान्मथुरेश्वरात् ॥ १० ॥  
 ज्येष्ठपुने विनिक्षिपत्तिभारो यथायथम् ।  
 सिद्धौ सूरसुवीरौ तौ सुप्रतिष्ठेन दीक्षितौ ॥ ११ ॥  
 आसीदन्यकवृष्टेश्च सुभद्रा वनिनोत्तमा ।  
 पुत्रास्तस्या दशोत्पत्ना स्त्रिदशाभा दिवश्चयुताः ॥ १२ ॥  
 समुद्रविजयोऽन्नोऽभ्यस्तथा स्तिमितसागरः ।  
 हिमवान्विजयश्चान्योऽचलो धारणपूरणौ ॥ १३ ॥  
 अभिचंद्र इहाख्यातो वसुदेवश्च ते दश ।  
 दशार्हाः सुमहाभागाः सर्वेष्यन्वर्धनामकाः ॥ १४ ॥  
 कुन्तीमद्री च कन्ये द्वे माये स्त्रीगुणाभूषणे ।  
 लक्ष्मीसरस्व गीतुल्ये भगिन्यो वृष्टिनिमिनाम् ॥ १५ ॥  
 राजो भोजकवृष्ट्या पत्नी पद्मावती सुतान् ।  
 उग्रसेन-महासेन-देवसेनानसूत सा ॥ १६ ॥

—हरिवशपुराण, १८वाँ सर्ग\* ।

इन वाक्यों द्वारा यह सूचित किया गया है कि 'हरिवंशमें राजा 'यदु' का उदय हुआ, उसीसे यादववंशकी उत्पत्ति हुई और वह अपने पुत्र 'नरपति' को पृथ्वी का भार सौंप कर, तपश्चर्ष करता हुआ, स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ; नरपति के

\*देखो 'नवा मंदिर' देहली की प्रति ।

‘सूर’ और ‘सुवीर’ नामके दो पुत्र हुए, जिन्हें राज्य पर स्थापित करके उसने तप लेलिया; इसके बाद सूरने अपने भाई सुवीर को मथुरा में स्थापित करके स्वयं सौर्यपुर नगर बसाया; सूर से ‘अन्धकवृष्टि’ आदि शूर पुत्र उत्पन्न हुए और मथुराके स्वामी सुवीर से ‘भोजकवृष्टि’ आदि वीर पुत्रों की उत्पत्ति हुई; सूर और सुवीर दोनोंने अपने अपने ज्येष्ठ पुत्र (अन्धकवृष्टि, भोजकवृष्टि) को राज्य देकर सुप्रतिष्ठ मुनिसे दीक्षा ली और सिद्धपदको प्राप्त किया; अन्धकवृष्टिकी सुभद्रा रुदीसे समुद्र विजय, अक्षोभ्य, स्तिमितसागर, हिमवान, विजय, अचल, धारण, पूरण, अभिचन्द्र, और वसुदेव नामके दस महाभागवशाली पुत्र उत्पन्न हुए, साथही कुन्तीऔर मद्री नामकी दो कन्याएँ भी हुईं; और राजा भोजकवृष्टिकी पश्चावती रुदी से उग्रसेन, महासेन और देवसेन नामके तीन पुत्र × उत्पन्न हुए।

यही वह सब वशावती हैं जिसका सार लेखकने वसुदेवजी

× समालोचकजीने, तोन पुत्रोंके अतिरिक्त एक पुत्रीके भी नामोल्लेखका पृष्ठ ३ पर उल्लेख किया है। परन्तु देहलीके नये मंदिरकी प्रतिमें, यहाँपर, पुत्रीका कोई उल्लेख नहीं पाया जाता। हाँ, उत्तरपुराण में ‘गाँधारी’ नामकी पुत्रीका उल्लेख ज़रूर मिलता है। परन्तु वहाँ वसुदेवके पिता और उग्रसेनके पिता दोनोंको सगे भाई बतलाया है। और दोनोंके पिताका नाम शूरवीर तथा पितामहका सूरसेन दिया है। यथा :—

अवार्य निजशौर्येण निजितार्णेषविद्विषः ।

स्यातशौर्येपुराधीशसूरसेनमहीपतेः ॥ ६३ ॥

सुतस्य शूरवीरस्य धरिण्याश्च तनूद्धवौ ।

दिख्याताऽन्धकवृष्टिश्च पतिर्वृष्टिनरादिवाक् ॥६४॥

—७०वाँ पर्च।

के उदाहरण को प्रारंभ करते हुए दिया था । उसमें 'उप्रसेन' की जगह 'देवसेन' बना देनेसे वह उक्त उल्लेख पर भी ज्योकी त्यों प्रटित हो सकता है । इस बंशावलीमें आभे समुद्र विजयादि तथा उप्रसेनादिकी संततिका कोई उल्लेख नहीं है । उसका उल्लेख इन्हमें खड़कृपसे पाया जाता है और उन खंड कथनों परसे ही देवकी नृष्ट भोजकवृच्छिकी पौत्री तथा राजा सुश्रीरक्षी प्रपौत्री और इसलिये वसुदेवकी 'भतीजी' निश्चिन्त होती है ।

यहाँ, उन खण्डकथनोंका उल्लेख करनेसे पहले, मैं अपने पाठकोंको इतना और बतला देना चाहता हूँ कि, यद्यपि, भाषा हरिष्चंद्रराज के पृष्ठ ३३६ और ३६५ वासे उक्त दोनों उल्लेखों परसे यह पाया जाता है कि १० गजाधरलालजीने देवकीको राजा उप्रसेनके भाई देवसेन (राजा) की पुत्री बतलाया है और देवसेनकी लड़ीका नाम 'धन्या' ( धनदेवी ) तथा उनके बास-स्थानका नाम 'इश्वार्णपुर' प्रकट किया है परन्तु उनका यह कथन सन १६१६ का है, जिस सालमें कि उनका भाषा हरिष्चंद्रपुराज्य प्रकाशित हुआ था । इससे करीब तीन वर्ष बाद—सन १६१६ में—, 'पश्चावती पुरवाल' के द्वितीय वर्षके ५२० अक्षमें 'शिवाप्रद शपलीय उदाहरण' नामके प्रकृत सेजपर अपना विचार प्रकट करते हुए, उन्होंने स्वयं देवकीको राजा उप्रसेन की पुत्री और वसुदेवकी भतीजी स्वीकार किया है । आपके उस विचार स्लोकका एक अंश इस प्रकार है —

“जिस समय राजा वसुदेव आदि सरीखे व्यक्तियोंका  
आस्तित्व पृथ्वीपर था, उस समय अयोग्य व्यभिचार  
नहीं था जिस लड़ीको ये लोग रक्षीकार करते थे  
उसके सिवाय आन्ध लड़ीको मा बहिन पुत्रीके समान  
मानते थे इसलिये उस समयमें देवकी और वसुदेव  
सरीखे विवाह भी स्वीकार कर लिये जातेथे । अर्थात्

यद्यपि कुटुम्ब नातेराजा उप्रसेन वसुदेवके भाई लगते हे परन्तु किसी अथ कुटुम्बसे भाईहुए लोसे उपर उप्रसेनकी पुत्रीका भी वसुदेवने पाणिप्रहण करलिया था । सेकिन उसके बाद फिर ऐसा अमाना आता गया कि लोगोंके हृदयोंसे धार्मिकवासना विदा ही हो गई, लोग खास पुत्री और बहिन आदिको भी लोग बनानेमें संकोच न करने लगे तो गोष्ठ आदि नियमोंकी आवश्यकता समझी गई लोगोंने अपनेमें गोष्ठआदिकी स्थापना कर चुचा ताऊजात बहिन भाईके शपथीसम्बन्धको बढ़ किया । वही प्रथा आजतक बराबर जारी है ।”

इस अवतरण से इतनाही मालूम नहीं होता कि पण्डित यजाधरलालजीने देवकी कां राजा उप्रसेनकी पुत्री तथा वसुदेवको उप्रसेनका कुटुम्बनाते भाई स्वीकार किया है और दोनों के विवाहको उस समयकी हृष्टिसे उचित प्रतिपादन किया है बल्कि यह भी स्पष्ट जान पड़ता है कि उन्होंने उस समय चलाताऊजात बहिन भाईके शादी सम्बंधका रिवाज माना है और यह स्वीकार किया है कि उससमय विवाहमें गोष्ठआदिके नियमोंकी कोई कल्पना नहीं थी, जरुरत पड़ने पर बादको उनकी सृष्टि कीगई और तभीसे उस प्रकारके कुटुम्बमें होनेवाले-शादी सम्बंध बंद किये गये ।

इस अवतरणके बाद पण्डितजीने, आजकल वैसे विवाहोंमें योग्यता का निषेध करते हुए, यह विधान किया है कि यहाँ धर्मके वाहनविक स्वरूपको समझकर लोगोंमें धर्मकी स्वाभाविक—( पहले जैसी ) प्रबूति हाजाय तो आजकल भी ऐसे विवाहोंसे हमारी कोई हानि नहीं हो सकती । यथा—

“इसलिये यह बात सिद्ध है वसुदेव और देवकी कैसे विवाहोंकी इस समय योग्यता नहीं । . . . . सेकिन हीं यदि हम

इस बातकी और लीन होजाय कि जो कुछ हमारा हितकारी है वह धर्म है । हम वास्तविक धर्म का स्वरूप समझनिकलें हितका विवेक होजाय हमारे धार्मिक कार्य किसी प्रेरणासे न होकर स्वभावतः हो निकलें विषयलालसाको हम अपने सालका केन्द्र न समझें उस समय देवकी और वसुदेव कैसे विवाहोंसे हमारी कोई हानि नहीं हो सकती ।”

इस सब कथन पर से कोई भी पाठक क्या यह नतीजा निकाल सकता है कि ४० गजाधरलालजी ने देवकी और वसुदेव के पूर्वसम्बन्धके विषयमें लेखकसे कोई भिन्न बात कही है अथवा कुटुम्ब के नाते देवकी को वसुदेव की भतीजी माननेसे इन्कार किया है ? कभी नहीं, वहिन उन्होंने तो अपने लेखके अन्त में इनके विवाह की बाबत लिखा है कि वह “अयुक्त न था उस समय यह रोति रिवाज जारी थी ।” और उस की पुष्टि में अप्रवालोंका दृष्टांत दिया है । फिर नहीं मालूम समालोचकजी ने किस बिरते पर उनका वह ‘रानी-मन्दियशा’ बाला वाक्य बड़े दृष्ट के साथ प्रमाण में पेशकिया था ? क्या एक वाक्यके छुलसे ही आप अपन पाठको को ठगना चाहते थे ? भाले भाई भले ही आप के इस जाल में फँस जाँय परन्तु विशेषज्ञों के सामने आपका ऐसा कोई जाल नहीं चल सकता । समझदारों ने जिस समय यह देखा था कि आपने और जगह तो जिनसेनाचार्यकृत हरिवंशपुराण के वाक्योंको उद्धृत किया है परन्तु इस मौके पर, जहाँ जिनसेन के वाक्य को उद्धृत करनेको खास ज़हरत थी, वैसा न करके अनुवाद के एक वाक्य से काम लिया है, वे उसी वक्त ताड़ गये थे कि ज़हर इसमें काई जाल है—अवश्य यहाँ दाल में कुछ काला है—और वस्तुस्थिति ऐसी नहीं आज पड़ती । लद है कि जो समालोचकजी, अपनी समालोचना में, परिषद

गजाधरलालजी के बाकयों को बड़ी अद्भुतिसे पेश करते हुए नज़र दाते हैं उन्होंने उक्त पण्डित जी की एक भी बात मानकर न दी—न तो देवकी को राजा उप्रसेनकी लड़की माता और न उप्रसेन के भाई देवसेन की पुत्री ही स्वीकार किया ! प्रत्युत इस के, जिनसेनाचार्य के कथन को छिपाने और उस पर पर्वा डालनेका भरसक यत्न किया है ! इस हठ धर्मी और देवदयाईका भी क्या कहीं कुछ ठिकाना है ? जान पड़ताहै विधर्मी जनोंकी कुछ कहासुनीके अव्यालने समालोचकजीको बुरी तरह से तग किया है और इसी से समालोचनाके पृष्ठ पर बे लेखक पर यह आलोप करते हैं कि उसने—“ यह नहीं विचार किया कि इस असत्य लेखके लिखने से विधर्मीजिन पवित्र जैनधर्मको कितने घृणा पूर्ण हृषिसे अवलोकन करेंगे । ”

महाशयजी ! आप अजनों की—आपने विधर्मी जनों की—चिन्ता नहींजिये, वे सब आप जैसे नासमझ नहीं हैं जो किसी रोति-रिवाज अथवा घटना-विशेष को लेकर पवित्र धर्म से भी घृणा कर रहे हैं, उनमें बड़े बड़े समझदार तथा न्याय-निपुण लोग मौजूद हैं और प्राचीन इतिहास की खोज का प्रायः सारा काम उन्हीं के द्वारा हो रहा है । उनमें भी यह सब इवा निकली हुई है और वे खूब समझते हैं कि पहले जमाने में विवाहविषयक क्या कुछ नियम उपनियम थे और उनकी शक्त बहुत कर अब क्यासे क्या होगई है । और यदि यह मान लिया जाय कि उन में भी आप जैसी समझके कुछ लोग मौजूद हैं तो क्या उनके लिये—उनकी निःसार कहा सुनी के भय से—सत्यको छोड़ दिया जाय ? सत्य पर पर्वा डाल दिया जाय ? अथवा उसे असत्य कह डालने की धृष्टता की जाय ? यह कहाँका न्याय है ? क्या यही आपका धर्म है ? ऐसी ही सत्यवादिताके आप प्रेमी हैं ? और उसीका आपने अपनी

समाजोक्तनामे होल पीटा है ? महाराज ! सत्य इस प्रकार छिपाये से नहीं छिप सकता, उस पर पर्दा डालना ब्यर्थ है, आप जैन धर्म की चिन्ता छोड़िये और अपने हृष्टय का सुधार कीजिये । जैन धर्म किसी रोनि-रिवाज के आभ्रित नहीं है—वह अपने अटलसिंहान्तों और अनेकान्तात्मक स्वरूपको लिये हुए वस्तुतत्व पर स्थित है—उसे कृपया अपने रीति-रिवाजोंकी दलदलमें मत बसोटिये, इसपर से अपनी कुत्सित प्रवृत्तियों और संकीर्ण विचारोंका आवरण हटाकर लोगों को उसके नगरस्वरूपका दर्शन होने दीजिये, फिर किसीकी ताब नहीं कि कोई उसे घृणाकी हिन्दिसे अवलोकन कर सके ।

और इस देवकी-बसुदेवके सम्बंध पर ही आप हृतने क्यों उहिंझ होते हैं ? वह जचा भतीजीका सम्बंध तो कई पीढ़ियोंसे लिये हुए है—देवकी बसुदेवकी सगी भतीजो नहीं थी, सगी भतीजी तब होती जब समुद्रविजयादि बसुदेवके ह सगे भाइयों में से वह किसीकी लड़की होती—; परन्तु आप इससे भी करीबी सम्बन्धको लीजिये, और वह राजा अग्रसेनके पोते पोतियोंका सम्बंध है । कहा जाता है कि अग्रवाल वंशकी, जिन राजाओंप्रसेनसे उत्पत्ति हुई है उनके १८ पुत्रथे । इन पुत्रों का विवाह तो राजा अग्रसेन ने दूलरे राजाओंकी राजकन्याओं से कर दिया था परन्तु राजा अग्रसेनकी युद्धमें मृत्यु होनेके साथ उनका राज्य नष्ट होजानेके कारण जब इन राज्यप्रष्ठ १८ भाइयोंको अपनी अपनी संततिके लिये योग्य विवाहसंबंध का संकट उपस्थित हुआ तो इन्होंने अपने पिताके पूज्य गुरु पतंजलि और मंत्रीपुत्रोंके परामर्शसे अपनेमें १८ (एक प्रकारसे १७॥) गोत्रोंकी क्षेपना करके आपसमें विवाहसंबंध करना स्थिर किया—अर्थात्, वह उहराय किया कि अपना गोत्र बचा कर दूसरे भाईकी संततिसे विवाह करलिया जाय—और तदनु-

सार एक भाईके पुत्र-पुत्रियोंका दूसरेभाईके पुत्रपुत्रियोंके साथ विवाह होगया अथवा यों कहिये कि सगे चचा-ताऊजाद भाई वहनोंका आपसमें विवाह होगया । इसके बाद भी कुटुम्ब तथा चश्में विवाहका सिलसिला जारी रहा—किनने ही भाई-वहनों तथा चचा भताजियोंका आपसमें विवाह हुआ—और उन्हीं विवाहोंका परिणाम यह आजकलका विशाल अप्रवाल वश है, जिसमें जैन और अजैन दोनों प्रकारकी जनता शामिल है । और इससे अजैनोंके लिये जैनोंके किसी पुराने कौटुम्बिक विवाह पर आपत्ति करने या उसके कारण जैन धर्मसे ही घृणा करने की कोई वजह नहीं हो सकती । आजनी अप्रवाल लोग, उसी गोत्र पद्धतिको टालकर, अपने उसी एक वशमें—अप्रवालोंके ही साथ-विवाह सम्बन्ध करते हैं; यह प्राचीन रीति-रिवाज तथा घटनाविशेषको प्रदर्शित करनेवाला कितना स्पष्ट उदाहरण है । बाबू विहारीलालजी अप्रवाल जैन बुलन्दशहरी ने अपने \*‘अप्रवाल इतिहास में भी अप्रवालोंकी उत्पत्तिका यह सब इतिहास दियाहै । इतने पर भी समाजाचकजी प्राचीन कालके ऐसे विवाह सम्बंधों पर, जिनके कारण बहुतसी ध्वेष जनता का इस समय अग्रवाल वशमें अस्तित्व है, घृणा प्रदर्शित करते हैं और उनपर पर्दा डालना चाहते हैं, यह कितने बड़े आश्चर्यकी बात है !!

पाठकजन, यहवात मानी हुई है और इसमें किसीको आपत्ति नहीं कि ‘कस’ उन यदुवशी राजा उदासेनका पुत्र था जिनका उल्लेख ऊपर उद्धृतकी हुई वशावलीमें भोजक वृष्टि के पुत्रकृपसे पाया जाता है । यह कस गर्भमें आतेही माता

\*यह इतिहास सा० हीरालाल पञ्चालाल जैन, द्वीषा कलाँ, देहली के पतेसे तीन आने मूल्यमें मिलता है ।

पिता को अतिकष्टका कारण हुआ और अपनी आकृतिसे अत्युग्र जान पड़ता था, इसलिये पैदा होते ही एक मंजूषा में बन्द करके इसे यमुना में बहा दिया गया था। दैवयोग से, कौशाम्बी में यह एक कलाली (मद्यकारिणी) के घर पला, शख्खिद्यामें वसुदेव का शिष्य बना और वसुदेव की सहायता से इसने महाराज जरासंध के एक शत्रु को बाँधकर उसके सामने उपस्थित किया। इसपर जरासंधने अपनी कालिन्दसेना रानी से उत्पन्न 'जीवदृशा' पुत्री का विवाह कंस से करना चाहा। उसवक्त कंस का वंश-परिचय पाने के लिये जब वह मद्यकारिणी बुलाई गई और वह मंजूषा सहित आई तो उस मंजूषाके लेख पर से जरासंध को यह मालूम हुआ कि कंस मेरा भानजा है—मेरी बहन पद्ममावती से उग्रसेन द्वारा उत्पन्न हुआ है—और इसलिये उसने बड़ी खुशी के साथ अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। इस विवाह के अवसर पर कमको अपने पिता उप्रसेन की इस निर्दयता का हाल मलूम करके—कि उसने पैदा होते ही उसे नदी में बहा दिया—बड़ा कोध आया और इसलिए उसने जरासंध से मथुरा का राज्य माँगकर सेना आदि साथ ले मथुरा को जा घेरा। और वहाँ पिता को युद्ध में जीतकर बाँध लिया तथा अपना बंदी बनाकर उसे मथुरा के द्वारपर रखा। इस पिछली बात को जिनसेनाचार्यने नीचे लिखे तीन पद्मों में जाहिर किया है :—

‘सद्योजातं पिता नद्यां मुक्तवानिति च क्रुधा ।  
वरीत्वा मधुरां लब्ध्वा सर्वसाधनसंगतः ॥ २५ ॥  
कंसः कालिन्दसेनायाः सुतया सह निर्वृणः ।  
गत्वा युद्धे विनिर्जित्य बबन्ध पितरं हतं ॥ २६ ॥

महोग्रो भगवसंचारं उप्रसेनं निगृष्ण सः ।

अतिष्ठिपत्कनिष्ठः सः स्वपुरद्वारगोचरे ॥ २७ ॥

—हरिवंशपुराण, २३वाँ सर्ग ।

इसके बाद कंस ने सोचा कि यह सब ( जीवदशा से विवाह का हाना और मथुरा का राज्य पाना ) वसुदेवका उपकार है, मुझे भी उन के साथ कुछ प्रत्युपकार करना चाहिये और इसलिये उसने प्रार्थना-पूर्वक अपने गुह वसुदेव को बड़ी भक्ति के साथ मथुरा में लाकर उन्हें गुहदक्षिणा के तौर पर अपनी बहन 'देवकी' प्रदान की -अर्थात्, अपनी बहन देवकी का उनके साथ विवाह कर दिया ।

विवाह के पश्चात् वसुदेवजी कंस के अनुरोध से देवकी सहित मथुरा में रहने लगे । एक दिन कंस के बड़े भाई 'अतिमुक्तक' मुनि \*आहार के लिये कंस के घर पर आए । उस समय कंस की रानी जीवदशा उन्हें प्रणाम कर बड़े विभ्रम के साथ उनके सामने जड़ी हो गई और उसने देवकी

\* ये 'अतिमुक्तक' मुनि राजा उग्रसेनके बड़े पुत्र थे और पिता के साथ किये हुए कंस के व्यवहार को देखकर संसार से विरक्त हो गये थे, ऐसा जिनदास ब्रह्मचारीके हरिवंशपुराण से मालूम होता है, जिसका एक पद्धति इस प्रकार है:—

उप्रसेनात्मजो ज्येष्ठोऽतिमुक्तक इतीरितः ।

भवस्थितिमिमां वीक्ष्य दध्याविति निजे हृदि ॥१२-६१॥

परन्तु ब्रह्मनेमिदृत अपने कथाकोषमें इन्हें कंसका भी छोटा भाई लिखते हैं । यथा—

"तदा कंसलघुभ्राता हृद्वा संसारचेष्टितं ।

अतिमुक्तकनामासौ संजातो मुनिसत्तमः ॥

का रजस्वल वस्त्र मुनि के समीप ढालकर हँसी दिलगी  
उड़ाते हुए उनसे कहा 'देखो ! यह तुम्हारी बहन देवकी का  
आनन्द वस्त्र है' ।

इस पर ससारकी स्थितिके जानने वाले मुनिराजने अपनी  
घचन गुमिको भेदकर खेद प्रकट करने हुए, कहा 'आरी कोडन-  
शील ! तू शोकके स्थानमें क्या आतंद मना रही है, इस देवकी  
के गर्भसे एक पेसा पुत्र उत्पन्न होनेवाला है जो तेरे पति और  
पिता दोनोंके लिये काल हागा, इसे भवितव्यता समझना ।'  
मुनिके इस कथनमें जीवदशाको बड़ा भय मालूम हुआ और  
उसने अध्युभरे लोचनोंसे जाकर वह सब हाल अपने पतिसे  
निवेदन किया । कसमी मुनिभाषण को सुनकर डर गया और  
उसने शीघ्रही वसुदेवके पास जाकर वह वर माँगा कि 'प्रसूति  
के समय देवकी मेरे घरपर रहे' । वसुदेवको इस सब वृत्तान्त  
की कोई खबर नहीं थी और इसलिये उन्होंने कसकी वरया-  
चनाके गुप्त रहस्यको न सनझ कर वह वर उसे दे दिया । सो  
ठीक है 'सहोदरके घर वहनके किसी नाशकी काई आशका भी  
नहीं की जाती'—कस देवकीका सोदर (सगाभाई) था, उसके  
घरपर देवकीके किसी अहितकी आशकाके लिये वसुदेवके पास  
फूर्झी कारण नहीं था, जिससे वे किसी प्रकार उसकी प्रार्थनाको  
अस्वीकार करनेके लिये वाध्य हासकते, और इसलिये उन्होंने  
खुशीसे कसकी प्रार्थनाको स्वीकार करके उसे वचन देदियो ।

यह सब कथन जिनसेनाचार्यके हरिवंशपुराणसे लिया  
गया है । इस प्रकरणके कुछ प्रयोजनीय पद्य प० दौलतरामजी  
की भाषा टीका सहित इस प्रकार है : -

"वसुदेवोपकारण हृतः प्रत्युपकारधीः ।

न वेति किं करोपीति किंकरत्वमुपागतः ॥ २८ ॥

अभ्यर्थ्यं गुरुमानीय मथुरा पृथुभक्तिः ।

स्वसारं प्रददौ तस्मै देवकीं गुरुदक्षिणाम् ॥ २६ ॥

टीका—“कस मथुराका राज पाय आर विचारी यह सब उपगार वसुदेवका है । सो मैं हूँ याकी कछु सेवा करूँ ॥ २६ ॥ तब प्रार्थना करि वसुदेव कू महामतिते (सं) मथुराविष्टै लाया आर अपनी बहन देवकी वसुदेवकु परनाई ॥ २६ ॥”

“जातु चिन्मुनिकेलाभ्यापतिमुक्तकमागतम् ।

कंसज्येष्ठं मुनि नत्वा पुरःस्थित्वा सविभ्रमम् ॥ ३२ ॥

हसंती नर्मभावेन जगौ जीवदशा इति ।

आनन्दवस्त्रमेतत्ते देवक्याः स्वसुरीक्षताम् ॥ ३३ ॥”

टीका—“एकदिन आहारके समै कसके बड़े भाई अति-मुक्तक नामा मुनि कसके घर आहार कू आए ॥ ३३ ॥ तब नमस्कार करि जीवदशा चचल भावकरि हँसती थकी देवकी के रजस्वलापनेके बख्ख स्वामीके समीप ढारे आर कहती भई । ए तिहारी बहनके आनंदके बख्ख हैं सो देषहु ॥ ३४ ॥”

“भविता योहि देववया गर्भेऽवश्यमसौ शिशुः ।

पत्न्युः पितुश्च ते मृत्युरितीयं भवितव्यता ॥ ३६ ॥”

ततो भीतमतिर्मुक्त्वा मुनिं साश्रुनिरीक्षणा ।

गत्वा न्यवेदयत्सैतत्सत्यं यतिभाषितम् ॥ ३७ ॥”

श्रुत्वा कंसोपि शंकावानाशु गत्वा पदानतः ।

वसुदेवं वरं वत्रे तीवशीः सत्यवाग्वतम् ॥ ३८ ॥

स्वामिन्वरप्रसादो मे दातव्यो भवता ध्रुवम् ।

प्रसूतिमये वासो देवक्या मद्गृहेऽस्त्वति ॥ ३९ ॥

**सोऽप्यविज्ञाय वृत्तान्तो दत्तवान्वरमस्तथीः ।**

**नापायः शंक्यते कश्चित्सोदरस्य गृहे स्वसुः॥४०॥”**

टीका—“ ( मुनिने कहा ) या देवकीके गर्भ विष्णु ऐसागुप्त होयगा जो तेरे पतिकूँ अर पिताकूँ मारेगा ॥ ३६ ॥ तब यह जीवजहा अध्युपात करि भरे है नेत्र जाके सो जायकरि अपने ऐनिकूँ मुनिके कहे हुए वचन कहती भई ॥ ३७ ॥ तब कंसश वचन सुनकरि शंकावान होय तत्काल वसुदेव पै गया अर वर मांगया ॥ ३८ ॥ कही हे स्वामी भाई यह वर देहु जो देवकीकी प्रसूति मेरे घर होय । सो वसुदेव तो यह वृत्तान्त जाने नाहीं ॥ ३९ ॥ विना जाने कही तिहारेहो घर प्रसूतिके समै वह निवास करहु । यामें दोष कहा । वहन का जापा भाईके घर होय यहतो उचित ही है । या भाँति वचन दिया ॥ ४० ॥”

इन पदोंमें से २६वें, ३६वें और ४०वें पदमें यह स्पष्टरूपत्वे घोषित किया गया है कि देवकी कंसकी वहन थी, कंसके बड़े भाई अतिमुक्तककी वहन थी और कंस उसका ‘सोदर’ था । ‘सोदर’ शब्दको यहाँ आचार्य महाराजने खासतौर पर अपनी ओरसे प्रयुक्त किया है और उसके द्वारा देवकी और कंसमें वहन भाईके अत्यंत निकट सम्बंधको धोषित कियाहै । ‘सोदर’ कहते हैं ‘सहोदर’ को—सगे भाईको—जिनका उदर तथा गर्भशय समान है—एक है—अथवा जो एकही माताके पेटसे उत्पन्न हुएहैं वे सब ‘सोदर’ कहलातेहैं । और इस लिये सोदर, समानोदर, सहोदर, सगर्भ, सनामि, और सोदर्य ये सब एकार्थवाचक शब्द हैं । ‘शब्द कलपद्रुम’ में भी सोदर का यही अर्थ दिया है । यथा:—

“सोदरः, (सह समानं उदरं यस्य । सहस्य सः।) सहो-  
दरः इति शब्द रत्नावली ।” “सहोदरः, एकमातृगर्भ-

जातभ्राता । तत्पर्यायः—, सहजः, सोदरः, भ्राता,  
समर्भः, समानोदर्यः, सोदर्य इति जटाधरः ।”

वामन शिवराम ऐप्टे ने भी आपने कोशमें इसीअर्थका विवाह  
कियाहै । यथा :—

“सोदर a. [समानमुद्भरं यस्य समानस्य सः] Born  
from the same womb (गर्भ, गर्भाशय), uterine.  
—रः a uterine brother.”

“Uterine, सहोदर, सांदर, समानोदर, सनाभि ।”

ऐसी हालत में, देवकी कस की बहन ही वहीं किन्तु सगी  
बहन हुई और इसलिये उसे राजा उग्रसेन को पुत्री, नृप  
भोजकवृष्टि की पौत्री, महाराजा सुचोर की प्रपौत्री और  
( सुचोर के साथ भाई सूर के पांते ) वसुदेव की भतीजी कहा  
कुछ भी अनुचित मालूम नहीं होता ।

वंशावलीके बादके इन्हीं सब खण्डउप्लेजोंको लेकर देवकी  
को राजा उग्रसेनकी पुत्री लिखा गया था । परन्तु हाल में  
जिनसेनाचार्य के हरिवशपुराण से एक ऐसा वाक्य उपलब्ध  
हुआ है जिससे मालूम होता है कि देवकी जास उग्रसेन की  
पुत्री नहीं किन्तु उग्रसेनके भाईकी पुत्री थी और वह वाक्य  
इस प्रकार है :—

प्रवद्धतां भ्रातृशरीरजायाः सुतोऽयमङ्गेय मरे रितीष्टां ।  
तदौप्रसेनीपभिन्नश्वाचमप् विनिर्जग्मतुराशु पुर्याः ॥२६॥

—३५ वां सर्ग ।

यह वाक्य उस अवसर का है जब कि नवजात बालक  
कृष्णको लिये हुए वसुदेव और बलभद्र दोनों मथुरा के सुखद  
द्वार पर पहुंच गये थे, बालक की क्षौक का गंभीर नाद हंगे  
पर द्वार के ऊपर से राजा उग्रसेन उसे यह आशीर्वाद दे कुके

थे कि 'तृ चिरकाल तक इस संसार में निर्विघ्न रूप से जीता रहा' और इस प्रिय आशीर्वाद से संतुष्ट होकर वसुदेवजी उनसे यह निषेद्धन कर चुके थे कि 'कृपया इस रहस्य को गुप्त रखना, देवकी के इस पुत्र द्वारा आप बधनसे छूटोगे (विमुक्ति-रस्मात्त्व दैवकेयात्) ।' इस कथन के अनन्तर का ही उक्त पद्धति है। इसके पूर्वार्थ में राजा उग्रसेनजी वसुदेवजी की प्रार्थना के उत्तर में पुनः आशीर्वाद देते हुए कहते हैं—'यह मेरे भाई की पुत्री का पुत्र शशु से अक्षात् रह कर वृद्धि को प्राप्त होवो,' और उत्तरार्थ में गृन्थकर्ता आचार्य बतलाते हैं कि 'तब उग्रसेन की इस इष्ट वाणी का अभिनन्दन करके—उस की सराहना करके—वे दोनों—वसुदेव और बलभद्र—नगरो (मथुरा) से बाहर निकल गये।'

इस वाक्य से जहाँ इस विषय में कोई सदेह नहीं रहता कि देवकी राजा उग्रसेनके भाईकी पुत्रा थी वहाँ यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि वह वसुदेवकी भतीजी थी : क्योंकि उग्रसेन आदि वसुदेव के चचाजाद भाई थे और इस लिये उग्रसेनकी पुत्री न होकर उग्रसेनके भाईकी पुत्री होनेसे देवकी के उस सम्बन्धमें परमाणुमात्र भी अन्तर नहीं पड़ता।

राजा उग्रसेनके दो सर्गे भाई थे—देवसेन और महासेन—जैसा कि पहले उद्घृत की हुई वंशावली से प्रकट है। उन में से, यद्यपि, यहाँ पर किसी का नाम नहीं दिया परन्तु पं० दौलतरामजी ने अपनी भाषा टीकामें उग्रसेन के इस भाईका नाम 'देवसेन' सूचित किया है। यथा:—

"हे पूज्य यह रहस्य गोप्य राखियो। या देवकीके पुत्र तें लिहारा बंदिगृह तैं, छूटना होयगा। तब उग्रसेन कही यह मेरे भाई देवसेन की पुत्री का पुत्र वैरी की विना जान में सुख तैं रहियो।"

पं० गजाधरलालजी ने भी इस प्रसग पर, अपने अनुवाद में, 'देवसेन' का ही नाम दिया है जिसका पीछे उल्लेख किया जाचुका है और उनकी, प० दौलतरामजी वालो इन पक्षियोंके आशयसे मिलती जुलती, पक्षियां भी ऊपर उद्घृत की जाचुकी हैं । हो सकता है कि उनका यह नामोल्लेख पं० दौलतरामजी के कथन का अनुकरण मात्र हो; क्योंकि तीन साल बाद के अपने विचार लेख में, जिसका एक अंश 'पश्चावती पुरवाल' से ऊपर उद्घृत किया जाचुका है, उन्होंने स्वयं देवकी को राजा उग्रसेन की पुत्री स्वीकार किया है । परन्तु कुछ भी हो, पं० दौलतरामजी ने उग्रसेन के उस भाई का नाम जो देवसेन सूचित किया है वह ठोक जान पड़ता है और उसका समर्थन उत्तरपुराण के निम्न वाक्यों से होता है:—

“ अथ स्वपुरमानीय वसुदेवमहीपतिम् ।

देवसेनसुतामस्यै देवकीपनुजां निजाम् ॥३६६॥”

विभूतिमद्वितीर्येवं काले कंसस्य गच्छति ।

अन्येद्युरतिमुक्ताख्यमुनिर्भिन्नार्थमागमत् ॥३७०॥”

राजगोहं सपीच्छैनं हासाजजीवद्यशा मुदा ।

देवकीपुष्पजानन्दवस्त्रमेतत्तवानुजा ॥ ३७१ ॥”

स्वस्याश्चेष्टितमेतेन प्रकाशयति ते मुने ।

इत्यबोचत्तदाकर्ण्य सकोपः सोऽपि गुस्तिभित् ॥३७२॥”

—७०वाँ पर्व ।

इन वाक्यों द्वारा यह बतलाया गया है कि—‘कसने नूप बसदेवको अपने नगरमें लाकर उन्हें देवसेनकी पुत्री अपनी छोटी बहन ‘देवकी’ प्रदानकी (विवाही) । इसके बाद कुछ काल बीतने पर एक दिन ‘आतिमुक्त’ नामके मुनि भिक्षाके लिये

कंसके राज भवन पर आए । उन्हें देखकर ( कंसकी रानी ) जीवद्यशा प्रसन्न हो हँसीसे कहने लगी 'देखो ! यह देवकीका रजस्वल आतन्द बख है और इसके द्वारा तुम्हारी छोटी बहन (देवकी) अपनी चेष्टाको तुम पर प्रकट कर रही है ।' इसे सुन कर मुनिका कोध आगया और वे अपनी बचनगुप्तिको मगकरके कहने लगे, क्या कहने लगे, यह अगले पद्धोमें बतलाया गया है ।

यहाँ देवकीके लिये दो जगह पर 'अनुजा' विशेषणका जो प्रयोग किया गया है वह खास तौरसे ध्यान देने योग्य है । अनुजा कहते हैं \*कनिष्ठा भगिनी को—† younger sister का—, जो अपने बाद पैदा हुई हो ( अनु पश्चात् जाता इति अनुजा । ) और यह शब्द प्रायः अपनी सगी बहन अथवा अपने सगे ताऊ चचाकी लड़कीके लिये प्रयुक्त होता है । कस उप्रसेन का पुत्र था और उप्रसेन देवसेन दोनों सगे भाई थे, यह बात इस प्रथा ( उत्तरपुराण ) में भी इससे पहले मानी गई है × और इसलिये कसने देवसेनकी पुत्री अपनी छोटी बहन देवकी ( देवसेनसुतां निजां अनुजां देवकीं ) वसुदेवको प्रदानकी ।

\*देखो 'शब्दकल्पद्रुम' कोश । †देखो वामन शिवराम एवं उनकी संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी ।

× यथा:—पश्चावत्या द्वितीयस्य वृष्टेश्च तनयात्मयः ।

उप्र-देव-महा॒युक्तिसेनान्ताश्च गुणान्विताः ॥ १०० ॥

\* \* \* \*

इति तद्वचनं भूत्वा मंजूषान्तस्यपत्रकं । गृहीत्वावाचि-  
यित्वोच्चैरप्रसेनमहीपतः ॥ ३५५ ॥ पश्चावत्याश्च पुत्रो-  
यमिनि कात्वा महीपतिः । विततारसुतां तस्मै राज्याधीं  
च प्रतुष्टवान् ॥ ३६६ ॥ कंसोप्युत्पत्तिमात्रेण स्वस्य नद्या  
विसर्जनात् । —उत्तरपुराण, ७० चाँ पर्व ।

इसका स्पष्ट अर्थ यही होता है कि कंसने आएने चाहा देवसेन की पुत्री देवकी बसुदेवसे व्याही । भावनगरकी एक पुराणी जीर्ण प्रतिमें, प्रथम पद्ममें आए हुए 'देवसेन' नाम पर टिप्पणी देते हुए, लिखा है—

"उग्रसेन-देवसेन महासेनाखयो नरवृष्णे: पुत्रा ज्ञातव्याः"  
अर्थात्—उग्रसेन, देवसेन, और महासेन ये तीन नरवृष्णि (भोजकवृष्णि) के पुत्र जानने चाहियें । इससे उक्त अर्थका और भी ज्यादा समर्थन हो जाता है और किसी संदेशको स्थान नहीं रहता । अस्तु ; यह देवसेन मृगावती देशके अन्तर्गत दशार्णपुर के राजा थे, 'धनदेवी' इनकी खी थी और इसी धनदेवी से देवकी उत्पन्न हुई थी, ऐसा उत्तरपुराणके निम्नवाक्य से प्रकट है :—

मृगावत्याख्यविषये दशार्णपुरभूपतेः ॥

देवसेनस्य चोत्पन्ना धनदेव्याश्च देव की ।

—७१ वाँ पर्व ।

और इस लिये ब्रह्मनेमिदस्तके नेमिपुराण, जिनदास ब्रह्मचारी के हरिवंशपुराण भट्टारक शुभचन्द्रके पाण्डवपुराण और भ० यशःकीर्ति के प्राकृत हरिवंशपुराणमें देवकी के पिता, धनदेवीके पति और दशार्णपुरके राजा रूपसे जिन देवसेनका उल्लेख पाया जाता है और जिनके उल्लेखोंको, इन ग्रन्थोंसे, समालोचनामें उद्घृत किया गया है वे यही राजा उप्रसेनके भाई देवसेन हैं—उनसे भिन्न दूसरे कोई नहीं है । नेमिपुराणमें तो उत्तर पुराणकी उक्त दोनों पक्षियाँभी ज्योकि त्यो उद्घृत पाई जाती हैं बल्कि इनके बादकी 'त्वं सा नन्दयशा खीन्वमुष-

\* उत्तरपुराणमें भोजकवृष्णि (वृष्णि) की जगह नरवृष्णि या नरवृष्टि ऐसा नाम दिया है ।

गम्य निश्चन्तः ॥ यहतीसरी पंक्तिभी उद्धृत है और ग्रन्थके प्रारंभमें अपने पुराण कथनको प्रधानतः गुणभद्रके पुराण (उत्तर-पुराण) के आश्रितम् चित किया है । यथा :—

यत्पुराणं पुरोक्तं गुणभद्रादिसूरिभिः ।

तदृच्छ्ये तुच्छबोधोऽहं किमाश्चर्यमतः परं ॥२८॥

पाठ्यपुराणमें, गुणभद्रकी स्तुतिके बाद स्पष्ट लिखा ही है कि उनके पुराणार्थका अबलोकन करके यह पुराण रचा जाता है । यथा :—

गुणभद्रभदंतोऽत्र भगवान् भातु भूतले ।

पुराणादौ प्रकाशार्थं येन सूर्यायितं लघु ॥ १६ ॥

तत्पुराणार्थमालोक्य धृत्वा सारस्वतं श्रुतम् ।

मानसं पाठ्यवान्नं हि पुराणं भारतं ब्रुवे ॥ २० ॥

जिनदास ब्रह्मचारीका हरिवशपुराण प्रायः जिनसेनाचार्य के हरिवशपुराणका सामने रखकर लिखा गया है और उसमें जिनसेनके वाक्योंका बहुत कुछ शब्दानुसरण पायाजाता है । जिनदासने स्वयं लिखा भी है कि यौतमगण्डरादिके बाद हरिवशके चरित्रको जिनसेनाचार्यने पृथ्वी पर प्रसिद्ध किया है । और उन्हींके वाक्यों परसे यह चरित्र अपने तथा दूसरोंके सुख बोधार्थ यहाँ उद्धृत किया गया है । यथा :—

ततः क्रमाच्छ्रीजिपसेननाम्वाचायेणजैनागमकोविदेन ।

सत्काव्यकेलीसदनेन पृथ्व्यांनीतं प्रसिद्धि चरितं हरेश्च ॥३५॥

श्रीनेमिनाथस्य चरितमेतदाननं (?) नीत्वा जिनसेनसरेः ।

अमुदधृतं स्वान्यसुखप्रबोधहेतोश्चिरं नन्दतु भूमिपीडे ॥४१॥”

—४०वाँ सर्ग ।

और यशःकीर्नि भी अपने प्राकृत हरिकंपुराणको जिनसेन के आधार पर लिखा है । वे उसके शब्द अर्थका सम्बन्ध जिनसेनके शास्त्र ( हरिवंशपुराण ) से बतलाते हैं । यथा:—  
 अह महंत पिकिखवि जणु संकित । ता हरिवंसु मद्मिर्दिहिंकित ॥  
 सद अथसंबंधु फुरंतड । जिणसेणहो सत्ताहो यहु पयदिड ॥

इन उल्लेखोंसे स्पष्ट है कि उक्त नेमिपुराणादि चारों प्रथं जिनसेनके हरिवंशपुराण और गुणभद्रके उत्तरपुराणके आधार पर लिखे गये हैं और इनलिये इनमेंसे यदि किसीमें देवकीको कसकी या कसके भाई अतिमुल्तककी बहन ( स्वसा ), छाड़ी बहन ( अनुजा ) अथवा राजा उग्रसेनके भाईकी पुत्री ( भ्रातृ-शरीरजा, इत्यादि ) नहीं लिखा हो तो इनमें परसे ही वह किसी दूसरे देवसेनकी पुत्री नहीं ठहराई जा सकती, जबतक कि कोई स्पष्ट कथन प्रथमें इसके विरुद्ध न पाय जाताहो । और यदि इन ग्रंथोंमेंसे किसीमें ऐसा कोई विरोधी कथन हो भी तो वह उस प्रथाकलरका अपना तथा अर्धाच्छेन कथन समझना चाहिये, उसे जिनसेनके हरिवशपुराण और गुणभद्रके उत्तरपुराणपर काई महत्व नहीं दिया जासकता । परन्तु इन ग्रन्थोंमें ऐसा काईमी विरोधी कथन मालूम नहीं पड़ता जिससे देवकी राजा उग्रसेनके भाई देवसेन से भिन्न किसी दूसरे देवसेनकी पुत्री ठहराई जासके ॥ फिरभी समालोचकजी नेमिपुराणमें

\*जिनदास ब्रह्मचारीके हरिवशपुराणमें तो उन तीनों अवसरोंपर देवकीको कस तथा अनिमुक्तककी बहन ही लिखा है जिनपर जिनसेनके हरिवशपुराणमें धैसा लिखा गया है । यथा:—

“आनीय मथुरां भक्त्याऽभ्यर्थ्यर्थ प्रदद्वौ निजां । स्वसार  
 देवकीं तस्मै सन्मान्य मृदुभाषया ॥ ६८ ॥” सविभ्रामा  
 हसंतीति प्राह जीवद्यशा स्वसुः । देवस्या यीक्षा त्ववल्ल-

यह स्वप्न देख रहे हैं कि उसमें देवकी को कंसके मामाकी पुत्री लिखा है और उसीके निम्न वाक्योंके आधारपर यह प्रतिपादन करना चाहते हैं कि देवकी कंसके मामाकी लड़की थी, इस लिये कंस उसे बहन कहता था और इसीसे जिनसेनाचार्यने, हरिवशपुराणमें, उसे कंसकी बहन रूपसे उल्लेखित कियाहै:—

ततः स्वयं समादाय पितुः राज्यं स कंसवाक् ।

गौरवेण समानीय वसुदेवं स्वपत्तनम् ॥ ८६ ॥

तदा मृगाचतीदेशो भुर्भुजादेशनं (?) पुण्ट ।

कंसमातुलजानीता[\*तां]धनदेव्या[व्यां]समुद्रवा[वां] ॥ ८७ ॥

देवकी[कीं] नामर्ता[तः] कन्या कांचिदन्य[न्यां] सुरांगना[नां] ।

महोत्सर्वदां तस्मै सोषि सार्धं तथा स्थितः ॥ ८८ ॥

इन पदोंमें से मध्यका पद्य नं० ८७, यद्यपि, ग्रन्थकी सब प्रतियोंमें नहीं पाया जाता— देहलीके नये मंदिरकी एक प्रतिमें भी वह नहीं है— और न इसके अभावसे प्रन्थके कथनसम्बन्धमें ही कोई अन्तर पड़ता है; हाँ सकता है कि यह 'क्षेपक' हो। किंवा भी हमें इन पद्यके अस्तित्व पर आपत्ति करनेकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें 'कंसमातुलजानीता' नामका जो विशेषण पद है उससे यह बात नहीं निकलती कि देवकी कंसके मामाकी लड़की थी, बल्कि कंसके मातुलपुत्र द्वारा वह लाई

मृतुकालविडंवितम् ॥ ८९ ॥ “वरमङ्गातवृत्तान्तः प्रददौ  
स्वच्छधीः स्वयं । तथेत्युक्त्वा स्वसुर्भातृगेहं किंच न  
कुत्सित ॥ ९० ॥”

—१२ वाँ सर्ग ।

\*इस प्रकारकी ब्रैकटोके भीतर जो पाठ दिया है वह शुद्ध पाठ है। और ग्रन्थकी दूसरी प्रतियोंमें पाया जाता है।

गई थी (कंसमातुलजेन आनीता तां = कंसमातुलजानीतां ), यह उसका अर्थ होता है । कंसका मामा जरासंध था । जरासंधके किसी पुत्रद्वारा देवकी दशार्णपुरसे मथुरा लाई गई होगी, उसीका यहाँपर उल्लेख किया गया है । पिछले दोनों पदोंमें 'कन्यां' पदके जितने भी विशेषण पद है वे नव द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं और इस लिये + "कंसमातुलजानीतां" पदका दूसरा कोई अर्थ नहीं होना जिससे देवकी को कंसके मामाकी पुत्री ठहराया जासके । इस नेमिपुराणकी भाषा टीकाके पडित भागचन्द्रजीने की है उन्होंने भी इन पदोंकी टीकामें देवकीको कंसके मामाकी पुत्री अर्थवा दशार्णपुरके देवसेन राजाको कंसका मामा नहीं बतलाया, जैसाकि उक्त टीकाके निम्नअंशसे प्रकटहै:

"मृगावती देशविवेदशार्णपुर तहाँ देवसैन राजा और  
घनदेवीरानी तिनकी देवकीनामा पुत्री मँगाय मानो  
दूसरो देवाँगनाही है ताहि महोत्सव कर सहित वसु-  
देवके अर्थ देता भया । वसुदेव त। सहित तिष्ठै ।"

—नानीताके एक जैनमंदिरकी प्रति ।

जान पड़ता है समालोचकजीने वैसेही विना समझे उक्त पद परसे देवकीको कंसके मामाको पुत्री और देवसेनको कंस का मामा कलिप्त कर लिया है और अपनी इस निःसार कल्पना के आधार पर ही आप अपने पाठकोंका यह संदेह दूर करनेके

---

+ देवलीके नये मंदिरकी दूसरी प्रति और पचायती मंदिर की प्रतिमें भी मध्यका शठोक जहर है परन्तु उनमें इस पदकी जगह 'कंसमातुल आनीता[तां]' ऐसा पाठ है, जिसका अर्थ होताहै 'कंसके मामा द्वारा लाई हुई' । परन्तु वह मामा द्वारा लाईगई हो या मामाके पुत्र द्वारा, किंतु मामाकी पुत्री नहीं थी यह स्पष्ट है ।

लिये तथ्यार हो गये हैं कि जिनसेनने हरिवंशपुराणमें देवकी को कंसकी बहन क्योंकर लिखा है ! यह कितने साहसकी बात है ! आपने यह नहीं सोचा कि जिनसेनाचार्य तो स्वयं देवकी को राजा उग्रसेनके भाईकी पत्री बतला रहे हैं और देवसेन उपसेन का सगा भाई था, फिर वह कंसके मामाकी लड़की कैसे हांसकती है ? वह तो कंसके सगे चचाकी लड़की हुई । परन्तु आप तो सत्य पर पद्मा डालनेकी धूनमें मस्त थे आपको इननी समझ बुझसे क्या काम ?

यहाँ पर इतना और भी बतला देना उचित मालम होता है कि पहले जमाने में मामाकी लड़कीसे विवाह करनेका आम रिवाज था और इसलिये मामाकी लड़कीको उस बक् कोई बहन नहीं कहता था । और न शास्त्रोंमें बहन रूप से उसका उप्पेक्ष पाया जाता है । समालोचकजी लिखनेको नों लिखगये कि देवकी कंसके मामाकी लड़की थी और इसलिये कंस उसे बहन कहता था परन्तु पीछे से यह बात उन्हें भी खटकी जरूर है और इसलिये आप समालोचनाके पृष्ठ ११ पर लिखते हैं :—

“ देवकी कंसके मामाकी बेटी थी आजकल मामाकी बेटीको भी बहिन मानते हैं । शायद इस पर बाबू साहब यह कह सकते हैं पहिले मामाकी बेटी बहिन नहीं मानी जाती थी क्योंकि लोग मामाकी बेटीके साथ विवाह करते थे और दक्षिणदशमें अबभी करते हैं, परन्तु इस सन्देहको आराधनाकथाकोशकं न्युक अच्छी तरह दूर कर देते हैं साथमें बाबू साहबके खास गांव देवबद्में जो आराधनाकथाकोश छुपा है उससे भी यह संदेह साफ़ नौर से काफूर हो जाता है ”

इससे ज़ाहिर है कि समालोचकजी ने देवकीको यदुवंशसे पृथक करने और उसे भोजकवृष्टिकी पौत्री न माननेका अपना

अन्तिम आधार आराधनाकथाकोशके कुछ श्लोकों और उनके भाषापैदानवाद पर रखला है। आपके चे श्लोक इस प्रकार हैं:

अथेऽमृतिकावत्यो पुर्या देवकि[क] भूपतेः ।

पार्याया धनदेव्यास्तु देवकीं चारुका[क]न्यकाम्॥८५॥

प्रतिपन्स्वभगिनी[मीन्द्रां] तां विवाहप्रयुक्तिः ।

कंसो सौ वा[व]सुदेवाय कुरुवंशो[श्यो]द्वां ददौ॥८६॥

ये दोनों जिस आराधना कथाकोश के श्लोक हैं वह उन्हीं नेमिदत्त ब्रह्मचारीका बनाया हुआ है जो नेमिपुराणके भी कर्ता हैं और जिन्होंने नेमिपुराणमें देवकीको न तो कुरुवंशमें उत्पन्न हुई लिखा और न इस बातका ही विवाह किया कि कंसने उसे वैसेही वहन मान लिया था—वह उसके कुरुम्बकी वहन नहीं थी। परन्तु समाजोचकजी उनके इन्हीं पदों परसे वह सिद्ध करना चाहते हैं कि देवकी कुरुवंशमें उत्पन्न हुई थी और कंस उसे वैसेही वहन करके मानता था। इसीसे आपने इन पदोंका यह अर्थ किया है—

“मृतिका पुरीके राजा देवकी [ ? ] की रानी धनदेवी

के एक देवकी नामकी सुन्दर कन्या थी। वह कुरु-

वंशमें उत्पन्न हुई थी। और कंस उसे बहिन करके

मानता था। उसने वह कन्या वसुदेवको व्याहृदी।”

परन्तु “वह कुरुवंश में उत्पन्न हुई थी और कंस उसे वहन करके मानता था” यह जिन दो विशेषण पदोंका अर्थ किया गया है उन्हें समालोचकजी ने ठीक तौर से समझा मालूम नहीं होता। आपने यह भी नहीं खयाल किया कि इन श्लोकों का पाठ कितना अशुद्ध हो रहा है और इसलिये मुझे उनका शुद्ध पाठ मालूम करके प्रस्तुत करना चाहिये—वैसे ही अशुद्ध रूप में आराधनाकथाकोशकी छुपो हुई प्रति परसे नकल

करके उसे पाठकों के सामने रख दिया है। “देवकभूपतेः” की जगह “देवकिभूपतेः” पाठ देकर आपने देवकी के पिता का नाम ‘देवकी’ बतलाया है परन्तु वह ‘देवक’ है— देवकी नहीं दिन्दुओं के यहाँ भी देवकी के पिता का नाम ‘देवक’ दिया है और उसे कंसके पिता उप्रसेनका सगा भाई भी लिखा है; जैसा कि उनके महाभारतान्तर्गत हरिवंशपुराण के निम्न वाक्योंमें प्रकट है—

आहुकस्य तु काशयार्या द्वौ पुत्रौ संबभूतुः ॥ २६॥

देवकश्चोग्रसेनश्च देवपुत्रसमावुभौ ।

देवकस्याभवन्पुत्राश्चत्वारस्त्रिदशोपमाः ॥ २७ ॥

देववानुपदेवश्च सुदेवो देवरक्षितः ।

कुमार्यः सप्तचाप्यासन्वसुदेवाय ता ददौ ॥२८॥

देवकी शांतिदेवा च सुदेवा देवरक्षिता ।

वृकदेव्युपदेवीच सुनाम्नीचैव सप्तपी ॥ २९ ॥

नवोग्रसेनस्य सुताम्तेषां कंसस्तु पूर्वजः ।

न्यग्रोधश्चसुनामा च कंकः शंकुः सुभूमिपः ॥३० ॥

—३७ वाँ अध्याय ।

और इस लिये देवक देवसेन का ही लघुरूप है। उसी सघु नाम से यहाँ उसका उल्लेख किया गया था जिसे समालोचकजी ने नहीं समझा और देवको के पिता को भी देवकी बता दिया! “वासुदेवाय” पाठ भी अशुद्ध है, उसका शुद्ध रूप है “वसुदेवाय” तभी ‘वसुदेव को’ देवकी के दिये जाने का अर्थ बन सकता है अन्यथा, ‘वासुदेवाय’ पाठ से तो यह अर्थ हो जाता है कि देवकी ‘वासुदेव’ को वसुदेव

के पुत्र श्रीकृष्ण को—व्याही गई, और यह कितना अनर्थकारी अर्थ है इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं। इसी तरह “प्रतिपत्तिस्वभगिनी” पाठ भी अशुद्ध है। इलोक में छुटा आक्षर गुरु और पहले तथा तीसरे चरण का सातवाँ आक्षर भी गुरु होता है \* परन्तु यहाँ उक्त पहले चरण में ६ ढा और ७ वाँ दोनों ही आक्षर लघु पाये जाते हैं और इसलिये वे इस पदके अशुद्ध होने का खासा सदैह उत्पन्न करते हैं। लेखकके पुस्तकालयमें इस ग्रन्थका एक झीण प्रति स ० १७८५की लिखा हुई है, उसमें “प्रतिपत्तिस्वभगिनीन्द्रां” ऐसा पाठ पाया जाता है। इस पाठमें ‘भगिनी’ की जगह “भग्नी” एक का जो प्रयोग है वह ठीक है और उससे उक्त दोनों आक्षर लादः शास्त्रकी विभिन्न, गुरु हो जाने हैं परन्तु अन्तका ‘भाँ’ आक्षर कुछ अशुद्ध जान पड़ता है और उसमें अधिक आक्षर नहीं कहा जासकता। क्योंकि उसे पृथक करके यदि “भग्नी” का “भग्नी” पाठ माना जावे तो उसमें छंद भग हो जाता है—आठकी जगह सात ही आक्षर रह जात है—इस लिये ‘भग्नी’ के बाद आठवाँ आक्षर पदकी विभक्तिको लिये हुए जुरूर होता चाहिये। मालूम होता है वह आक्षर “न्द्रां” था, प्रति लेखक की कृपा से “भाँ” बन गया है। और इसलिये उक्त पदका शुद्ध रूप “प्रतिपत्तिस्वभग्नीन्द्रां” होता चाहिये, जिसका अर्थ होता है ‘अपनो वहनों में इन्द्रा पद को ग्रास’—अर्थात्, इन्द्राणी जैसी। नेमिदत्तने अपने ‘नेमिपुराण में भी देवकी को ‘सुरांगणा’ लिखा है जैसा कि ऊपर उद्धृत किये

\* यथा:—‘ श्लोके पष्टुं गुरुष्वेयं सर्वत्र लघुं पञ्चमम् ।

द्वितुष्पादयाहस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः ॥ १० ॥

—भुतवोधः ।

हुए उसके पद्धति नं० ८८ से प्रकट है। उसी बातको उन्होंने यहाँ पर इस पद के द्वारा व्यक्त किया है और उसे अपनी बहनों में इन्द्रा ( शची ) जैसी बनाया है। वह कस को बैसे ही मानी हुई—कलिपत को हुई—बहन, योग, यह अर्थ नहीं बनता और न उसका कहीं से कोई समर्थन होता है। देवकी यदि कसकी कलिपत भगिनी थी तो उससे यह लाजमी नहीं आता कि वह कंस के भाई अतिमुक्तक की भी कलिपत भगिनी थी—यद्योंकि अतिमुक्तकजी ने उसी बक्त जिनदोक्षा धारण करती थी जबकि कपनने अधुरा आकर अपने पिताका वदिगृह में डाला था—और इसकी कस ने यदि देवकीका अपनी बहन बनाया तो वह उसकी दाद का कार्य हुआ। फिर अतिमुक्तक के मिळार्थ आने पर कंसकी खी ने उनसे यह क्यों कहा कि ' यह तुम्हारी बहन (स्वसा अथवा अनुजा) देवकीका आनन्द बख है ' इस वाक्य-प्रयोग से तो यही जाना जाता है कि अतिमुक्तकका देवकाके साथ भाई बहन का कौटुम्बिक सम्बन्ध था और इसी स जीवद्यशा नि सक्रेच माव से उस सम्बन्ध का उनके सामने उल्लेख कर सकी है अथवा उक्त वाक्य के कहने में उसकी प्रवृत्ति हो सकी है। यदि यह कहा जाय कि जिस प्रकार दूसरे के पुत्र को गोद ( दत्तक ) लेकर अपना पुत्र बना लिया जाता है और तब कुटुम्बवालों पर भी उस सम्बन्ध की पावन्दी होती है—बे उसक साथ गोद लेने वाले व्यक्ति के समे पुत्र जैसा ही व्यवहार करते हैं—उसी प्रकार से कस ने भी देवकी को अपनी बहन बना लिया था तो अथम तो इस प्रकार से बहन बनानेका कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता—हरिवशपुराण(जिन-सेनकृत ) और उत्तरपुराण जैसे प्राचीन ग्रन्थों से यही पाया जाता है कि देवकी उन राजा देवसबकी पुत्री थीं जो कस के पिता उप्रसेन के सर्गे भाई थे—दूसरे, यदि ऐसा मान भी लिया

आय तो कस की येसी दत्तकतुल्य बहन वसुदेवकी भतीजी ही हुई—उसमें तथा कस की मगी बहन में सम्बंध की हालिए से कोई अन्तर नहीं होता—और इसलिये भी यह नहीं कहा जासकता कि वसुदेव ने अपनी भतीजी से विवाह नहीं किया। येसा कहना मानो यह प्रतिपादन करना है कि ‘एक भाई के दत्तकपुत्र से दूसरा भाई अपनी लड़की व्याह सकता है अथवा उस दत्तकपुत्र की लड़की से अपना या अपने पुत्र का विवाह कर सकता है’। क्योंकि वह दत्तक (गोद लिया हुआ) पुत्र उस भाई का असली पुत्र नहीं है किन्तु माना हुआ पुत्र है। परन्तु जहां तक हम समझते हैं समालोचकजी को यह भी इष्ट नहीं हो सकता, फिर नहीं मालूम उन्होंने क्यों—इतने स्पष्ट प्रमाणों की मौजदगी में भी—यह सब व्यर्थका आडम्बर रचा है? नादानी और वेसमझी के सिवाय इसका दूसरा और क्या कारण हो सकता है?

रही कुरुवंशमें उत्पन्न होनेकी बात, वहभी ठीक नहीं है। ‘कुरुवश्योऽद्वा’ का शुद्ध रूप है ‘कुरुवश्योऽद्वा’ जिसका अर्थ होता है ‘कुरुवश्या रुमें उत्पन्न’ (कुरुवंशयामें उद्वा या तो कुरुवंशयोऽद्वा)। अर्थात्, देवकीकी माता धनदेवी कुरुवंशया थी—कुरुवंशमें उत्पन्न हुई थी—नकि देवकी कुरुवश्यमें उत्पन्न हुई थी। समालोचकजी ने भाषाके जो निम्न छुट उद्घृत किये हैं उनसेभी आपके इस सब कथनका कोई समर्थन नहीं होता:—

अब नगरी मतिकावती, देवसेन महराज ।

धनदेवी ताके तिया, कुरुवंशन सिरताज ॥

ताके पुत्री देवकी, उपजी सुन्दर काय ।

सो वसुदेव कुमार संग, दीनी कंस सु व्याह ॥

यहाँ ‘कुरुवश्यन सिरताज,’ यह स्पष्ट रूपसे ‘धनदेवी’ का

विशेषण जाना जाता है और इनको धनदेवोंके अनन्तर प्रशुक करके कविने यह साफ सूचित किया है कि धनदेवी कुरुवंशमें उत्पन्न हुई ख्रियोंमें प्रधान थी । वाकी देवकी कसको मानी हुई वहन थी, इस बातका यहाँ कोई उल्लेख ही नहीं है । इतने पर भी समालोचकजी इन भाषा छुदा परसे संदेह का काफूर होना मानत है और लिखते हैं :—

“यह सब कोई जानता है कि वसुदेव युद्धशी थे,  
और देवकी कुरुवंशकी थी । परन्तु वाचू साहबने  
तो उसे सगी भतीजी बना ही दी ।”

परन्तु महाराज ! सब लोग तो देवकीको कुरुवंशकी नहीं जानते, और न हरिवंशपुराण नथा उत्तरपुराण जैसे प्रचीन ग्रन्थोंसे ही उसका कुरुवंशी होना पाया जाता है—यह तो आपके ही दिमाग शरीफमें नई बात उनरी अथवा आपकी ही नई ईजाद मालूम होती है । और आपको ही कदाग्रह नथा बेहयाई का चश्मा चढ़ी हुई आँखें इस बातको देख सकती हैं कि वाचू साहब लेखकने कहाँ आपने लेजलमें देवकीका वसुदेव की ‘सगी’ भतीजी लिखदिया है, लेजलमें दा हुई वशावली परसे तो कोई भी नेत्रबान उसमें सगी भतीजीका दर्शन नहीं कर सकता । सच है ‘हठप्राही मनुष्य युक्तिका खींच खाँचकर वहीं लेजाना है जहाँ पहलेमें उसका मति ठहरी हुई होती है परन्तु जो लोग पक्षपात रहित होते हैं वे अपनी मतिको वहाँ ठहराते हैं जहाँतक युक्ति पहुँचती है’ । इसीसे एक आचार्यमहाराजने,ऐसे हठ प्राहियोंकी बुद्धिपर खेद प्रकट करते हुए, लिखा है :—

“आग्रही बत ! निनीषति युक्ति यत्रतत्रमतिरस्य निविष्टा ।  
पक्षपातरहितस्य तु युक्तिर्यतत्रमतिरेति निवेशम् ॥”

हाँ, समालोचकजी की एक दूसरी, विलकुल नई, ईजादका

उल्लेख करना तो रहही गया, और वह यह है कि उन्होंने, लेखक पर इस बातका 'आक्षेप करते हुए कि उसने भाषा के कुदोबद्द 'आराधना कथाकोश' के कथन पर जान बूझ कर ध्यान नहीं दिया, यह विधान किया है कि उसने उक्त प्रथका स्वाध्याय अवश्य किया होगा, क्योंकि वह उसके खास गाँव<sup>(१)</sup> देवबन्द का छुपा हुआ है। और इस तरह पर यह घोषणा की है कि जिस नगर या ग्राममें कोई प्रथा छुपता है वहाँका प्रत्येक पढ़ा लिखा निवासी इस बातका जिम्मेवार है कि वह प्रथा उसने पढ़ लिया है और वह उसके सारे कथनको जानता है। और इसलिये बम्बई, कलकत्ता आदि सभी नगर ग्रामोंके पढ़ेलिखों को अपनी इस जिम्मेदारीके लिये साबधान हो जाना चाहिये! और यदि किसीको यह मालूम करनेकी ज़रूरत पड़े कि बम्बई में कौन कौन ग्रन्थ छुपे हैं और उनमें क्या कुछ लिखा है तो वहाँके किसी एक ही पढ़ेलिखेको बुलाकर अथवा उससे मिल-कर मारा हाल मालूम कर लेना चाहिये! यह कितना भारी आविष्कार समालोचकजीने कर डाला है! और इससे पाठकों को कितना लाभ पहुँचेगा!! परन्तु खेद है लेखक तो कई बार अपने अनेक स्थानोंके मित्रोंको वहाँके छुपे हुए प्रथोंकी बाबत कुछ हाल दर्यापत करके ही रह गया और उसे यही उत्तर मिला कि 'हमें उन प्रथोंका कुछ हाल मालूम नहीं है।' शायद समालोचकजी ही पक्के ऐसे विचित्र व्यक्ति होंगे जिन्होंने कमसे कम

\*यथा:—बाबू साहबके खास गाँव देवबन्दमें जो 'आराधनाकथाकोश' छुपा है उससे भी यह सदैह साफ तौरसे काफ़ूर होजाता है क्या बाबू साहबने अपने यहाँसे प्रकाशित हुए प्रथोंका भी स्वाध्याय न किया होगा? किया अवश्य होगा परन्तु उन्हें तो जिस तिस तरह अपना मतलब बनाना है।

देहलीसे, जहाँ आपका अक्सर निवास रहता है, प्रकाशित होने वाली सभी पुस्तकों तथा प्रन्थोंको—परिचय, इतिहा, और संग्रामि आदि के न होत हुए भी—पढ़ा होगा और आपको उनका पूर्ण विषय भी कष्टस्थ होगा ! रही लेखक की प्रन्थोंके पढ़ने की बात, यद्यपि उसका अधिकांश समय प्रन्थोंके पढ़ने और उनमें से अनेक तत्वों तथा तथ्योंका अनुसधान करने में ही व्यतीत होता है, फिर भी वह देवबन्द से प्रकाशित हुए ऐसे साधारण सभी ग्रन्थोंको तो क्या पढ़ता, स्वयं उसकी लायब्रेरी में पचासों अच्छे ग्रन्थ इस वक्त भी मौजूद हैं जिन्हें पूरी तौर पर अथवा कुछको अधूरी तौर पर भी पढ़ने देखने का अभी तक उसे अवसर नहीं मिल सका । इसलिये समालोचक जीका उक्त आक्षेप व्यर्थ है और वह उनके दुरागृहोंको सूचित करता है ।

यहाँ तकके इस सब कथन से यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि देवकी न तो कुरुवशमें उत्पन्न हुई थी, न कसके मामाकी लड़की थी और न वैसे ही कसद्वारा कल्पना की हुई बहन थी, बल्कि वह कसके पिता उग्रसेनके सगे भाई अथवा कंसके सगे चचा देवसेनकी पुत्री थी—यदुवंशमें उत्पन्न हुई थी—और इसी लिये नृप भोजकवृष्टि (या नर वृष्णि) तथा भोजक-वृष्टि के भाई अंधकवृष्टि (वृष्णि) की पौत्री थी और उसे अधकवृष्टि के पुत्र वसुदेवकी भतीजी समझना चाहिये । इसी देवकीक साथ वसुदेवका विवाह होने से साफ़ जाहिर है कि उस वक्त एक कुटुम्बमें भी विवाह हो जाता था और उसके मार्गमें आज कल जैनी गोत्रीकी परिकल्पना कोई वाधक नहीं थी । अग्रवाल जैसी समृद्ध जाति भी इन्हीं कौटुम्बिक विवाहोंका परिणाम है । उसके आदि पुरुष राजा अग्रसेनके सगे पोते पोतियों का—अथवा यो कहिये कि उसके एक पुत्रकी सततिका दूसरे पुत्रकी संततिके साथ—आपसमें विवाह हुआ था । आजकल

भी आगवाल आगवालोंमें ही विवाह करके आपने पकहो बंशमें विवाहकी प्रथाको चरितार्थ कर रहे हैं और राजा अग्रसेनकी दृष्टिसे सब आगवाल उन्हींके एक गाढ़ी हैं । समालोचकजीमें विरोधके लिये जिन प्रमाणोंको उपस्थित किया था उनमेंसे एकमी विरोधके लिये स्थिर नहीं रह सका; प्रत्युत इसके सभी सेवकके कथनकी अनुकूलतामें परिख्यत होगये और इस बातको जल्ला गये कि समालोचकजी सत्य पर पर्दा डालनेकी धुनमें समालोचना की हृदसे किनने बाहर निकल गये—समालोचक के कर्तव्यसे कितने गिर गये—उन्होंने सत्यको छिपाने तथा असलियत पर पर्दा डालनेकी कितनी कोशिश की, कितना कोलाहल मचाया, कितना आडम्बर रचा और किनना पालड फैलाया परन्तु फिरभी वे उनमें सफल नहीं हो सके ! सायदी, उनके शास्त्रज्ञान और द भविधानकी भी सारी क़लई खुलगई !! अस्तु ।

यह तो हुई उदाहरणके प्रथम अंश—‘देवकीसे विवाह’— के आतेपाँकी बात, अब उदाहरणके दूसरे अंश—‘जरासे विवाह’—को लीजिये ।

### म्लेच्छों से विवाह ।

लेखक ने लिखा था कि—‘ जरा किसी म्लेच्छराजाकी कन्या थी जिसने गगा तट पर वसुदेवजी को परिभ्रमण करते हुए देखकर उनके साथ आपनो इस कन्या का पाणिप्रहण कर दिया था । प० दौलतरामजी ने, अपने हरिवंशपुराणमें, इस राजा को ‘म्लेच्छवण्ड का राजा’ बनलाया है और प० गजाधरलालजी उसे ‘भीलोंका राजा’ सूचित करते हैं । वह राजा म्लेच्छवण्डका राजा हो या शार्यवण्डोद्भव म्लेच्छराजा, और चाहे उसे भीलोंका राजा कहिये, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि

वह आर्य तथा उच्चजाति का मनुष्य नहीं था । और इस लिये उसे अनार्य तथा म्लेच्छ कहना कुछ भी अनुचित नहीं होगा । म्लेच्छों का आचार आम तौर पर हिंसामें रति मासभक्षण में प्रीति और जबरदस्ती दूसरों की धनसम्पत्ति का हरना, इत्यादिक इत्यादिक हाता है जैसा कि आजिनसेनाचार्यप्रणीत आदि-पुराणके निम्नलिखित वाक्य से प्रकट है —

**म्लेच्छाचारो हि हिसायां रतिर्मासाशनेऽपि च ।**

**बलात्परस्वदरण निर्भूतत्वमिति स्मृतम् ॥ ४२—१८४ ॥**

बनुदेवजी ने यह सब कछु जानने हुए भी, बिना किसी भिभक्ति और स्कावट के बड़ी खुशी के साथ इस म्लेच्छ राजा का उक्त कन्या से विवाह किया और उनका यह विवाह भी उस समय कछु अनुचित नहा समझा गया । बलिक उस समय और उसस पहले भी इस प्रकार के विवाहों का आम दस्तूर था । अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित उच्चकुलीन और उत्तमात्म पुण्या ने म्लेच्छ राजा आँ की कन्याओं से विवाह किया जिनक उदाहरणोंसे जैन साहित्य परिपूर्ण ह ।'

उदाहरणके इन अश से प्रकट है कि लेखकने जिननी धार अपना और से जरा क पिताका उल्लेख किया हैं वह

"म्लेच्छराजा" पद के द्वारा किया ह, जिसमें "म्लेच्छ विशेषण और 'राजा' विशेष्य है (म्लेच्छ राजा म्लेच्छराजा) और उस का अर्थ हाना है 'म्लेच्छ जाति विशिष्ट राजा—अर्थात् म्लेच्छ जातिका राजा वह राजा जिसकी जाति म्लेच्छ है, न कि वह राजा जो आर्यजातिका होने हुए म्लेच्छों पर शासन करता है । परन्तु समालाचकजी ने दूसरे विद्वानों के अवतरणोंको लेकर और उन्हें भी न समझ कर उनक शब्द छुन से लेखक पर यह आपत्ति की है कि उसने म्लेच्छखड़ों पर

शासन करने वाले आर्य जाति के चक्रवर्ती राजाओं को भी म्लेच्छ डहरा दिया है ! आप लिखते हैं :—

“ खूब [!] क्या म्लेकों का राजा भी म्लेक ही हागा ? और भीलोंका राजा भी भील ही हो, इसका क्या प्रमाण ? यदि कोई हिन्दुस्तान का राजा हो तो हिन्दू ही हो सकता है क्या ? और जरमनका जरमनी तथा मुसलमानोंका मुसलमान ही हो सकता है क्या ? यदि ऐसा ही नियम होता तो चक्रवर्ती जोकि म्लेक्षणगढ़के भी राजा होते हैं । लेखक महोदयके विचारनुसार वे भी म्लेक कहे जाने चाहिये । इस नियमानुसार पूज्य तीर्थकर श्री शान्तिनाथ कुन्थुनाथ, अरहनाथ जोकि चक्रवर्ती थे, लेखक महोदय की सम्मति अनुसार वे भी इसी कोटिमें आसकेंग ? अतः इसका कार्य नियम नहीं है कि किसी जाति या देशका राजा भी उसी जाति का हो अतः इस लेखसे यह सिद्ध होता है कि जरा कन्या भील जाति की नहीं थी । ”

पाठकजन देखा ! समालोचकजी कितनी भारी समझ और अनन्य साधारण बुद्धिके आदमी हैं ! उन्होंने लेखकके कथनको कितनी धड़िया समालोचना कर डाली !! और कितनी आसानी से यह सिद्धकर दिखाया कि ‘जरा’ भील जातिकी कन्या नहीं थी !!! हम पूछते हैं यह कौन कहता है और किसने कहाँ पर विधान किया कि म्लेच्छोंका राजा म्लेच्छ ही होता है, भीलोंका राजा भीलही होता है, हिन्दुस्तानका राजा हिन्दू ही होता है और मुसलमानोंका राजा मुसलमानही हुआ करता है ? फिर क्या अपनी ही कल्पनाकी समालोचना करके आप खुश होते हैं ? क्या जिस राजाकी बाबत यह कहा जाता हो कि यह ‘हिन्दूराजा’

है आप उसे 'मुसलमान' समझते हैं ? और जिसे 'मुसलमान राजा' के नामसे पुकारा अथवा उल्लेखित किया जाता हो उसे 'हिन्दू' क्याल करते हैं ? यदि नहीं तो फिर एक 'म्लेच्छ राजा' को म्लेच्छ न मानकर आप 'आर्य' कैसे कह सकते हैं ? हिन्दू और 'मुसलमान' जिस प्रकार जातिवाचक शब्द है उसी प्रकार से 'म्लेच्छ' भी एक जातिवाचक शब्द है । और ये तीनों ही राजा शब्दके पूर्ववर्ती होने पर अपने अपने उत्तरवर्ती राजाको जातिको सूचित करते हैं । स्वयं श्रीजिनसेनाचार्य ने, अपने हरिवशपुराणमें, इस राजाको स्पष्ट रूपसे 'म्लेच्छराज' लिखा है । यथा —

चंपा-सरसि, सपाप्य तस्यां सोमात्यदेहजाम् ॥ ४ ॥  
 तोयक्रीडा रतस्तत्र स हृतः सूर्पकाऽरिणा ।  
 चिमुक्तश्च पपातासौ भागीरथ्यां यनोरथी ॥ ५ ॥  
 पर्यटन्त्रवी तत्र म्लेच्छराजेन वीक्षितः ।  
 परिणीय सुतां तस्य जरारथ्यां तत्र चावसद् ॥ ६ ॥  
 जरत्कुमारमुत्पाद्य तस्यामुन्नतविक्रमः ।

इन पदोंमें यह बतलाया गया है कि— चपाषुरीमें वहाँके मध्रीकी पुत्रीसे विवाह करके, एकदिन वसुदेव चपा नगरीके सरोबरमें जलकीडा कर रहे थे उनका शब्द सूर्पक उन्हें हर कर लेगया और ऊपरसे छोड़दिया । वे भागीरथी (गगा) नदी में गिरे और उसमें से निकल कर एक बनमें घूमने लगे । वहाँ एक म्लेच्छ राजासे उनका परिचय हुआ, जिसकी 'जरा' नाम की कल्प्यासे विवाह करके वे वहाँ रहने लगे और उस रुपी से जन्मने 'जरत्कुमार नामका पुत्र उत्पन्न किया ।'

‘म्लेच्छराज से श्रीजिनसेनाचार्यका अभिप्राय ‘म्लेच्छजाति

विशिष्ट राजा' का है, यह बात उनके इसी प्रन्थके दूसरे उल्लेखों से भी पाई जाती है । यथा :—

म्लेच्छराजसहस्राणि वीच्य पूर्ववरुणिनीम् ।  
ज्ञुभितान्यभिगम्याशु योधयामासुरथमात् ॥ ३० ॥  
ततः क्रुद्धो युधि म्लेच्छैरयोऽयो दंडनायकः ।  
युध्वा निर्धूय तानाशु दत्रे नामार्थसंगतम् ॥ ३१ ॥  
भयान्म्लेच्छास्ततो याताः शरणं कुलदेवताः ।  
घोरान्मेघमूखान्नागान्दर्भशश्याधिशायिनः ॥ ३२ ॥

\* \* \*

ततो मेघमूखैम्लेच्छाः प्रोक्ताः संहृतवृष्टिभिः ।  
चक्रिणां शरणं जगमुरादाय वरकन्यकाः ॥ ३८ ॥  
—११वाँ सर्वं ।

यहाँ, उत्तर भारतखण्ड के म्लेच्छोंके साथ भरत चक्रवर्ती के सेनापति जयसुमारके युद्धका वर्णन करते हुए, पहले पद्ममें जिन सहस्रों म्लेच्छ राजाओं का “म्लेच्छराजसहस्राणि” पद के द्वारा उल्लेख किया है उन्हें ही अगले पद्मोंपे “म्लेच्छैः” और “म्लेच्छाः” पदोंके द्वारा स्पष्ट रूप से ‘म्लेच्छ’ सूचित किया है । और इससे साफ जाहिर है कि ‘म्लेच्छ राजा’ का अर्थ म्लेच्छ जानिके राजासे है । और इस लिये जराका चिता म्लेच्छ था । १० दौलतराम जी ने इस राजा को जो “म्लेच्छ खण्डका राजा” बनलाया है उसका अभिप्राय ‘म्लेच्छखण्डोद्धव’ ( म्लेच्छखण्डमें उत्पन्न हुए ) राजासे है—म्लेच्छखण्डों को

कथया :—“ सो गगा के तीर एक स्त्रेच्छुखण्डका राजा ताले देखो । सो श्रीपती जरा नामा पुत्री वसुरेव को परनाई । ”

जीत कर उन पर अपना आधिपत्य रखने वाले चक्रवर्ती राजा से नहीं । जान पड़ता है 'म्लेच्छराज' शब्द परसे ही उन्होंने उसे म्लेच्छुखण्ड का राजा समझ लिया है । और पं० गजाधर लाल जी ने जो उसे + 'भीलोंका राजा' लिखा है उसका आशय भील जातिके राजा (मिल्लराज) से-सदार से—है जो म्लेच्छोंकी एक जाति है—भीलों पर शासन करने वाले किसी आर्य राजा से नहीं । जरासे उन्यन्त हुए जरत्कुमारका आचरण एक बार भील जैसा होगया था, इसी परसे शायद उन्होंने जराको भील कह्या माना है । आप 'पश्चावतीपुरवाल' (वर्ष द्वा अंक पृष्ठाँ) में प्रकाशित अपने उसी विचार लेखमें लिखते भी हैं—

"वास्तवमें उस समय भी संतान पर मातपक्षका संस्कार पहुँचता था । आपने हरिवशप्राणमें पढ़ा होंगा कि जिस समय कृष्ण की मृत्युकी बात मुनिराजके मुखसे सून जरत्कुमार बनमें रहने लगा था उस समय उसके आचार विचार भील सरीखे होगयेथे, वह शिकारी होगया था । पीछे युधिष्ठिर आदि के समझानेसे उसने भीलके वेषका परित्याग किया था ।"

इससे स्पष्ट है कि प गजाधरलालजी ने जराके पिताको आर्य जातिका राजा नहीं समझा बल्कि 'भील' समझा है और

यथा—“ नदीको पार कर कुमार किसी बनमें पहुँचे वहाँ पर घूमते हुए उन्हें किसी भीलोंके राजाने देखा उनके सौदर्य पर मुम्भ हो वह बड़े आदरसे उन्हें अपने घर ले गया और उसने अपनी जरा नाम की कह्या प्रदान की । ”

यथा :—‘ मिल्लः, म्लेच्छजातिविशेषः । भील इति भाषा । यथा हेमचंद्रे—माला मिल्ला किराताश्च सर्वाऽपि म्लेच्छजातयः ।

—इति शब्दकल्पद्रुमः ।

इस लिये उनके 'भीलों का राजा' शब्दोंके छुलको लेकर समालोचक जीने जो आपत्ति की है वह बिलकुल निःसार है। प० गजाधरलाल जी तो अपने उक्त लेखमें स्वयं स्वीकार करते हैं कि उस समय म्लेच्छ किंवा भीलों आदि की कन्यासे भी विवाह होता था। यथा :—

"उस समय राजा लोग यदि म्लेच्छ किंवा भीलआदि की कन्याओंसे भी पाणिप्रहण कर लेते थे तथापि उनके समान स्वयं म्लेच्छ तथा धर्म कर्मसे विमुख न बन जातेथे किन्तु उन कन्याओं को अपने पथ पर ले आते थे। और वे प्रायः पतिष्ठारा स्वीकृत धर्मका ही पालन करती थीं। इस लिये वसुदेवने जो जरा आदि म्लेच्छ कन्याओंके साथ विवाह किया था उसमें उनके धार्मिक दीतिरिवाजोंमें जरा भी फर्क न पड़ा था।"

इस उल्जेख द्वारा प० गजाधरलाल जी ने जरा को साफ तौरसे 'म्लेच्छ कन्या' भी स्वीकार किया है और उसके बाद 'आदि' शब्दका प्रयोग करके यह भी घाँवित कियाहै कि वसुदेवने 'जरा' के सिवाय और भी म्लेच्छ कन्याओंसे विवाह किया था। समालोचकजी के पास यदि लज्जादेवी हो तो उन्हें, इन सब उल्जेखोंको देखकर, उसके आँचलमें अपना मुँह छुपा लेना चाहिये और फिर कभी यह दिखलानेका साहस न करना चाहिये कि पटितजी के उक्त शब्दों का धार्य 'भील' राजा से भिज कोई 'आर्य' राजा है।

मालूम होताहै समालोचक जी को इस खण्डालने वड़ा परेशान किया है कि भील लोग वड़े काले, डरावने और बदसूरत होते हैं, उनकी कन्यासे वसुदेव जैसे रूपवान और अनेक रूप वती लियाँ के पति पुरुष क्यों विवाह करते। और इसीसे

आप यहाँ तक कल्पना करनेके लिये मजबूर हुए हैं कि यदि वह कन्या ( जरा ) भीलोंने ही बसुदेव को दी हो तो वह ज़रुर किसी दूसरी जातिके राजाकी लड़की होगी और भील उसे छीन लाये होंगे । यथा :—

“ भील लोग जंगलोंमें रहने वाले जिनके विषयमें शास्त्रोंमें लिखा है कि वे बड़े काले, बदसूरत डरावने होते हैं । तो बसुदेवजी ऐसे पराक्रमी और सुन्दर कामदेवके समान जिनके रूपके सामने देवाङ्गनायें भी लज्जित हो जायें, ऐसी राजाओंकी अनेक रूपवती और गुणवती कन्याओंके साथ विवाह कियो । उन को क्या ज़रुरत थी कि ऐसे बदसूरत भीलकी लड़कीके साथ शादी करते । हाँ यह ज़रुर हो सकता है कि भील किसी राजाकी लड़कीको छीन लाये हों और उसे सुन्दर खूबसूरत समझ कर बसुदेवको देदी हो । इससे निश्च है कि वह भीलकी कन्या तो थी नहीं ” ।

परन्तु सभी भील बड़े काले, बदसूरत और डरावने होते हैं, यह कौनसे शास्त्रमें लिखा है और कहाँसे आपने यह नियम निर्धारित किया है कि भीलोंकी सभी कन्याएँ काली, बदसूरत तथा डरावनी ही होनी हैं ? क्या रूप और कुलके साथ कोई अविनाभाव सम्बन्ध है ? हम तो यह देखते हैं कि अच्छे अच्छे उच्चकुलोंमें बदसूरत भी पैदा होते हैं और नीचानिनीच कुलोंमें खूबसूरत वस्त्रों भी जन्म लेते हैं । कुचका सुभग, दुर्भग और सौभाग्यके साथ कोई नियम नहीं है । इसी बातको श्रीजिन-सेनाचार्यने बसुदेवके मुखसे, रोहिणीके स्वयंवरके अवसर पर कहलाया है । यथा :—

कश्चिन्महाकुलीनोऽपि दुर्भगः सुभगोऽपरः ।

कुलसौभाग्ययोर्नेह प्रतिबन्धोस्ति कथनः ॥ ५५ ॥

—हरिवशपुराण, ३१वाँ सर्ग ।

ए गजधरलालजी ने इस पद्म का अनुवाद यो किया है :—

“ काई कोई महाकुलीन होने पर भी बदसूरत होता है  
दूसरा अकुलीन होनेपर भी वडा सुन्दर होता है इस  
लिये कुलीन और सौभाग्य की आपलमें काई व्यापि  
नहीं अर्थात् जो कुलीन हो वह सुन्दर हो हो और  
अकुलीन बदसूरत ही हो यह कोई नियम नहीं ॥ ५५ ॥ ”

इसके सिवाय, जैनशास्त्रोंमें भीलकन्याओंसे विवाहके स्पष्ट  
उदाहरण भी पाये जाते हैं, जिनमें से एक उदाहरण राजा उप-  
ओणिक का लीजिये । ये राजा ओणिकके पिता थे । इन्हें एक  
बार किसी दुष्ट अश्वने लेजाकर भीलोंकी पहलीमें पटक दिया  
था । उस पहलीके भील राजाने जब इन्हें दुःखिनावस्थामें देखा  
तो वह इन्हें अपने घर लेगया और उसने दवाई भोजन पानादि  
द्वारा सब तरहसे इनका उपचार किया । बहाँये उसकी ‘तिलक-  
सुन्दरी’ नामकी पुत्री पर आसक हा गये और उसके लिये  
इन्होंने बाचना की । भील राजाने उपओणिकसे अपनी पुत्रीके  
पुत्रको राज्य दिये जानेका बचन लेकर उसका विवाह उनके  
साथ कर दिया और फिर उन्हें राजगृह पहुँचा दिया । यथा :—  
उपओणिको(क?) वैरिनृपसोमदेवप्रेषितदुष्टाऽवेनोपश्रेणिको  
नीत्वा भिल्लपन्थां ज्ञिसो दुःखितो भिल्लराजेन दृष्टोगृहमानीत  
उपचरितः । तत्सुतां तिलकसुंदरीमीज्ञित्वा तां तं यथाचे ।  
यतस्या सुतं राजानं करिष्यामीति भाषां नीत्वा परिणाम्य  
तेन राजगृहं प्रापितः ।

—गच्छ ओणिकचरित्र, (देहलीके नये मंदिरकी  
पुरानी जीर्ण प्रति) ।

इसी भील कन्यासे 'चिलातीय' नामका पुत्र उत्पन्न हुआथा, जिसे 'चिलाति पृथ' भी कहते हैं। प्रतिक्षानुसार इसीको राज्य दिया गया और इसने अन्तको जिन दीक्षा भी आरण की थी।

इस लिये, समालोचकजीका यह कोरा च्रम है कि सभी भील कन्याएँ काली, बदनूरत्, तथा डरावनी हाती हैं अथवा उनके साथ उच्छुलोनीका विवाह नहीं होता था। परन्तु जरा भील कन्या थी, यह बात जिनसेनाचार्यके उक्त वाक्योंको लेकर निश्चित रूपसे नहीं कही जासकती। उन परसे जगके सिर्फ म्लेच्छ कन्या होनेका ही पना चलता है, म्लेच्छोंकी किसी जाति प्रिशेषका नहो। होसकता है कि पं० गजाधर-लाल के कथनानुसार वह भील कन्या ही हो परन्तु पं० दौलतरामके कथनानुसार वह म्लेच्छखड़के किसी म्लेच्छराजा की कन्या मालूम नहीं होती; क्योंकि जिनसेनाचार्यने साफ तौरसे वसुदेवके चंपापुरीसे उठाये जाने और भागीरथी गगा नदीमें पटके जानेका उल्लेख किया है और यह वही गंगा नदी है जो युक्तप्रांत और बगालमें को बहती है—वह महागगा नहीं है जो जैनशास्त्रानुसार आर्यखण्डका म्लेच्छखण्डसे अथवा, उत्तरभारतमें, म्लेच्छखण्डका म्लेच्छखण्डसे विभाग करती है—इसका 'भागीरथी'नाम ही इसे उस महागंगासे पथक करता है, वह 'अरुत्रिम' और यह 'भागीरथ द्वारा लाई हुई है भगीरथेन सानीता तेन भागीरथी स्मृता ।) चंपा नगरी भी इसके पास है। अतः 'जरा' इसी भागीरथी गगके किनारेके किसी स्त्रेच्छु राजाकी पुत्री थी और इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि पहले स्त्रेच्छुखण्डोंके स्त्रेच्छोंकी कन्याओंसे ही नहीं किंतु यहांके आर्य-खण्डोंद्वारा स्त्रेच्छोंकी कन्याओंसे भी विवाह होताथा। उपर्योगिक का भील कन्यासे विवाह भी उसे पुष्ट करता है। इसके सिवाय यह बात इतिहास प्रसिद्ध है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्यने सीरिया

के म्लेच्छराजा 'सिल्पकस' की कन्यासे विवाह किया था। ये सम्राट् चंद्रशुत भद्रवाहु ध्रुतकेवलीके शिष्य थे, इन्होंने जैनमुनि दीक्षा भी धारण की थी, जिसका उल्लेख कितने ही जैन शास्त्रों तथा शिलालेखों में गाया जाता है। और ऐनियोंकी क्षेत्रगणना के अनुसार सीरिया भी आर्यखण्डका ही एक प्रदेश है। ऐसी हालत में यह बात और भी निर्विवाद तथा निःसन्देह हा जाती है कि पहले आर्यखण्ड के म्लेच्छों के साथ भी आर्यों अथवा उच्च कुलीनों का विवाह सम्भव नहा ता था।

हमारे समालोचकजी का चित्त 'जरा' के विषय में बहुत ही डर्बाड़ोल मालूम होता है—वे स्वयं इस बात का कोई निश्चय नहीं कर सके कि जरा किस की पुत्री थी—कभी उन का यह ख्याल होता है कि जरा का पिता स्नेच्छा या भील न होकर स्नेच्छों अथवा भीलों पर शासन करने वाला कोई आर्यराजा होगा और उसीने अपनी कन्या वसुदेवको दी होगी; कभी वे सोचते हैं कि यह कन्या वसुदेवको दी तो होगी भील ने ही परन्तु वह कहीं से उसे छीन लाया होगा—उसकी वह अपनी कन्या नहीं होगी—; और फिर कभी उनके चित्त में यह ख्याल भी चक्कर लगाता है कि शायद जरा हो तो स्नेच्छकन्या ही, परन्तु वह क्षेत्र स्नेच्छ की—स्नेच्छखण्ड के स्नेच्छ की—कन्या होगी, उसका कुलाचार बुरा नहीं होगा अथवा उसके आचरण में कोई नीचता नहीं होगी! खेद है कि ऐसे अनिश्चित और सदिग्द चित्तवृत्ति वाले व्यक्ति भी सुनिश्चित थातों की समालोचना करके उन पर आवाप करने के लिये तयार हो जाते हैं और उन्हें मिथ्या तक कह डालनेकी धृष्टता कर बैठते हैं! अस्तु; समालोचकजी, उक्त अवतरण के बाद, अपने ख्यालों की इसी उधेड़बुन में लिखते हैं:—

"यदि थोड़ी देर के लिये यह मान लिया जाये कि

किसी मलेका की ही कन्या होगी तो मलेका भी किनने ही प्रकारके शास्त्रोंमें कहे हैं। जिनमें एक क्षेत्र मलेका भी हैं जो कि देश अपेक्षा मलेका कहाते हैं। लेकिन कुलाचार बुरा ही होता है ऐसा नियम नहीं। जैसे पंजाब में रहने वाले हरएक कौम के पंजाबी कहाते हैं, और बंगाल में रहने वालों को बंगाली नगा मदरास में रहने वालों को मदरासी कहते हैं किन्तु उन सब का आचरण एकसा नहीं होता। इन देशों में सब ही ऊँचनीच जातियों के मनुष्य रहने हैं फिर यह कहना कि अमुक मनुष्य एक मदरासी या पंजाबी लड़की के साथ शादी कर लाया, यदि उसी की जाति की ऊँच खानदानकी लड़की हो तो क्या हर्ज़ है। इसलिये बाबू साहब जो लिखते हैं कि वह कन्या नीच थी यह बात सिद्ध नहीं हो सकती नीच हम जब ही मान सकते हैं जबकि कन्याके जीवनचरित्रमें कुछ नीचता दिखलाई हो।”

अपने इन वाक्यों द्वारा समालोचकजी ने यह सूचित किया है कि वे मलेच्छु खड़ों (मलेच्छु क्षेत्रों) को पंजाब, बंगाल नगा मदरास जैसी स्थितिके देश समझते हैं, उम्में सबही ऊँच नीच जातियोंके आर्य अनार्य मनुष्योंका निवास मानते हैं और यह जानते हैं कि वहाँ पेसे लोग भी रहते हैं जिनका कुलाचार बुरा नहीं है। इसी लिये सभव है कि वसुदेवजी वहीं से अपनी ही जातिकी और किसी ऊँचे वशकी यह कन्या (जरा) विवाह कर ले आए हों। परन्तु समालोचकजीका यह कोरा भ्रम है और जैनशास्त्रोंसे उनकी अनभिज्ञताको प्रकट करता है। वसुदेव ‘जरा’ को किसी मलेच्छु-खड़से विवाह कर नहीं लाए, बल्कि वह चप्पापुरीके निकट प्रदेशमें मागीरथी गंगाके आसपास रहने वाले किसी झेच्छु राजाकी कन्याथी, यह बाततो ऊपर श्रीजिन-

सेनाचार्यके बाक्योंसे सिद्ध की जा सकती है। अब मैं इस भ्रमको भी दूरकर देना चाहता हूँ कि जैनियोंके द्वारा माने हुए \*म्लेच्छ खण्डोंमें आर्य जनताका भी निवास है :—

श्रीअभ्युत्तचन्द्राचार्य, तत्वार्थसारमें, मनुष्योंके आर्य और स्नेह ऐसे दो भेदोंका वर्णन करते हुए, लिखते हैं :—

आर्यखण्डोद्भवा आर्यम्लेच्छाः केचिच्छकादयः ।

म्लेच्छखण्डोद्भवा म्लेच्छाऽन्तर्दीपजा अपि ॥२१२॥

अर्थात्—आर्य खण्डमें जो लोग उत्पन्न होते हैं, वे 'आर्य' कहलाते हैं परन्तु उनमें जो कुछ शकादिक (+ शक, यवन, शवर पुलिन्दादिक) लोग होते हैं वे म्लेच्छ कहे जाते हैं और जो लोग म्लेच्छखण्डोंमें तथा अन्तर्दीपोंमें उत्पन्न होते हैं उन सबको 'म्लेच्छ' समझना चाहिये ।

इससे प्रकट है कि आर्य खण्डमें जो मनुष्य उत्पन्न होते हैं वे तो आर्य और म्लेच्छ दोनों प्रकारके होते हैं, परन्तु म्लेच्छ-खण्डोंमें एकही प्रकारके मनुष्य होते हैं और वे म्लेच्छ ही होते हैं। भावार्थ, म्लेच्छोंके मूल भेद तीन हैं १ आर्य खण्डोद्भव, २ म्लेच्छखण्डोद्भव X, ३ अन्तर्दीपज और आर्योंका मूलभेद एक आर्यखण्डोद्भव ही है। जब यह बात है तब म्लेच्छखण्डोंमें आर्य राजत्रोंका होना और उनकी कन्याओंसे चक्रवर्ती आदिका

\*आधुनिक भूगोलवादियोंको इन म्लेच्छ खण्डोंका अभी तक कोई पता नहीं चला। अब तक जिननी पृथ्वीकी जोड़ हुई है वह सब, जैनियोंकी तो गणना के अनुसार अथवा उनके मापकी दृष्टिसे, आर्य खण्डके ही भीतर आ जाती है।

+ यथा :—“शकयवनशवरपुलिन्दादयः म्लेच्छाः”

X इन यहले दो भेदोंका नाम 'कर्मभूमिज' भी है।

विवाह करना अथवा वसुदेवका बहाँसे अपनी ही जातिकी कन्याका ले आना कैसे बन सकता है? कदापि नहीं। और इस लिये यह समझना चाहिये कि जिन लोगोंने—चाहे वे कोई भी क्यों न हों—म्लेच्छ खड़ोंकी कन्याओंसे विवाह किया है उन्होंने म्लेच्छोंकी म्लेच्छ कन्यायोंसे विवाह किया है। म्लेच्छत्वकी टटिसे कर्मभूमिके सभी म्लेच्छ समान हैं और उनका प्रायः वही समान आचार है जिसका उल्लङ्घ भगवज्ञिनसेना-चार्यने अपने उस पद्यमे किया है जो ऊपर उद्धृत किये हुए उदाहरणाश में दिया हुआ है। समालोचकजीको वह म्लेच्छाचार देखकर बहुतही लोभ हुआ मालूम होता है। आपने जराके पिताको किसी तरह पर उस म्लेच्छाचारसे सुरक्षित रखनेके लिये जो प्रपञ्च रचा है उसे देखकर बड़ा ही आश्चर्य तथा खेद होता है। आप सबसे पहले लेखक पर इस बातका आत्मेष करते हैं कि उसने उक्त पद्यके आगे पीछेके दोचार म्लोकोंको लिखकर यह नहीं दिखलाया कि उसमें कैसे म्लेच्छोंका आचार दिया हुआ है। परन्तु स्वयं उन म्लोकोंको उद्धृत करके और सबका अर्थ देकर भी आप उक्त पद्यके प्रतिपाद्यावेषय अथवा अर्थ-संबंधमें किसी भी विशेषताका उल्लेख करनेकेलिये समर्थ नहीं होसके—यह नहीं बतला सके कि वह—हिसामें रति, मांसभज्जणमें प्रोति और जबरदस्ती दूसरोंकी धनसम्पत्तिका दरना, इत्यादि—म्लेच्छों का प्रायः साधारण आचरण न होकर अमुक जातिके म्लेच्छोंका आचार है। और न यह ही दिखलासक कि लेखकके उद्धृत किये हुए उक्त कथाका अर्थ किसी दूसरे पद्य पर अवलम्बित है, जिसकी वजहसे उसदूसरे पद्यको भी उद्धृत करना ज़रूरी था और उसे उद्धृत न करनेसे उसके अर्थमें अमुक बाधा आगई। बास्तवमें वह अपने विषयका एक स्वतंत्र पद्य है और उसमें 'म्लेच्छाच रो हि' और 'इतिस्मृतम्' ये शब्द साफ़

बतला रहे हैं कि उसमें 'हिसायां रतिः' ( हिसामें रति ) आदि रूपसे जिस आचारका कथन है वह निश्चयसे म्लेच्छाचार है— म्लेच्छोंका सर्व सामान्याचार है। 'इतिस्मृतम्' शब्दोंका अर्थ होता है ऐसा कहा गया, प्रतिपादन किया गया आदेश स्मृति शास्त्र द्वारा विधान किया गया। हाँ, अगले पदका अर्थ इस पद पर अवलभित ऊरु है, और वह अगला पद जिसे समालोचक जी ने भी उद्धृत किया है इस प्रकार है :—

सोऽस्त्यभीषां च यद्वेदशास्त्र्यमधमद्विजाः।

तादृशं बहुमन्यन्ते जातिवादावलेपतः ॥ ४२-१८५

इस पदमें बतलाया गया है कि 'वह ( पूर्व पदमें कहा गुआ ) म्लेच्छाचार इन ( आक्षर म्लेच्छों ) में भी पाया जाता है, क्योंकि ये अधमद्विज अपनी जातिके घर्मडमें आकर वेदशास्त्रों के अर्थको उस रूपमें बहुत मानते हैं जो उक्त म्लेच्छाचारका प्रतिपादक है।' और इस तरह पर जो लोग वेदार्थ का सहारा लेकर यहाँ तथा देवताओं की बलिके नामसे बेचारे मूक पशुओं की ओर हिसा करते तथा मांस खाते हैं उनके उस आचारको म्लेच्छाचारकी उपमा दी गई है और उन्हें कथंचित् #आक्षर म्लेच्छ ठहराया गया है। इससे अधिक इस कथनका प्रन्थमे कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। इसपदके " सोऽस्त्यभीषां च " शब्द साफ़ बतला रहे हैं कि इससे पहिले म्लेच्छोंके सर्वसाधारण आचारका उल्लेख किया गया है और उसी म्लेच्छाचार से इन अधर्म द्विजोंके आचार की तुलना की गई है—न कि इन्हीं का उक्त पदमें आचार बतलाया गया है। इसी प्रकरण के एक

\*ऐसे लोगोंको, किसी भी रूपमें उनकी जातिको सूचित किये बिना, केवल ग्लेच्छ नामसे उल्लेखित नहीं किया जाता।

दूसरे पद्यमें भी इन लोगों के आचारको म्लेच्छाचारकी उपमा दी गई है, लिखा है कि 'तुम निर्ब्रंत हो ( अहिंसादिव्रततों के पालनसे रहित हो ), निर्नमस्कार हो, निर्दय हो, पशुधारी हो और ( इसी तरह के और भी ) म्लेच्छाचार में परायण हो, तुम्हें धार्मिक द्विज नहीं' कह सकते । यथा:-

निर्ब्रंता निर्नमस्कारा निर्घृणाः पशुधातिनः ।  
म्लेच्छाचारपरा युयं न स्थाने धार्मिकद्विजाः ॥ १६० ॥

इससे भी 'हिंसा में रति' आदि म्लेच्छों के साधारण आचारका बताचलता है । परन्तु इतने पर भी समालोचकजी क्षेत्रक की इस बात को स्वीकार करते हुए कि 'आच्छे अच्छे, प्रतिष्ठित, उच्चकृतीन् और उत्तमोत्तम पृष्ठबो ने म्लेच्छराजाओं की कन्याओं से विवाह किया है' लिखते हैं:-

"ठीक है हम भी इस बातको मानते हैं कि चक्रवर्ती म्लेच्छखड़के राजाओं की कन्याओंसे विवाह कर लाते थे लेकिन वे क्षेत्रकी अपेक्षा से म्लेच्छ राजा कहाते थे । यह बात नहीं है कि उनके आचरण भी नीच हों या वे माँसखोर व शराबखोर हों अथवा आपके लिये अनसार हिंसामें रति माँसभक्षण में प्रीति रखने वाले और जबरदस्ती दूसरोंका धन हरण करने वाले हों । बायू साहब आपको लिखो हुई यह बातें उन म्लेच्छ राजाओं में कभी नहीं थी । आपने जो म्लेच्छों के आचरण संबन्धी श्लोक दिया है वह केवल जनतामें भ्रम फैलाने के लिये ऊपर नीचे का सबन्ध छाड़कर दिया है ।"

इसके बाद म्लेच्छोंके इस आचार की कुछ सफाई पेश करके, आप फिर लिखते हैं:-

“ उन म्लेच्छोंमें हिंसा मैंसभक्षण आदि की प्रवृत्ति सर्वथा नहीं थी । ”

“ बहुतसे लोग जो म्लेच्छोंके नीच और कदाचमणी समझ रहे हैं उनकी वह समझ बिलकुल भिड़या है । ”

“ इन म्लेच्छ राजाओं को नीच हिंसक माँसखोर आदि कहना सर्वथा निध्या और शारू विरुद्ध है । ”

पठक जन, देखा ! समालोचकजीने म्लेच्छखण्डके म्लेच्छों को किस टाइपके म्लेच्छ समझा है ? कैसी प्रतिक्रिया अनुसधान किया है ? आपको तो शायद स्वप्नमें भी उसका कभी ख्याल न आया हो । अच्छा हांता - यदि समालोचकजी उन म्लेच्छोंका एक सर्वांगपूर्ण लक्षण भी दे देते । समझमें नहीं आता जब वे लोग हिंसा नहीं करते, माँस नहीं खाते, शराब नहीं पीते, जबरदस्ती दूसरोंका धन नहीं हरते, अन्याय नहीं करते, ये सब बात उनमें कभी थी नहीं, वे इनकी प्रवृत्तिसे सर्वथा रहित हैं और साथही नीच तथा कदाचमणी भी न ही है, तो फिर उन्हें ‘म्लेच्छ’ क्यों कहा गया ? उनकी प्रवित्र भूमिको ‘म्लेच्छखण्ड’की सज्जा क्यों दी गई ? क्या उनसे किसी आचार्य का कोई अपराध बनगयाथा या वैसेही किसी आचार्यका सिर फिर गया था जो ऐसे हिंसादि पापोंसे शास्पृष्ट पूज्य मनुष्योंको भी ‘म्लेच्छ’ लिख दिया ? उबले अधिक आर्यके और क्या कोई सींग हांते हैं, जिससे मनुष्य जातिके आर्य और म्लेच्छ दो खास विभाग किये गये हैं ? महाराज ! आपकी यह सब कल्पना किसीभी समझदारको मान्य नहीं हो सकती । म्लेच्छ प्रायः मलिन और दूषित आचार वाले मनुष्यों का ही नाम है, जिन लोगोंमें कुल-वरमपरासे ऐसे कदाचार रुढ़ होजाते हैं उन्हींकी म्लेच्छ संज्ञा पड़ जाती है । श्रीविद्यानदाचार्य, कर्मभूमिज म्लेच्छोंका वर्णन करते हुए, जिनमें आर्यजडोङ्गव और म्लेच्छ-

जाएंडोद्वय दोनों प्रकारके म्लेच्छ शामिल हैं, साफ लिखते हैं:—

कमभूमिभवा म्लेच्छाः प्रसिद्धा यवनाद्यः ।

स्युः परे च तदाचारं पालनाद्वृथा जनाः ॥

— इति वार्तिक ।

अर्थात्—कर्मभूमियोंमें उत्पन्न हुए जो म्लेच्छ है उनमें यवनादिक तो प्रसिद्धही है बाका यवनादिकसे भिन्न जो दूसरे वहुनसे म्लेच्छ है वे सब यवनादिकों ( यवन, शब्द, पुलिदा-दिकों ) के आचारका ही पालन करते हैं और इसीसे म्लेच्छ कहलाते हैं ।

इससे साफ जाहिर है कि म्लेच्छखण्डोंके म्लेच्छोंका आचार यहाँके शूक, यवन शब्दारादि म्लेच्छोंके आचारसे भिन्न नहीं है और इसलिये यह कहना कि 'स्नेच्छ खण्डोंके स्नेच्छोंमें हिंसा तथा मौसिभवणादिको सर्वथा प्रवृत्ति नहीं' आगमें बाग लगाना है । आविद्यानदाचार्य स्नेच्छोंके नाच गात्रादिका उदयभी बतलाते हैं—लिखते हैं उच्च गोत्रादिकके उदयसे आर्य और नीच-गोत्रादिक उदयसे म्लेच्छ होते हैं । यथा:—

“ उच्चैर्गोत्रादयादेरार्या नीचैर्गोत्रादेश्चम्लेच्छाः । ”

तब, क्या समालोचकजी इन विद्यानोंके कारण, अपने उक्त वाक्योंके अनुसार, श्री विद्यानदाचार्य की समझ को “विल-कुल मिथ्या” और उनके इस नीच आदि कशनको “सर्वथा मिथ्या और शास्त्र विरुद्ध” कहनेका साहस करते हैं ? यदि नहीं तो उन्हें अपने उक्त निरग्रंथ और निःसार वाक्योंके लिये पश्चात्ताप होना चाहिये । और खेद है कि समालोचकजीने दिना सोचे समझे जहाँ जो जी में आया लिख मारा है । लेखकके शास्त्रीय वर्णनोंको इसी तरह 'सर्वथा मिथ्या और शास्त्र विरुद्ध' बतलाया गया है, और यह उनके सर्वथा मिथ्या और शास्त्रविरुद्ध

कथन-दाइपका एक नमूना है—उसकी खास बातगी है। खाली इस बातको छिपानेके लिये कि 'जरा' ऐसे मनुष्यकी कल्या थी जो म्लेच्छ होनेसे हिन्दूक और मांस-भक्षक कहा जासकता है आपने म्लेच्छाचारको ही उलट देना चाहा है, यह कितना दु साहस है ! म्लेच्छोंका आचार तो हिन्दू प्रत्योंमे भी मांस भक्षणादिक रूप पाया जाता है, जैसा कि 'प्रायश्चित्तव्य' में कहे हुए उनके बौधायन आचार्यके निम्न वाक्यसे ग्रकटहैः—

गोमांसखादको यस्तु विरुद्धं वहु भापते ।

सर्वाचारविहीनश्च म्लेच्छ इत्यमिरीयते ॥

अर्थात्—जो गो-मांस भक्षण करता है, वहुत कुछ विरुद्ध बोलता है और सर्व धर्माचारसे रहित है उसे म्लेच्छ कहतहै ।

अब समालोचक जी की उस सफाईको भी लीजिये जो आपने उन स्नेहकोंके आचार-विषयमें पेश की है, और वह आदिपुराणके निम्न दो ऋक हैं, जिनमें म्लेच्छवर्णाङ्कोंके उन स्नेहकोंका उल्लेख किया गया है जिन्हे भरत चक्रवर्तीके सेनापतिने जीत कर उनसे अपने स्वामीकं भोग-योग्य कल्यादि रत्नोंका ग्रहण कियाथा :—

"इत्युपायैरुपायज्ञः साधयन्म्लेच्छभू भुजः ।

तेभ्यः कल्यादिरत्नानि प्रभोर्भेग्यान्युपाहरत् ॥१४१

धर्मकर्म-वहिर्भूता इत्यपि म्लेच्छका मताः ।

अन्यथान्यैः समाचारैरायविर्तेन ते समाः ॥१४२"

इन पद्योंमें से पहले पद्यमें तो म्लेच्छ राजाओंको जीतने और उनसे कल्यादि रत्नोंके ग्रहण करनेका घटी हालहै जो ऊपर बतलाया गया है और दूसरे पद्यमें लिखा है कि 'ये लोग धर्म ( अहिंसादि ) 'और कर्म ( निरामिष-भोजनादिकष

सदाचार) से वहिम्बूत हैं-झट हैं-इस लिये इन्हें म्लेच्छ कहते हैं, अन्यथा, दूसरे आचरणों (असि, मसि, कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प और विद्यावाहिकी) की दृष्टिमें आर्यवर्ती की जनताके समान हैं (अन्तर्दृष्टिम्लेच्छोंके समान नहीं)।

बस, इस श्लोक पर से ही समालोचकजी अपने उस सब कथन को सिद्ध समझते हैं जिसका विधान उन्होंने अपने उक्त वाक्यों में किया है ! परन्तु इस श्लोक में तो साफ़ तौर पर उन म्लेच्छों का धर्म कर्म से बहिर्भूत ठहराया है, और इससे अगले ही निम्न पद्यमें उनके निवासस्थान म्लेच्छखण्डका 'धर्म कर्म की अभूमि' प्रतिपादन किया है। अर्थात्, यह यत्त्वाया है कि वह भूमि धर्म कर्म के आधार है—वहाँ अहिंसादि धर्मों का पालन और सत्कर्मों का अनष्टान नहीं बनता :—

इति प्रसाध्य तां भूमिभूमि धर्मकर्मणाम् ।

म्लेच्छराजवलैः सार्दे सनानीर्यवत्त्पनः ॥ १४३ ॥

—आदिपराण, दैवीं पर्व ।

फिर समालोचकजी किस आधार पर यह सिद्ध समझते हैं कि उन म्लेच्छों में हिंसा तथा मांसभक्षणादिक की प्रवृत्ति सर्वथा नहाँ है ? हिंसा तो अधर्म ही का नाम है और मांस भक्षणादिक को असत्कर्म कहते हैं, ये दोनों ही जब वहाँ नहीं और वे लोग नीच तथा कदाचरणी भी नहीं तब तो वे ज्ञासे धर्मात्मा, सत्कर्मी और आर्यखण्ड के मनुष्यों से भी अष्टु ठहरे, उन्हें धर्म कर्म से वहिनूत कैसे कहा जा सकता है ? क्या धर्म कर्म के और कोई सींग पूँछ होते हैं जो उनमें नहीं है और इसलिये वे धर्म-कर्म से वहिनूत करार दिये गये हैं ? जान पड़ता है यह सब समालोचकजी की विलक्षण समझ का परिणाम है, जो आप उन्हें म्लेच्छ भी मानते हैं, धर्म कर्म से वहिनू-

भूत भी बतलाते हैं और फिर यह भी कहते हैं कि वे हिंसा तथा मांसभक्षणादिकसे अलिप्त हैं—उनमें ऐसे पापों तथा कदाचरणों की प्रवृत्ति ही नहीं !! बाह ! क्या खूब !! समालोचक जीकी इस समझ पर एक कासी कवि का यह बाक्य बिलकुल चरितार्थ होता है—

“ बर्णं अङ्गोदानिश व बायद गरीस्त । ”

अर्थात्—ऐसो बुद्धि और समझ पर रोना चाहिये ।

आप लिखते हैं “ यदि वे [ म्लेच्छ ] नीच होते तो ‘उनके अन्य सब आचरण आर्यजगहके समान होतेहैं’ ऐसा आचार्य कभी नहीं लिखते । ” परन्तु खेद है आपने यह समझने की ज़रा भी कोशिश नहीं की कि वे आचरण कौनसे हैं और उन की समानतासे क्या वह नीचता दूर होसकती है । इसी देश में भी जिन्हें आप नीच समझते हैं उनके कुछ आचरणोंको छाड़ कर शेष सब आचरण ऊँच से ऊँच कहलानेवाली जातियों के समान हैं; तब क्या इस समानता परसे ही वे ऊँच होगये और आप उन्हें ऊँच मानने के लिये तथ्यार है ? यदि समानता का ऐसा नियम हो तथ तो फिर कोई भी नीच नहीं रह सकता और श्री विद्यानन्दाचार्यने गृहती की जो म्लेच्छोंके नीच गोत्रादिका उदय बतला दिया ! परन्तु ऐसा नहीं है; बास्तवमें ऊँचता और नीचता खास खास गुण दोषों पर अवलम्बित होती है—दूसरे आचरणोंकी समानतासे उसपर प्रायः कोई असर नहीं पड़ता ।

लेखकने, यद्यपि, आपने लेखमें यह कहीं नहीं लिखा था कि जरा ‘नीच थी,’ जैसाकि समालोचकजीने आपने पाठकोंको सुभाष्या है किन्तु उसके पिताकी बाबत सिर्फ इतना ही लिखा था कि ‘वह आर्य तथा उच्च जातिका मनुष्य नहीं था,’ फिर भी समालोचक जी ने, जराकी नीचताका निषेध करते हुए,

जो यह लिखनेका कष्ट उठाया है कि 'नीच हम [उसे] तबही मान सकते हैं जबकि उस कन्याके जीवन चरितमें कुछ नीचता दिखलाई हो,' इसका क्या अर्थ है वह कुछ समझमें नहीं आता। क्या समालोचकजी इसके द्वारा यह प्रतिपादन करना चाहते हैं कि 'किसी तरह पर अच्छे मस्कारो में रहनेके कारण नीच जातिमें उत्पन्न हुई कन्याओंके जीवनचरित में यदि नीचताकी कोई घात न दिखलाई पड़ती हो तो हम उन्हें ऊँच मानने, उनसे ऊँच जातियोंकी कन्याओं जैसा व्याहार करने और ऊँच जाति वालोंके साथ उनके विवाह-सम्बधको उचित ठहरानेके लिये तय्यार है' यदि ऐसा है तब तो आप का यह विचार कितनी ही दृष्टियोंसे अभिनंदनीय हो सकता है, और यदि वैसा कुछ आप प्रतिपादन करना नहीं चाहते तो आप कायद लिखना विलकूल निरर्थक और अप्राप्यगिक जान पड़ना है।

हमारे समालोचकजीको एक बड़े फिकने और भी घेरा है और वह है भरत चक्रवर्तीका म्लेच्छ कन्याओंसे माना हुआ (admitted) विवाह। आपकी समझमें म्लेच्छोंका उच्चजातिके न मानने पर यह नामुमकिन(असम्भव) है कि भरतजी नीचजाति की कन्याओंसे विवाह करते, और इसी लिये आप लिखते हैं:—

"यह कभी सभव नहींहो सकता कि जो भरत गृहस्था-धस्थामें अपने परिणाम ऐसे निर्मल रखते थे कि जिन्हे दीक्षा लेनेही केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया और जिनके लिये "भरत धर्में ही वैराग्यो" आदि अनेक प्रकारकी स्तुतिप्रसिद्ध हैं वे भरत नीच कन्याओं से विवाह करे। ऐसे महापुरुषोंके लिये नीच कन्याओंके साथ विवाहकी बात कहना केवल उनका आपमान करना है उन्हे कलक लगाना है।"

इसके उत्तरमें हम सिर्फ इतनाही कहना चाहते हैं कि

भरतजी किसी वक्त घरमें बैरागी जहर थे परन्तु वे उस वक्त बैरागी नहीं थे जबकि दिविजय कर रहे थे, युद्धमें लोखों जीवोंका विघ्वस कर रहे थे और हजारों खियों से विवाह कर रहे थे । यदि उस समय, यह सब कुछ करते हुए, भी वे बैरागी थे तो उनके उस सुहृद् बैराग्यमें एक नीच जातिकी कन्यासे विवाह कर लेने पर कौनसा फ़र्क़ पड़ जाता है ? महाराज ! आप भरतजी की चिन्ताको छाड़िये, वे आप जैसे अनुदार विचारके नहीं थे । उन्होंने राजाओंको क्षात्र धर्मका उपदेश देने हुए स्पष्ट कहा है :—

**स्वदेशेऽनक्षरम्लेच्छान् प्रजावाधाविवाहिनः ।**

**कुलशुद्धिप्रदानाद्यैः स्वसात्कुर्यादुपक्रमैः ॥ १७६ ॥**

—आदिपुराण, पर्व ४२ वाँ ।

**अर्थात्**—अपने देशमें जो अहानी स्वेच्छ प्रजाको वाधा पहुँचातेहो—लूटमार करतेहो—उन्हे कुलशुद्धि-प्रदानादिकके द्वारा क्रमशः आपने बना लेने चाहिये ।

यहाँ कुल शुद्धिके द्वारा आपने बना लेने का स्पष्ट अर्थ म्लेच्छोंके साथ विवाह संबंध स्थापित करने और उन्हें अपने धर्ममें दीक्षित करके अपनी जातिमें शामिल कर लेनेका है । साथही, यहभी जाहिर होता है कि म्लेच्छोंका कुल शुद्ध नहीं। और जब कुलही शुद्ध नहीं तब जातिशुद्धिकी कल्पना तो बहुत दूरकी बात है ।

भरतजीने, अपने ऐसेही विचारोंके अनुसार, यह जानते हुए भी कि म्लेच्छोंका कुल शुद्ध नहींहै, उनकी बहुतसी कन्याओं से विवाह किया । जिनकी संख्या, आदिपुराणमें, मुकुटशङ्ख राजाओंकी संख्या जितनी बतलाई है । साथही, भरतजीकी कुल-जातिसंपत्ता खियोंकी संख्या उससे अलग दी है । यथ :—

कुलजात्यभिसम्पन्ना देव्यस्तावत्प्रमाः स्मृताः ।  
रूपलावण्यकान्तीनां याः शुद्धाकरभूमयः ॥ ३४ ॥  
म्लेच्छराजादिभिर्दत्तास्तावन्त्यो नृपवन्त्लभाः ।  
अप्सरः संकथा त्वोणीं यकाभिरवतारिताः ॥ ३५ ॥

—३७ वाँ पर्व ।

इनमें से पहिले पद्यमें आर्य जाति की लियों का उल्लेख है और उन्हें 'कुलजात्यभिसंपन्ना' लिखा है। और दूसरे पद्यमें म्लेच्छ जाति के राजादिकों की दी हुई लियों का वर्णन है। इससे जाहिर है कि भरत चक्रवर्तीने म्लेच्छों की जिन कन्याओं से विवाह किया वे कुल जाति से संपन्न नहीं थीं—अर्थात्, उच्चकुल जाति की नहीं थीं। साथ ही, 'म्लेच्छराजादिभिः' पद्यमें आप हुए 'आदि' शब्द से यह भी मालूम होता है कि वे म्लेच्छ कन्याएँ केवल म्लेच्छ राजाओं ही की नहीं थीं बल्कि दूसरे म्लेच्छों की भी थीं। ऐसी हालत में समालोचजीकी उक्त समझ कहाँ तक ठोक है और उनके उस लिखने का क्या मूल्य है, इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं। लेखक तो यहाँ पर सिर्फ इतना और बतला देना चाहता है कि पहले जमाने में दुष्कुलों से भी उत्तम कन्याएँ ले ली जाती थीं और उन्हें अपने संस्कारों द्वारा उसी तरह पर ठीक कर लिया जाता था जिस तरह कि एक रत्न संस्कार के योगसे उत्कर्ष को प्राप्त होता है अथवा सुबर्ण धातु संस्कार को पाकर शुद्ध हो जाता है। ऐसीस यह प्रसिद्ध चली आती है—'कन्यारत्नं दुष्कुलादपि'। अर्थात्, दुष्कुल से भी कन्यारत्न से लेना चाहिये। उस समय पितृकुल और मातृकुल की शुद्धिको लिये हुए 'सज्जाति' दो प्रकार की मानी जाती थी—एक शरीर जन्म से और दूसरी संस्कार-जन्म से। शरीर जन्म से उत्पन्न होने वाली सज्जानिका सन्दर्भ

प्रायः आर्यखण्डोंमें माना जाता था—म्लेच्छु खण्डोंमें नहीं । म्लेच्छुखण्डोंमें तो संस्कार जन्मसे उत्थन्न होनेवाली सज्जातिका भी सज्जाव नहीं बनता; क्योंकि वहाँकी भूमि धर्म कर्मके अयोग्य है—उसका वातावरणही विगड़ा हुआ है । हाँ, वहाँके जो लोग यहाँ आजाते थे वे संस्कारके बलस सज्जानिमें परिणत किये जा सकतेथे और तब उनकी म्लेच्छुसज्जा नहीं रहती थी । यहाँ की जो व्यक्तियाँ शशीरजन्मसे अशुद्ध हानी थी उन्हें भी अपने धर्ममें दाच्छित करके, संस्कार जन्मके योग से सज्जानिमें परिणत करलिया जाताथा और इस तरह परनीचोको ऊँच बना लिया जाताथा । ऐसे लोगोंका वह संस्कार जन्म 'अयोनिसभव' कहलाता था + । म्लेच्छा के भास अथवा दुर्भिक्षादि किसी भी कारणसे यदि किसीके सत्कुलमें कोई बढ़ा लग जाता था—दोष आजाता था—तो राजा अथवा पचों आदिकी सम्मति से उसकी कुलशुद्धि हाँ सकती थी और उसकुलके व्यक्ति तब उपनयन (यज्ञापवीत) संस्कारके योग्य समझे जाते थे । इस कुलशुद्धिका विधान भी आदिपुराण में पाया जाता है । यथा :—

\*सज्जन्मप्रतिलिंभोऽयमार्यावत्तं विशेषतः ।

सतां देहादिसामग्र्यां अयेः सूते हि देहिनाम् ॥८३॥

शशीरजन्मना सैषा सज्जातिरुपवर्णिता ।

एतन्मूला यतः सर्वाः पुंसामिष्ठार्थसिद्धयः ॥८४॥

संस्कारजन्मना चान्या सज्जातिरनुकीर्त्यते ।

यामासाद्य द्विजन्मत्वं भव्यात्मा समुपाशनुने ॥८५॥

— आदिपुराण, ३८वाँ पर्व ।

+ अयोनिसंभवं द्विव्यज्ञानगर्भस्मुद्धवं ।

सोऽधिगन्य एव जन्म तदा सज्जानिभाग्मवेत् ॥८६॥

— आदिपुराण एवं ३८वाँ ।

कुतश्चित्कारणाथस्य कुलं सम्प्राप्तदूषणम् ।  
 सोऽपि राजादिसम्मत्या शोथयेत्स्वं यदाकुलं ॥१६८॥  
 तदाऽस्योपनयाहृतं पुत्रपात्रादिसंततौ ।  
 न निपिद्य हि दीक्षार्ह कुले चेदस्य पूर्वजाः ॥१६९॥

—४०वर्षो सर्ग ।

शुद्धिका यह उपदेश भी भरतचक्रवर्तीका दिया हुआ आदिपुराण में बनलाया गया है और इससे दम्सो तथा हिन्दूमें मुसलमान बने हुए मनुष्यों की शुद्धिका खासा अधिकार पाया जाता है। ऐसी हालतमें समालाचकजी भरत महाराजके अपमान और कलंककी बात काम्या खग्याल करते हैं, वे उनके उदार विचारों को नहीं पहुँच सकते, उन्हें अपनी ही स्मृत्ताल करनी चाहिये। जिसे वे अपमान और दूषण (कलंक)की बात समझते हैं वह भरतजीके लिये अमिमान और मूषणकी बात थी। वे समर्थ थे, योजक थे, उतमें योजनाशक्ति थी और अपनी उम्म शक्तिके अनुसार वे प्रायः किसी भी मनुष्यका अंगोर्य नहीं समझते थे—सभी भव्यपुरुषोंको योग्यतामें परिणत करने अथवा उनका योग्यतासे काम लेनेके लिये सदा तयार रहते थे। और यह उन्हीं जैसे उदारगृह्य योजकोंके उपदेशादि का परिणाम है जो प्राचीन कालमें कितनी ही म्लेच्छ जातियोंके लोग इस भारतवर्ष में आए और यहाँके जैन, बौद्ध, अथवा हिन्दू धर्मोंमें दीक्षित होकर आर्य जनता में परिणत होगये। और इनमें मखलूत हुए (मिलगये) कि आज उनके बशके पूर्वपुरुषोंका पता चलाना भी मुश्किल हो रहा है। समालोचकजीको भारतके ग्राचीन इतिहासका यदि कुछ भी पता होता तो वे एक म्लेच्छ कन्याके विवाह पर इतना न चौकते और न सत्य पर पर्दा डालनेकी अघम्य चेष्टा करते। अस्तु ।

इस सब कथनसे साफ़ जाहिर होता है कि—जिस जराका वसुदेवके साथ विषाह हुआ, जिसके पुत्र जरत्कुमारने राजपाट छोड़कर जैनमुनि-दीक्षा तक धारणकी और जिसकी संततिमें होने वाले जितशशु राजासे भगवान् महाबीरकी वृश्चा व्याही गई वह एक म्लेच्छ राजाकी कन्या थी, भील भी म्लेच्छोंकी एक जाति होनेसे वह भील कन्या भी हो सकती है परन्तु वह म्लेच्छ खंडके किसी म्लेच्छ राजाकी कन्या नहीं थी किन्तु आर्यखण्डोंद्वय म्लेच्छ राजाकी कन्या थी जो चम्पापुरीके पासके इलाके में रहता था । म्लेच्छखण्डोंमें आर्योंका उद्धव नहीं । म्लेच्छोंका सर्व सामान्याचार वही हिसा करना और मांस भक्षणःदिक् है । म्लेच्छ खण्डोंके म्लेच्छभी उस आचारसे खाली नहीं हैं, वे खास तौरपर धर्म कर्मसे वहिभृत हैं और उनका द्वेष धर्म कर्मके अव्योग्य माना गया है वहाँ सज्जातिका उत्पाद भी प्रायः नहीं बनता । म्लेच्छोंमें नीच गोत्रादिकका उद्यमी बतलाया गया है और इससे यह नहीं कहा जा सकता कि वे उच्चजातिके होते हैं । भरत चक्रवर्तीने ( तदनुसार और भी चक्रवर्तियोंने ) म्लेच्छ राजादिका की बहुतसी कन्याओंसे विषाह किया है, वे हीन कुल जातिकी कन्याओंसे विषाह कर लेना अनुचित नहीं समझते थे, उन्होंने म्लेच्छोंकी कुलशुद्धिकरणश्च और जिनके कुलमें किसी वजहसे कोई दोष लग गया हो उन्हें भी शुद्ध कर लेनेका विधान किया है । उस वक्तसे न मालूम कितने म्लेच्छ शुद्ध होकर आर्यजनतामें परिणत हुए । इतिहाससे कितनेही म्लेच्छ राजादिकोंका आर्य जनतामें शामिल होनेका पता चलता है । पहले जमानेमें दुष्कुलोंसे भी उत्तम कन्यायें ले ली जाती थीं, राजा ओणिके पिताने भील कन्यासे विषाह किया और सब्राट चंद्रगुप्तने एक म्लेच्छराजाकी कन्यासे शादी की । ऐसी हालतमें सभालोचकजीने उदाहरणके इस अंश पर जो कुछ भी

आशेप किये हैं वे सब मिथ्या तथा व्यर्थ हैं और उनकी पूरी नासमझी प्रकट करते हैं।

अब उदाहरण के तृतीय अंश—‘प्रियंगुसुन्दरीसे विवाह’—को लीलिये।

## व्यभिचारजातों और दस्सोंसे विवाह।

लेखकने लिखा था कि “—प्रियंगुसुन्दरीके पिताका, नाम ‘एणीपुत्र’ था। यह एणीपुत्र ‘ऋषिदत्त’ नामकी एक अधिवा-हिता तापस-कन्यासे व्यभिचारद्वारा उत्पन्न हुआ था। प्रसव-समय उक्त ऋषिदत्ताका देहान्त हो गया और वह मरकर देवी हुई, जिसने एणी अर्थात् हरिणीका रूप धारण करके जगलमें आपने इस नवजात शिशुको स्तन्यपान। दिसे पाला और पाल पोषकर अन्तको शीलायुध राजाके सपुद्द कर दिया। इससे प्रियंगुसुन्दरीका पिता एणीपुत्र ‘व्यभिचारजात’ था, जिसको आज कलकी भाषामें ‘दस्सा’ या ‘गाटा’ भी कहना चाहिये। बसुदेवजीने विवाहके समय यह सब हाल जान करभी इस विवाहको किसी प्रकारसे दूषित, अनुचित, अथवा अशास्य-सम्मत नहीं समझा और इस लिये उन्होंने बड़ी खुशीके साथ प्रियंगुसुन्दरीका भी पाण्यप्रहण किया।”

उदाहरणके इस अंश पर जो कुछ भी आपत्ति की गई है उसका सारांश सिर्फ़ इतनाही है कि एणीपुत्र व्यभिचारजात नहीं था किन्तु गन्धर्व विवाहसे उत्पन्न हुआ था। परन्तु ऋषि-दस्साका शीलायुधसे गन्धर्व विवाह हुआ था, ऐसा उल्लेख जिन-सेनाचार्यने आपने हरिवंशपुराणमें कहाँ किया है, इस बातको समालोचकजी नहीं बतला सके। आपने उक्त हरिवंशपुराणके आधार पर कर्त्ता पृष्ठोंमें ऋषिदत्ताकी कुछ विस्तृत कथा बतें हुए

भी, जिनसेनाचार्यका एक भी वाक्य ऐसा उद्धृत नहीं किया जिससे गंधर्वविवाहका पता चलता। सारी कथामेंसे नीचे लिखे कुल दो वाक्य उद्धृत किये गये हैं जो दो पद्धोंके दो चरणहैं:-

**“ऋतुमत्यार्यपुत्राहं यदिस्यां गर्भधारिणी ।”**

**“पृष्ठस्तथा [तः] सतामाहया [मा] कुलाभूः प्रियेश्चणु”**

इनमेंसे पहले चरणमें ऋषिदत्ताके प्रश्नका एक अंश और दूसरेमें शीलायुधके उत्तरका एक अंश है। समालोचकजी कहते हैं कि कोमकीडाके अनन्तर की बात चीतमें जब ऋषि-दत्ताने शीलायुधको ‘आर्यपुत्र’ कहकर और और शीलायुधने ऋषिदत्ताको ‘प्रिये’ कहकर संबोधन किया तो इससे उनके गंधर्वविवाहका पता चलता है—यह मालूम होता है कि उन्होंने आपसमें पति-पत्नी होनेका ठहराव कर लिया था और तभी भोग किया था; क्योंकि “आर्यपुत्र जो विशेषण है यह पति के लिये ही होता है” और “जो प्रिये विशेषण है यह पत्नीके ही लिये होता है।” इसी प्रकार जिनदास ब्रह्मचारीके हरिवश-पुराणसे सिर्फ एक वाक्य (“इति पृष्ठः सतामुच्चे मा भैषी शृणु वल्लभे”) उद्धृत करके उसमें आप हुए ‘वल्लभे’ विशेषणकी वाचत लिखा है—“ये भी पत्नीके लियेही होता है।” परन्तु ये विशेषण पति-पत्नीके लियेही प्रयुक्त होते हैं—अन्यके लिये नहीं—ऐसा कही भी कोई नियम नहीं देखा जाता। शब्द-कोशोंके देखनेसे मालूम होता है कि आर्य पुत्र “आर्यस्य पुत्र”—आर्यके पुत्रको, “मान्यस्य पुत्र”—मान्यके पुत्रको और “गुरुपुत्र”—गुरुके पुत्रको भी कहते हैं (देखो ‘शब्दकल्पद्रुम’ )। ‘आर्य’ शब्द पूज्य, स्वामी, भित्र, श्रेष्ठ, आदि कितनेही अर्थोंमें व्यवहृत होता है और इस लिये ‘आर्य पुत्र’ के और भी कितने ही अर्थे तथा घास्य होते हैं। बामन शिवराम ऐप्टेने, अपने कोशमें, यहभी बत-

स्थाया है कि आर्य पुत्र 'बड़े भाईके पुत्र' और 'राजा' के लिये भी एक गौरवान्वित विशेषणके तौरपर प्रयुक्त होता है। यथा:—  
**आर्यपुत्र** —honoriific designation of the son of the elder brother ; or of a prince by his general &c.

ऐसी हालतमें एक मान्य और प्रतिष्ठित जन तथा राजा समझ कर भी उक्त सम्बोधन पदका प्रयोग हो सकता है और उससे यह लाजिमी नहीं आता कि उनका विवाह हांकर पति-पत्नी संबंध स्थापित होगया था। इसी तरह पर 'प्रिया' और 'बहूभा' शब्दोंके लिये भी, जो दोनों एक ही अर्थको वाचक है, ऐसा नियम नहीं है कि वे अपनी विवाहिता लड़ीके लिये ही प्रयुक्त होते हैं—वे साधारण लड़ी मात्रके लिये भी व्यवहृत होते हैं, जो अपनेको प्यारी हों। इसीसे उक्त पद्धते साहबने 'प्रिया' का अर्थ a woman in general और बहूभाका a beloved female भी दिया है। कामीजन तो अपनी कामुकियों अथवा प्रेमिकाओंको इन्हीं शब्दोंमें कहा इनसेभी अधिक प्रेम व्यजक शब्दोंमें सम्बोधन करते हैं। ऐसी हालतमें प्रूषिदत्ताके प्रेमपाशमें बंधे हुए उन कामांध शीलायुधने यदि उसे 'प्रिये' अथवा 'बहूभे' कहकर सम्बोधन किया तो इसमें कौन आश्चर्यकी बात है? इन सम्बोधन पदोंसे ही क्या दोनोंका विवाह सिद्ध होता है? कभी नहीं। केवल भोग करने से भी गंधर्व विवाह सिद्ध नहीं होजाता, जब तक कि उससे पहले दोनोंमें पति पत्नी बननेका दृढ़ संकल्प और ठहराव न होगया हो। अन्यथा, कितनी ही कन्याएँ कुमारावस्थामें भोग कर सकती हैं और वे फिर दूसरे पुरुषोंसे व्याही जातीहैं। इस लिये गंधर्व विवाहके लिये भोगसे पहले उक्त संकल्प तथा ठहराव का होना जरूरी और लाजिमी है। समालोचक जी कहते भी हैं कि उनदोनोंने ऐसा निश्चय करके ही भोग किया था, परन्तु

जिनसेनाचार्यके हरिवंशपुराणमें उस संकल्प, ठहराव आद्यधा निश्चयका कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। भोगके पश्चात भी ऋषिदत्ता की ऐसी कोई प्रतिष्ठा नहीं पाई जाती जिससे यह मालूम होता हो कि उसने आजन्मके लिये शीलायुधको अपना पति बनाया था।

समालोचक जी एक बात और भी प्रकट करते हैं और वह यह कि ऋषिदत्ता पचाशुब्रतधारिणी थी और 'सभ्यकृत् सहित मरी थी "इसो लिये यह बिना किसीका पति बनाये कभी काममेघन नहीं कर सकती थी।" परन्तु सकने और न सकने का सवाल तो बहुत टेढ़ा है। हम सिर्फ इतनाही पूछना चाहते हैं कि यह कहाँका और कौनसे शारूखका नियम है कि जो सभ्यकृत् सहित मरण करे उसका संपूर्ण जीवन पवित्र ही रहा हो— उसने कभी व्यभिचार न किया हो ? किसी भी शारूखमें ऐसा नियम नहीं पाया जाता। और न यही देखनेमें आता है कि जिसने एक बार अशुब्रत धारण कर लिये वह कभी उनसे भ्रष्ट न होमकता हो। अशुब्रतीकी तो बात ही क्या अच्छे अच्छे महात्रती भी कामपिशाचके वशवर्ती होकर कभी कभी भ्रष्ट होगये हैं। चाहुदत भी तो अशुब्रती थे और आवकके इन ग्रतोंको लेनेके बाद ही वेश्यासक्त हुए थे। फिर यह कैसे कहा जासकता है कि ऋषिदत्तासे व्यभिचार नहीं बन सकता था। श्रीजिनसेनाचार्यने तो साफ लिखा है कि उन दोनोंके पारस्परिक प्रेमने चिरकालकी मर्यादा को तोड़ दिया था। यथा :—

\*शांतायुधसुतः श्रीपांश्रावस्तीपतिरेकदा ।

\*जिनदास ब्रह्मचारीने, अपने हरिवंशपुराणमें, इन चारों पद्योंकी जगह नीचे लिखे तीन पद्य दिये हैं :—

शांतायुधात्मजो जातु श्रावस्तीनगरीपतिः ।

शीलायुध इतिरुयातः संयातस्तापसाश्रम् ॥३६॥  
 एकयैव कृतातिथ्यस्तया तापसकन्यया ।  
 रुच्याहारैर्मनोहारि-सबल्कलकुचश्रिया ॥ ३७ ॥  
 अतिविश्रंभतः प्रेम तयोरप्रतिरूपयोः ।  
 विभेद निजमर्यादा चिरं समनुपालिताम् ॥ ३८ ॥  
 गते रहसि निःशंकं निःशंकस्तामसां युवा ।  
 अरीरमद्यथाकामं कामपाशवशो वशां ॥ ३९ ॥  
 —हरिवंशपुराण ।

**आर्थात्**—एक दिन शांतायुतधका पुत्र शीलायुध, जो धावहस्ती नगरीका राजा था, तापसामश्रम में गया । वहाँ वह तापसकन्या ऋषिदत्ता अकेली थी और उसने ही सुन्दर भोजनसे राजाका अतिथि-सत्कार किया । ये दोनों अति रूपवान थे, इनके परस्पर केलिकलह उपस्थित होने—अद्यावा स्नेहके बढ़ने से—दोनोंके प्रेमने चिरकालसे पालन की हुई मर्यादाको तोड़ डाला । और वह कामपाशके वश हुआ युवा शीलायुध उस कामपाशवशवर्तिनी ऋषिदत्ताको एकान्त में लेजाकर उससे निःशक हुआ यथेषु काम कीड़ा करने लगा ।

प० दौलतरामजी भी आपनी टीकामें लिखते हैं—“ऋषिदत्ता तापसकी कन्या अकेली हुती ताने शीलायुधको मनोहर

---

शीलायुधाभिधोयासीत्तं तापसजनाध्रमं ॥ ३६ ॥  
 तथैकयैव विहितानिथ्यस्तापसकन्यया ।  
 वन्याहारैः परां प्रीतिं स तया सह संगतः ॥ ३७ ॥  
 ततो रहसि निःशंकस्तामसौतापसात्मजां ।  
 बुभुजे कामनाराचवशाहपीकृतविप्रहाम् ॥ ३८ ॥

आहार कराया, पर दोऊही अतुल रूप सो इनके प्रेम बड़ा सो चिरकालकी मर्यादा हुती सो भेदी गई। एकांत विष्णु दंड नि शक भये यथेष्ट रमते भये।” और पं० गजाधरलालजी ३८ वें पश्चके अनुवादमें लिखते हैं—“वे दोनों गाढ़ प्रेम बधनमें बध गये उनके उस प्रेम बधनने यहाँ तक दोनों पर प्रभाव जमा दिया कि नतो ऋषिदत्ताको अपनी तपस्थितमर्यादाका ध्यान रहा और न राजा शीलायुधकी ही अपनी वंशमर्यादा सांचनेका अवसर मिला।” और इसके बाद आपने यह भी जाहिर किया है कि “ऋषिदत्ताको अपने अविचारित काम पर बड़ी पश्चात्प हुआ मारे भयके उसका शरीर धर धर काँपने लगा।”

ओजिनसेनाचार्यके बाक्यों और उक्त दीका वचनों से यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है हि ऋषिदत्ता और शीलायुधने विवाह न करके व्यभिचार कियाथा। हरिवंशपुराणके उक्त चारों पद्यों में शीलायुधके आथ्रममें जाने और भोग करने तकका पूरा धर्मन है परन्तु उसमें कहीं भी पति-पत्नीके संबंध-विषयक किसी उहराय, सकल्प, प्रतिक्षा या विवाहका कोई उल्लेख नहीं है। फिर यह कैसे कहा जासकता है कि इन दोनोंका गंधर्व विवाह हुआथा? समालोचकजी, कथाका पूर्णांश् ( ? ) देते हुए लिखते हैं :—

“ चंकि राजपुत्र भी तरुण तथा रूपवान था और कन्या भी सुन्दरी व लावण्यवती थी इनका आपस में एक दूसरे पर विश्वास हो गया। ( पति पत्नी बनने की वार्ता हो गई ) जो कि गंधर्व विवाह से भली भाँति घटित होता है। और इन्होंने परस्पर में काम कीड़ा की ” ।

मालूम होता है यह आपने उक्त ३८ वें और ३९ वें पद्यों का पूर्णांश् नहीं किन्तु सारांश दिया है और इस में चिरपालित

मर्यादा को तोड़ने की बात आप क़ुतई छिपा गये ! अथवा यौं कहिये कि, कथाका उपयुक्त सारांश देने पर भी, कथाके अंश को छिपानेका जो इलजाम आपने लेखक पर लगाया था उसके स्वय मुलज़िम और मुजरिम (अपराधी) बन गये । साथ ही, यह भी मालूम होता है कि इनमें पद्म में आए हुए “अतिविश्वभतः”, पद का अर्थ आपने ‘विश्वास होगया’ समझा, उसे ही पति-पत्नी बनने की बार्ता होना मान लिया । और फिर उसीको गंधर्व विवाह में घटित कर लिया !! वाह ! क्या ही अचङ्गा आखान नुसखा आपने निकाला ! कुछ भी करना धरना न पड़े और मुफ्त में पाठकों को गंधर्व विवाह का पाठ पढ़ा दिया जाय !! महाराज ! इस प्रकार की कपट कला से कोई नतीजा नहीं है । मूल प्रन्थ में ‘अतिविश्वभतः’ यह स्पष्ट पद है, इस में पति-पत्नी बनने की काई बार्ता छिपी हुई नहीं है और न गंधर्व विवाह ही अपना भूँह ढाँपे हुए बैठा है । ‘विश्वभ’ शब्द का अर्थ, यद्यपि, विश्वास भी होता है परन्तु ‘केलिकलह’ (Love quanriel) और ‘पुण्य’ (स्नेह) भी उसके अर्थ हैं ( \*विश्वभः केलिकलहे, विश्वासे प्रणये वधे ) और ये ही अर्थ यहां पर प्रकरण संगत जान पड़ते हैं । ‘अति विश्वास से प्रेम ने मर्यादा तोड़ दी’ यह अर्थ कुछ ठीक नहीं बैठता । हाँ, स्नेहके अतिरेकसे अथवा केलिकलहके बढ़नेसे—प्रेमप्रस्तावके लिये अधिक छेड़छाड़ हँसी मजाक और हाथा पाई के होने से—प्रेम ने उनकी चिरपालित मर्यादा तोड़ दी’, यह अर्थ संगत मालूम होता है । परन्तु कुछ भी सही, आप अपने ‘विश्वास’ अर्थ पर ही विश्वास रखें फिर भी तो उसमें से

\* यह श्री हेमचन्द्र और श्रीधरसेनाचार्यों का वाक्य है । मेदिनी कोशमें भी ‘केलिकलह’ और ‘पुण्य’ दोनों अर्थ दिये हैं ।

पति-पत्नी होने की कोई बात चीत सुनाई नहीं पड़ती और न गंधर्व विवाह ही के मुख का कहीं से दर्शन होता है। यदि दोनों का गंधर्व विवाह हुआ होता तो कोई बजह नहीं थी कि क्यों ऋषिदत्ता प्रसव से पहले ही शीलायुध के घर पर न पहुंच गई होती—खालकर ऐसी हालत में जब कि उसने शीलायुध-द्वारा भोगे जाने का हाल अपने माता पिता से भी उसी दिन कह दिया था। साथ ही, समालोचकजीके शब्दों में (मूल प्रन्थ के शब्दों में नहीं) यह भी कह दिया था कि “मैं एकान्त में राजा शीलायुध की पत्नी हो चुकी हूँ।” ऐसी दशा में तो जितना भी शीघ्र बनता वे प्रकट रूप से उसका बाकायदा (नियमानुसार) विवाह शीलायुधके साथ कर देते और उसे उसके घर पर भेज देते। ऋषिदत्ता को नव क्या ज़रूरत थी कि वह डरती और घबराती हुई यह प्रश्न करती कि ऋतु-मती होनेसे यदि मेरे गर्भ रहगया हो तो मैं उसका क्या करूँगी। एक विवाहिता रुपी गर्भ रह जाने पर क्या किया करती है? जब वह खुद बालिग (प्राप्तवयस्क) थी, अपनी खुशी से उसने विवाह किया था और एक ऐसे समर्थ पुरुष के साथ विवाह किया या जोकि राजा था तो फिर उसके लिये डरने, घबराने और थरथर कांपने की क्या ज़रूरत थी? प्रियंगुसुन्दरी का भी तो वसुदेवके साथ पहले गंधर्व विवाह ही हुआ था। वह तो तभी से उनके साथ रहने लगी थी। और बादको उसका बाजान्ता विवाह भी होगया था। हो सकता है कि ऋषिदत्ता अपने तापसी जीवन में ही रहना चाहती हो और इसालिये केवल पुत्र के बास्ते उसने पूछ लिया हो कि उसके होने पर क्या किया जाय। ऐसी हालतमें उसका वह कर्म गंधर्व-विवाह नहीं कहला सकता। शीलायुध ने उसके प्रश्नका जो उत्तर दिया उससे भी यह बात नहीं पाई जाती कि उनका परस्पर

विवाह हो गया था । वह कहता है 'प्रिये ! छरे मत, मैं श्रावस्ती नगरी का इद्वाकुवंशी राजा हूँ और शीलायुध मेरा नाम है; जब तेरे पुत्र हो तब तू पुत्र-सहित मेरे पास आइयो—अथवा मुझ से मिलियो ।' बाह ! क्या अन्धा उत्तर है ! क्या अपनी पत्नी को ऐसा ही उत्तर दिया जाता है ? यदि विवाह हो चुका था तो क्यों नहीं उसने हढ़ता के साथ कहा कि मैं तुम्हें अभी अपने घर पर बुलाये लिये लेता हूँ ? क्यों तापसाश्रम में ही अपने पुत्र का जन्म होने दिया ? और क्यों उसने फिर अन्त तक उसकी कोई खबर नहीं ली ? वह तो उसे यहाँ तक भूल गया कि जब वह मरकर देवी हुई और उसी तापसी वेष में पुत्रको लेकर शीलायुध के पास गई तो उसने उसे पहिचाना तक भी नहीं । क्या इन्हीं लक्षणों से यह जाना जाता है कि दोनों का विवाह हो गया था । और भोग से पहले पति पत्नी बनने की सब बातचीत तै हो गई थी ? कभी नहीं । उत्तर से तो यह मालूम होता है कि भोग से पहले शीलायुधने अपना इतना भी परिचय उसे नहीं दिया कि वह कौन से वंशका और कहाँका राजा है,—इस परिचयके देनेकी भी उसे बादको ही ज़रूरत पड़ी—उसने तो अपने वीर्य से उत्पन्न होनेवाले पुत्र की रक्षा आदिके प्रबन्धके लिये ही यह कह दिया मालूम होता है कि तुम उसे लेकर मेरे पास आजाइयो । फिर यह कैसे कहा जासकता है कि दोनों का परिचय और विवाह की बात चरित होकर भोग हुआ था ? यदि दोनों का गंधर्व विवाह हुआ होता तो श्रीजिनसेनाचार्य उसका उसी तरह से स्पष्ट उल्लेख करते जिस तरह से कि उन्होंने इसी प्रकरण में प्रियंगुसुन्दरी के गंधर्व विवाह का उल्लेख किया है# । अस्तु; उक्त प्रश्नोत्तर

\*यथा:—प्रियंगुसुन्दरी सौरि रहसि प्रत्यपद्यत ।

सा गंधर्वविवाहादि सहस्रमुखपंकजा ॥६८॥

के शेषक निम्न प्रकार हैं और वे ऊपर उद्घृत किये हुए पदों  
के ठीक बाद पाये जाते हैं:—

विजिङ्गपत्ततस्तं सा साध्वी साध्वसपरिता ।  
ऋतुमत्यार्युत्राहं यदि स्यां गर्भधारिणी ॥ ४० ॥  
तदा वद विधेयं मे किमिहाकुलचेतसः ।  
पृष्ठस्ततः सतामाह माकुलाभूः प्रिये ऋणु ॥ ४१ ॥  
इक्षाकुकलजो राजा आवस्त्यामस्तशात्रवः ।  
शीलायुधस्त्वयावश्यं दृष्ट्योहं सपुत्रया ॥ ४२ ॥

यथा कीर्ति भट्टारक के बनाये हुए अपन्नंशभाषात्मक प्राकृत हस्तिवंशपुराणमें यही प्रश्नोत्तर इस प्रकार से दिया हुआ है:—

रित्संपणणी काइ करेसमि ।  
हउसोगब्धु का सुयउ देसमि ।  
सीलाउहु णिउ हउं साविच्छिहिं ।  
सो णांदणु महु आणिवि दिजजहिं ।

**आर्थात्**—( ऋषिदत्ताने पूछा ) मैं ऋतुसम्पन्ना हूं, यदि  
मेरे गर्भ रह गया तो मैं क्या करूँगी और उस पक्षको किसे दृढ़गी?  
(उत्तर में शीलायुधने कहा) मैं धावस्ती ( नगरी ) में शीलायुध  
(नामका) राजा हूं सो वह पुत्र तुम मुझे लाकर दे देना ।

इसके बाद लिखा है कि 'राजा अपने नगर चला गया और  
ऋषिदत्ताने वह सब वृत्तांत अपने माता पितासे कहदिया'। यथा  
यउ कहेवि सो गउ णिय णायरहो ।  
यिउ विचंतु कहिउ तिणि पियरहो ॥  
इस प्रश्नोत्तरसे, यथापि, यह बात और भी साफ़ जाहिर

होती है कि ऋषिदत्ता और शीलायुधका आपसमें विवाह नहीं हुआ था किन्तु भोग हुआ था और उस भोगसे उत्पन्न होने वाले पुत्रका ही इस प्रश्नोत्तर द्वारा निपटारा किया गया है कि उसका क्या बनेगा । अन्यथा,—विवाहकी हालतमें—ऐसे विलक्षण प्रश्नोत्तर का अवतार ही नहीं बन सकता । परन्तु इस प्रश्नोत्तरसे ठीक पहले शीलायुधके तापसाश्रम में जाने आदिका जो वर्णन दिया है उसमें ‘विवाहिय’ पद खटकता है और वह वर्णन इस प्रकार है :—

सीलाउहणरवइ तहिं पत्तउ ।  
बनकीलइ सो ताए विदिहिउ ।  
अतिहिं धरि विहुय तहो अणुराइय ।  
तेसि हि सकिख करेवि विवाहिय ।

समालोचकजाने इस पद्यके अर्थमें लिखा है कि—“किसी समय शीलायुध राजा वहाँ बन कीड़ाके लिये आया वह [उसे] ऋषिदत्ताने देखा उन दोनोंमें परस्पर अनुराग हो गया और उन्होने तेसिको साक्षीकर विवाह कर लिया ।” साथही, यह प्रकट किया है कि ‘तेसि’ का अर्थ हमें मिला नहीं, वह निःसदैह कोई अवेतन पदार्थ जान पड़ता है जिसको साक्षी करके विवाह किया गया है ।

यहाँ, मैं अपने पाठकोंको यह बतला देना चाहता हूँ कि उक्त प्रश्नोत्तर बाला पद्य इस बातको प्रकट कर रहा अथवा भाँग रहा है कि उससे पहले पद्यमें भोगका उल्लेख होना चाहिये, तबही गर्भकी शका और तद्रिष्यक प्रश्न बन सकता है । परन्तु इस पद्यमें भोगका कोई उल्लेख न होकर केवल विवाहका उल्लेख है और विवाह मात्रसे यह लाजिमी नहीं आता कि भोग भी उसी बक्त हुआ हो । मात्र विवाहके अनन्तर ही उक्त

प्रश्नोत्तरका होना बेढ़ंगा मालूम होता है ऐसी हालतमें यहाँ 'विवाहिय' पदका जो प्रयोग पाया जाता है वह संदिग्ध जान पड़ता है। अबूत संभव है कि यह पद अशुद्ध हो और भोग किया, काम कीड़ाकी अथवा रमण किया, ऐसेही किसी अर्थके वाचक शब्दकी जगह लिखा गया हो। 'तेस्तिहि लक्ष्मिः' पाठ भी अशुद्ध मालूम होता है—उसके अर्थका कहाँसे भी कोई समर्थन नहीं होता। ऋषिदत्ताकी कथाको लिये हुए सबसे प्राचीन ग्रन्थ, जो अभी तक उपलब्ध हुआ है वह, जिनसेनाचार्यका हरिवंशपुराण ही है—काष्टासंघी यशः कीर्ति भट्टारकका प्राकृत हरिवंशपुराण उससे ८६० वर्ष बादका बना हुआ है—परन्तु उसमें तेसि (?) की साक्षीसे तो क्या वैसे भी विवाह करनेका कोई उल्लेख नहीं है, जैसाकि ऊपर जाहिर किया आ चुका है। इसके सिवाय, भट्टारकजीने स्वयं यह सूचित किया है कि मेरे इस ग्रन्थके शब्द-अर्थका सम्बंध जिनसेनाचार्यके शास्त्र (हरिवंशपुराण) से है। यथा :—

सद अत्थ संवंशं फुरंतउ ।

जिणसेणहो सुत्तहो यहु पयडिउ ।

और जिनसेनाचार्यने साफ तौर पर विवाहका कोई उल्लेख न करके उक्त अवसर पर भोगका उल्लेख किया है और "अरीरमत्" पद दिया है। जिनसेनाचार्यके अनसार अपने हरिवंश पुराणकी रचना करते हुए, ब्रह्मचारी जिनदासने भी यहाँ "युभुजे" पदका प्रयोग किया है जिसका अर्थ होता है 'भोग किया' अथवा भोग और इसलिये वह जिनसेनके 'अरी-रमत्' पदके अर्थकाही दोतक है। परन्तु यहाँ "करेवि विवाहिय" शब्दोंसे वह अर्थ नहीं निकलता, जिससे पाठके अशुद्ध होनेका ज्यात्ता और भी ज्यादह ढढ होता है। यदि धास्तथमें

पाठ अशुद्ध नहीं है, बल्कि भट्टारकजीने इसे इसी रूपमें लिखा है और वह ग्रन्थकी प्राचीन प्रतियोगीमें भी ऐसेही पाया जाता है तो मुझे इस कहनेमें कोई सकोच नहीं होता कि भट्टारकजी ने जिनसेनाचार्यके शब्दोंका अर्थ समझने में गलती की और वे अपने ग्रन्थमें शब्द अर्थके सम्बन्धको ठीक तौरसे व्यवस्थित नहीं कर सके—यह भी नहीं समझ सके कि विवाहके अनंतर उक प्रश्नोत्तर कितना बेढगा और आग्राहक्तिक जान पड़ता है। आपका ग्रन्थ है भी भी बहुत कुछ साधारण। इसके सिवाय, जब हमारे सामने मूलग्रन्थ मौजूद है तब उसके आधार पर लिखे हुए सारांशों, आशयों, अनुवादों अथवा संक्षिप्त ग्रंथोंपर ध्यान देनेकी ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं है, वे उसी हद तक प्रमाण माने जा सकते हैं जहाँ तककि वे मूल गूढ़ों के विरुद्ध नहीं हैं। उनके कथनोंको मूलगूढ़ों पर कोई महत्व नहीं दिया जासकता। जिनसेनाचार्यने साफ सूचित किया है कि उन दोनोंके प्रेमने चिरपालित मर्यादाको भी तोड़ दिया था, वे एकान्तमें जाकर रमने लगे, भोगके अनन्तर ऋषिदत्ताको बड़ा भय मालूम हुआ, वह घबराई और उसे अपने गर्भकी फिकर पड़ी। शीलायुधके वंशादिकका परिचय भी उसे बादको ही मालूम पड़ा। ऐसी हालतमें विवाह होनेका तो खयालभी नहीं आ सकता। अस्तु।

इस सब कथन और विवेचनसे साफ ज़ाहिर है कि ऋषिदत्ता और शीलायुधका कोई विवाह नहीं हुआ था, उन्होंने वैमे ही काम पिशाचके बशवर्ती होकर भोग किया और इस लिये वह भोग व्यभिचार था। उससे उत्पन्न हुआ एणीपुत्र, एक दृष्टिसे शीलायुधका पुत्र होतेहुए भी, ऋषिदत्ताके साथ शीलायुधका विवाह न होनेसे, व्यभिचारजात था। उसकी दशा उस जारज पुत्र जैसी थी जो किसी जारसे उत्पन्नहोकर कालान्तरमें उसीको मिलजाय। अविवाहिता कम्यासे जो पुत्र

पैदा होता है उसे "कानीन" कहते हैं (कानीनः कन्यकाजातः; कन्यायां अनूढायां जातो वा ), 'अनूढा पुत्र' भी उसका नाम है और वह व्यभिचारजातीमें परिगणित है। 'एलीपुत्र' भी ऐसा सी 'कानीन' पुत्र था और इस लिये उसकी पुत्री प्रियं-गुसुन्दरी' एक व्यभिचारजातकी अनूढापुत्रकी अथवा कानीनकी पुत्रा थी, जिसे आजकल की साथमें दस्सा या गाटा भी कह सकते हैं। मालूम नहीं समालोचक जी कं एक व्यभिचारजात या दस्सेकी पुत्रीसे विवाहकी बात पर क्यों इतना छोग आया जिसके लिये बहुत कुछ यद्यातदा लिख कर समालोचनाके बहुतसे पेज रगे गये हैं—जबकि साक्षात् व्यभिचारजात वेश्या-पुत्रियों तकसे विवाहके उदाहरण जैनशास्त्रोंमें पाये जाते हैं और जिनके कुछ नमूने ऊपर दिये जाचुके हैं। क्या जो लोग स्वेच्छकन्याओं तकसे विवाह करते थे उनके लिये एक दस्से या व्यभिचारजातकी आर्य कन्या भी कुछ गई थीती होसकती है? कदापि नहीं। आज कल यदि काई वेश्यापुत्रीसे विवाह करते तो वह उसी दम जातिसे खारिज किया जाकर दस्सा या गाटा बना दिया जाय। साथमें उसके साथी और सहायक भी यदि दस्से बना दिये जायें तो कुछ आश्वर्य नहीं। अतः आजकलकी दृष्टिमें जिन लोगोंने पहले वेश्याओंसे विवाह किये वे सब दस्से\* होने चाहियें। ऋषिदत्ताके पिता अमोघदर्शनने

\*दस्सा के बहुत व्यभिचारजात का ही नाम नहीं है बल्कि और भी कितने ही कारणोंसे 'दस्सा' संज्ञाका प्रयोग किया जाता है, और न सर्व व्यभिचारजात ही दस्सा कहलाते हैं क्योंकि कुड़ संतान जो भर्तारके जीतेजी और पास मौजूद होते हुए जारसे पैदा होती है वह व्यभिचारजात होते हुए भी दस्सा नहीं कहलाती।

भी आपने पुत्र चारुचंद्रका विवाह 'कामपताका' नामकी वेश्या-पुत्रीसे किया था, जिसके कथन को भी समालोचक जी कथा का पूर्णांश देते हुए लिया गये ! और इसलिये ज्ञानिदत्त। दस्से की पुत्री और दस्से की बहन भी हुईं। तब उसकी उक्त प्रकार से उत्पन्न हुईं संतानों को आज कल की भाषा में दस्से के सिवाय और क्या कहा जासकता है ? परन्तु पहले जमाने में 'दस्से-बीसे' का कोई भेद नहीं था और न जैनशाखों में इस भेद का कहीं कोई उल्लेख मिलता है । यह सब कल्पना बहुत पीछेकी है जबकि जनताके विचार बहुत कुछ संकीर्ण, स्वार्थमूलक और ईर्ष्य-द्वेष-परायण हो गये थे । प्राचीन समयमें तो दो दो वेश्यापुत्रियोंसे भी विवाह करने वाले 'नागकुमार' जैसे पुरुष समाजमें अच्छी दृष्टिसे देखे जाते थे, नित्य भगवानका पूजन करते थे और जिनकीदाको धारण करके केवलहान भी उत्पन्न कर सकते थे परन्तु आज इससे भी बहुत कमती हीन विवाह करलेने वालोंको जातियोंखारिज करके उनके धर्म साधनके मार्गों को भी बन्द किया जाता है । यह कितना भारी परिवर्तन है ! समयका कितना अधिक उलटफेर है !! और इससे समाज के भविष्यका चिन्तवन कर एक सहदय व्यक्तिको कितना महान् कुःख तथा कष्ट होता है !!!

यहाँ पर मैं समालोचक जीको इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि दस्सों और बीसोंमें परस्पर विवाहकी प्रथा सर्वथा बन्द नहीं है । हूमड आदि कई जैन जातियोंमें वह अब भी जारी है और उसका बराबर विस्तार होता जाता है । बम्बई के स्प्रिंग्स 'जैनकुल भूषण' सेठ मणिकर्ण जी ज० पी० के भाई पानाचंद्रका विवाह भी एक दस्से की पुत्रीसे हुआया । इस लिये आपको इस विनासे मुक्त होजाना चाहिये कि यदि जैनजातिमें इस प्रथाका प्रबोध हुआ तो वह रसातलको चली

आथगी । दस्तोंसे विवाह करना आत्मपत्नका अथवा आत्मो-न्नतिमें बाधा पहुँचानेका कोई कारण नहीं हासकता । दस्तोंमें अच्छेअच्छेप्रतिष्ठित और धर्मात्मजन मौजूद हैं—वे बीसोंसे किसी बातमें भी कम नहींहैं—उन्हें हीन हण्डिसे देखना अथवा उनके प्रति असद्ग्राव रखना अपनी कुट्रता प्रकट करनाहै । अस्तु ।

यह तो हुई तृतीय अशुके आहेपौकी बात, अब उदाहरण का शेष चौथा अशुके गोहिणीका स्वयंवर ' भी लीजिये ।

—४८५७—

## स्वयंवर—विवाह ।

उदाहरणका यह चौथा अंश इस प्रकार लिखा गयाथा:—

“ रोहिणी अरिष्टपुर के राजाको लड़की और एक सुप्रतिष्ठित घराने की कन्या थी । इसके विवाहका स्वयंवर रचाया गया था, जिसमें जरासन्धादिक बड़े बड़े प्रतापी राजा दूर देशान्तरों से एकत्र हुए थे । स्वयंवरमण्डप में बसुदेवजी, किसी कारण विशेष से अपना वेष बदल कर ‘पणव’ नाम का घादित्र हाथ में लिये हुए एक ऐसे रङ्ग तथा अकुलीन बाजन्त्री (बाजा बजाने वाला) के रूप में उपस्थित थे कि जिससे किसी को उस बक वहाँ उनके वास्तविक कुल, जाति आदि का कुछ भी पता मालूम नहीं था । रोहिणी ने सभूर्ण उपस्थित राजाओं तथा राजकुमारों को प्रत्यक्ष देखकर और उनके वंश तथा गुणादिका परिचय पाकर भी जब उनमें से किसीको भी अपने याग्य घर पसंद नहीं किया तब उसने, सब लोगोंको आश्रय में डालते हुए, बड़े ही निःसकोच भावसे उक्त बाजन्त्री रूप के धारक एक अपरिचित और अहात कुल-जाति नामाव्यक्ति ( बसुदेव ) के गते में ही अपनी वरमाला डाल दी ।

रोहिणी के इस कृत्य पर कुछ ईर्षालु, मानी और मदान्ध राजा, अपना अपमान समझकर, कुपित हुए और रोहिणीके पिता तथा वसुदेव से लड़ने के लिये तैयार हो गये । उस समय विवाहनीति का उल्लंघन करने के लिये उद्यमी हुए उन कुपितानन राजाओंको सम्बोधन करके, वसुदेवजीने बड़ी तंजस्विताके साथ जो वाक्य कहे थे उनमेंसे स्वयंवर-विवाहके नियमसूचक कुछ वाक्य इस प्रकार हैं :—

कन्या वृणीते रुचितं स्वयंवरगता वरं ।

कुलीनपकुलीनं वा क्रमो नास्ति स्वयंवरे ॥

—सर्ग ११, श्लोक ७१ ।

अर्थात्—स्वयंवरको प्राप्त हुई कन्या उस वरको वरण(स्वीकार) करती है जो उसे पसन्द हाता है, चाहे वह वर कुलीन हो या अकुलीन । क्योंकि स्वयंवरमें इस प्रकारका—वरके कुलीन या अकुलीन होनेका—कोई नियम नहीं होता । ये वाक्य सकलकीर्ति आचार्यके शिष्य श्रीजिनदास ग्रहणचारीने अपने हरिवंशपुराणमें उद्धृत किये हैं और श्रीजिनसेनाचार्य-कृत हरिवंशपुराणमें भी प्रायः इसी आशयके वाक्य पाये जाते हैं । वसुदेवजी के इन वचनों से उनकी उदार परिणति और नीति-व्याप्तिका अच्छा परिचय मिलता है, और साथ ही स्वयंवर-विवाह की नीतिका भी बहुत कुछ अनुभव हो जाता है । वह स्वयंवर-विवाह, जिसमें वरके कुलीन या अकुलीन होने का कोई नियम नहीं हाता, वह विवाह है जिसे आदिपुराणमें ‘सनातनमार्ग’ लिखा है और सम्पूर्ण विवाह विधानों में सबसे अधिक श्रेष्ठ (वरिष्ठ) विधान प्रकट किया है ॥ युगकी आदिमें सबसे पहले

क्यथा — सनातनोऽस्ति मार्गोऽयं भुतिस्मृतिषु भाषितः

विवाहविधिभेदेषु वरिष्ठो हि स्वयंवरः ॥ ४४-३२ ॥

जब राजा अकम्पन-द्वारा इस (स्वयंवर) विचाह का अनुष्ठान हुआ था तब भरत चक्रवर्तीने भी इसका बहुत कड़ी अभिनन्दन किया था । साथ ही, उन्होंने ऐसे सनातन मार्गोंके पुनरुद्धार-कर्त्ताओं को सत्पुरुषों द्वारा पृथ्य भी डहराया था ॥\*

उदाहरणके इस अंशपर सिर्फ तीन खास आपत्तियों की गई हैं जिनका सारांश इस प्रकार है :—

( १ ) एक बाजेंत्रीके रूपमें उपस्थित होने पर वसुदेवको “रंक तथा अकुलीन” क्यों लिखा गया । “क्यों बाजे बजाने वाले सब अकुलीन ही होते हैं ? बड़े बड़े राजे और महाराजे तक भी बाजे बजाया करते हैं ।” ये रक तथा अकुलीनके शब्द अपनी तरफ़ से जांड़े गये हैं । वसुदेवजी अपने वेषको छिपाये हुए जहर थे “किन्तु इस घोषके छिपानेसे उन पर कगाल या अकुलीनपना लाग नहीं होता ।”

( २ ) “यह बाबूजीका लिखना कि “रोहिणीने बड़े ही निःसंकोच भावसे बाजेंत्री रूपके धारक अवात कुलजाति रह व्यक्तिके गलेमें माला डालदी” सर्वथा शास्त्र विरुद्ध है ।”

( ३ ) “जा श्लोकका प्रमाण दिया वह वसुदेवजीने कोधमें कहा है किसी आचार्य ने आहारप नहीं कहा जो प्रमाण हो,” ।

इनमेंसे पहली आपत्तिकी बायत तो सिर्फ इतना ही निचेदन है कि लेखक ने कहीं भी वसुदेवको रंक तथा अकुलीन नहीं लिखा और न यही प्रतिपादन किया कि उनपर कंगाल या

\* यथा:—तथा स्वयंवरस्येमे नाभवन्यद्यकम्पनाः ।

क प्रवर्त्तयितान्योऽस्य मार्गस्यैष सनातनः ॥४५॥

मार्गाद्विचरन्तनान्येऽत्र भोगभूमितिरोहितान् ।

कुर्वन्ति नूतनान्सन्तः सद्ग्रीषूल्यास्त एव हि ॥४५॥

—आ० श० प॒० प॒० ४५ ।

अकुलीनपना लागू होता है। 'कंगाल' शब्दका तो प्रयोग भी उदाहरण भरमें कहीं नहीं है और इसलिये उसे समालोचकजीकी अपनी कर्तृत समझना चाहिये। लेखक ने जिसके लिये रंक तथा अकुलीन शब्दोंका प्रयोग किया है वह बसुदेवजीका तात्कालीन वेष था, न कि स्वयं बसुदेवजी, और यह बात ऊपरके उदाहरणांशसे स्पष्ट ज़ाहिर है। वेषकी बातको व्यक्तित्व में घटा लेना कोरी भूल है। यह ठीक है कि कभी कभी कोई राजा महाराजा भी अपने दिल बहलावके लिये बाजा बजा लेते हैं परन्तु उनका वह विनोदकर्म प्रायः एकान्तमें होता है—सर्व साधारण सभा-सोसाइटियों अथवा महोत्सवोंके अवसर पर नहीं—और उससे वे 'पाणविक'—बाजियाँ—नहीं कहलाते। बसुदेवजी, अपना वेष बदल कर 'पणव' नामका वादित्र हाथमें लिये हुए, साफ़ तौर पर एक पाणविकके रूपमें वहाँ (स्वयं वर मंडपमें) उपस्थित थे—राजाके रूपमें नहीं—और पाणविकों को—बाजियोंकी—श्रेणियें भी अन्तमें बैठे हुए थे, जैसाकि जिनसेनके निम्न वाक्यने प्रकट हैं:—

\*बसुदेवोऽपि तत्रैव भ्रात्रलक्षितवेषभृत् ।

\*इसी पद्यको जिनदास ब्रह्मचारीने निम्नप्रकरसे बदल कर रफ्खा है :—

भ्रात्रलक्षितवेषोपि तत्रैव यदुनन्दनः ।

गृहीतपणवस्तस्थी मध्ये सर्वकलाविदां ॥

यहाँ 'सर्वकलाविदां' पद वादित्र-विद्याकी सर्वकलाओंके जानने वाले पाणविकोंके लिये प्रयुक्त हुआ है। जिनदासने बसुदेवको उन पाणविकों—बाजियोंके अन्तमें न बिठलाकर मध्यमें बिठलाया है, यही भेद है और वह कुछ उचित मालूम 'नहीं' होता। उस वक्तकी स्थितिको देखते हुए एक अपरिचित और अनिमं-६

तस्यौ पाणविकांतस्थो गृहीतपणबो गृहीः (१) ॥

उनके इस वेषके कारण ही बहुतसे राजा उन्हें ‘पाणविक वर’ कहने के लिये समर्थ हो सके थे और यह कहने के लिये कि ‘कन्याने बड़ा अन्याय किया जो एक बाजंत्रीको वर बनाया’। यथा:—

मात्सर्योपहताश्चान्ये जगुः पाणविकं वरं ।

कुर्वत्या पश्यतात्यन्तमन्यायः कन्या कृतः ॥४८॥

बाजंत्रीके रूपमें उपस्थित होने की बजहसे ही उन ईर्षालु राजाओंको यह कहनेका भी मौका मिला कि यह अकुलीन है, कोई नीच वंशी (कोपि नीचान्वयोद्भवः) है, अन्यथा यह अपना कुल प्रकट करे, क्योंकि उस समय बाजा बजानेका काम या पशा करने वाले शूद्र तथा अकुलीन समझे जाते थे। ऐसी हालतमें बसुदेवके उक्त वेषको रंक तथा अकुलीन कहना कुछु भी अनचित नहीं जान पड़ता। समालोचकजी स्वयं इस बातको स्वीकार करते हैं कि प्रतिस्पर्धी राजाओंने बसुदेवको रंक तथा अकुलीन कहा था॥ और उनके इस कथनका जैन शब्दोंमें उल्लेख भी मालूम है, फिर उनका यह कहना कहाँ तक ठाक हो सकता है कि लेखकने इन शब्दोंको अपनी तरफसे जोड़ दिया, इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं। साथ ही, इस बातका भी अनुभव कर सकते हैं कि समालोचकजीने जो यह कल्पना की है कि स्वयंवर-मण्डपमें राजाओंके सिवाय कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता था और इसलिये बाजा बाजाने वाले भी वहाँ राजा

नित व्यक्तिके रूपमें बसुदेवका पाणविकोंके अन्तमें—पीछेकी ओर—बैठ जाना या खड़ रहना ही उचित जान पड़ता है।

\*यथा:—“रङ्ग और अकुलीन तो केवल प्रतिस्पर्धी राजाओं ने स्पर्धाद्वारा बतौर अपशब्दोंके कहा है”।

ही होते थे, बसुदेवजी उन्हों बाजा लजाने वाले राजाओंमें जाकर बैठ गये थे॥ वह कितनी विलक्षण तथा निःसार मालूम होती है। आपने राजाओंको अच्छा 'पाणविक' बनाया और उन्हें खूब वाजंत्रीका काम दिया ! और एक वाजत्री ही का काम क्या, जब स्वयंवरमें राजाओं तथा राजकुमारों के सिवाय दूसरेका प्रवेश ही नहीं होता था तबतो यह कहना चाहिये कि पानी पिलाने, जूँठे बर्तन उठाने और पक्का भोलने आदि दूसरे सेवा चाकरीके कामोंमें भी वहाँ राजा लोगही नियुक्त थे ! यह आगन्तुक राजाओंका अच्छा सम्मान हुआ ! मालूम नहीं रोहिणी के पिताके पास ऐसी कौन सी सत्ता थी जिससे वह कन्याका पणिप्रहण करने की इच्छासे आए हुए राजाओंको ऐसे शूद्र कर्मोंमें लगा सकता ! जान पड़ता है यह सब समालोचकजीकी कोरी कल्पना ही कल्पना है, वास्तविकतासे इसका कोई सम्बंध नहीं । ऐसे महात्सवके अवसर पर आगन्तुक जनोंके विनोदार्थ और मांगलिक कार्योंके सम्पादनार्थ गाने वजानेका काम प्रायः दूसरे लोगही किया करते हैं, जिनका वह पेशा होता है— स्वयंवररोत्सवकी रीति नीति, इस विषयमें, उनसे कोई मिल नहीं होती। इसके सिवाय, समालोचकजी एक स्थान पर लिखते हैं—

"रोहिणीने जिस समय स्वयंवरमण्डपहैं किसी राजाको नहीं बरा और धायसे बात चीत कर रहीथी उस समय मनो-हर बीखाका शब्द सुनाई पड़ा ।"

\*यथा:— 'स्वयंवर मण्डपमें सब राजाही लोग आया करते थे और जो इस योग्य हुआ करते थे उन्होंको स्वयंवर मण्डप में प्रवेश किया जाता था ।' "उन्होंने [बसुदेवने] स्वयंवर मण्डपमें प्रवेश किया और जहाँ ऐसे राजा बैठे हुए थे जोकि बादित्र-विद्याविशारद थे उन्होंमें जाकर बैठ गए ।"

इससे भी यह साफ़ ज़ाहिर होता है कि स्वयंवरमंडप में वसुदेव जी एक राजा की हैसियत से अथवा राजा के बेष्टमें उपस्थित नहीं थे और इसीसे 'रोहिणी'ने स्वयंवरमंडपमें किसी राजा को नहीं घरा' इन शब्दोंका प्रयोग होसका है। स्वयंवर-मंडपमें स्थित जब सब राजाओंका परिचय दिया जा चुका था और राहिणी ने उनमें से किसीको भी अपना वर पसंद नहीं किया था तभी वसुदेवजीने बीणा बजाकर रोहिणीकी चित्तवृत्ति को अपना आरआकर्षित किया था। अतः समालोचकजीकी इस कल्पना और आपत्तिमें कुछ भी दम मालूम नहीं होता।

दूसरी आपत्तिके विषयमें, यद्यपि, अब कुछ विशेष लिखने की जरूरत बाकी नहीं रहती, फिर भी यहाँ पर इतना प्रकट करदेना उचित मालूम होता है कि समालोचक जी ने उसमें लेखकका जो वाक्य दियाहै वह कुछ बदल कर रखा है उस में 'अशातकुल जाति' के बाद 'रुद्ध' शब्द अपनी ओरसे बढ़ाया है और उससे पहले 'एक आपरिचित' आदि शब्दोंको निकाल दिया है। इसी प्रकारका और भी कुछ उलटफर किया है जो ऊपर उद्धृत किये हुए उदाहरणांश परसे सहज ही में जाना जासकता है। मालूम नहीं इस उलटा पलटीसे समालोचकजी ने क्या नमीजा निकाला है। शायद इस प्रकारके प्रयत्न-द्वारा ही आंप लेखकके लिखनेको "सर्वथा शालविरुद्ध" सिद्ध करना चाहते हों। परन्तु ऐसे प्रयत्नोंसे क्या होसकता है? समालोचकजीने कहीं भी यह सिद्ध करके नहीं बतलाया कि वरमाला डालनेके बक्से वसुदेवजी एक आपरिचित और अशातकुल-जाति व्यक्ति नहीं थे। तिनसेनाचार्यने तो वरमाला डालनेके बाद भी आपको "कोऽपिगुमकुलः" विशेषणके द्वारा उल्लेखित किया है औरत दनुसार जिनदास ब्रह्मचारीने भा आपके लिये "कोपिगृह कुलः" विशेषणका प्रयोग किया है, जिससे जाहिर है कि उनका

कुल वहाँ किसीको मालूम नहीं था। वसुदेव जीके कुलीन या अकुलीन होनेका राजाओंमें विवाह भी उपस्थित हुआथा और उसका निर्णय उस वक्तसे पहले नहीं होसका। जब तक कि युद्धमें वसुदेवने समुद्रविजयको अपना परिचय नहीं दिया। इससे स्पष्ट है कि वरमाला डालनेके बक वसुदेवसे कोई परिचित नहीं था, न वहाँ उनके कुल जातिका किसीका कुछ हाल मालूम था; और वे एक वाजश्री (पाणविक) के वेषमें उपस्थित थे, यह बात ऊपर बतलाई ही जा चुकी है। उसी वाजश्री वेष में उनके गलेमें वरमाला डाली गई और वरमालाको डाल कर रोहिणी, सबौंको आश्वर्यमें डालते हुए, उन्हींके पास बैठ गई। ऐसी हालतमें लेखकका उक्त लिखना किधरसे सर्वथा शास्त्रविरुद्ध है इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं। हाँ, समालोचक जीने इतना झटक प्रकट किया है कि वसुदेवने बीणा बजाकर रोहिणीको यह संकेत कियाथा कि “तेरे मनको हरण करने वाला राजहस यहाँ बैठा हुआ है” इस संकेत मात्रका अर्थ ज्ञादासे ज्यादा इतना ही होसकता है कि रोहिणीके दिलमें यह खयाल पैदा होगया हो कि वह कोई राजा अथवा राजपत्र है। परन्तु राजा तो म्लेच्छ भी होते हैं, अकुलीन भी होते हैं, सगोत्र भी होते हैं, विजातीय भी होते हैं और असर्वर्ण भी होते हैं। जब इन सब बातोंके कोई निर्णय नहीं किया गया और वरमाला एक अपरिचित तथा अज्ञातकुल जाति व्यक्तिके ही गलेमें—चाहे वह राजलक्षणोंसे मंडित या अपने मुखमड़ल परसे अनुमानित होने वाला राजा ही क्यों न हो—डाल दी गई तबतो यही कहना चाहिये कि स्वयंवर में एक अकुलीन, सगोत्र, विजातीय अथवा असर्वर्णको भी बरा जा सकता है। फिर समालोचक जी की जिमदास ब्रह्मचारीके उक्त श्लोक पर आपत्तिकैसी? उसमें तो यही बतलाया

जब राजा अकम्पन द्वारा इस (स्वयंवर) विवाह का अनुष्ठान हुआ था तब भरत चक्रवर्तीने भी इसका बहुत कङ्गु अभिनन्दन किया था । साथ ही, उन्होंने ऐसे सनातन मार्गोंके पुनरुद्धार-कर्त्ताओं को सत्पुरुषों द्वारा पूज्य भी उद्धरोया था ॥”

उदाहरणके इस अंशपर सिर्फ तीन खास आपत्तियाँ की गई हैं जिनका सारांश इस प्रकार है :—

( १ ) एक वाजंत्रीके रूपमें उपस्थित होने पर वसुदेवको “रक तथा अकुलीन” क्यों लिखा गया । “क्या बाजे बजाने वाले सब अकुलीन ही होते हैं ? बड़े बड़े राजे और महाराजे तक भी बाजे बजाया करते हैं ।” ये रक तथा अकुलीनके शब्द अपनी तरफसे जांड़े गये हैं । वसुदेवजी अपने वेषको छिपाये हुए ज़रूर थे “किन्तु इस वेषके छिपानेसे उन पर कगाल या अकुलीनपना लागू नहीं होता ।”

( २ ) “यह बाबूजीका लिखना कि “शोहिणीने बड़े ही निःसंकोच भावसे वाजंत्री रूपके धारक आकात कुलजाति रक्ष्यकिके गलेमें माला डालदो” सर्वथा शाल विरुद्ध है ।”

( ३ ) “जा श्लोकका प्रमाण दिया वह वसुदेवजीने कोधमें कहा है किसी आचार्य ने आकारण नहीं कहा जो प्रमाण हो ॥”

इनमेंसे पहली आपत्तिकी बाबत तो सिर्फ इतना ही निषेद्धन है कि लेखक ने कहीं भी वसुदेवको रक तथा अकुलीन नहीं लिखा और न यही प्रतिपादन किया कि उनपर कंगाल या

× यथा:—तथा स्वयंवरस्यमे नाभवन्यद्यकम्पनाः ।

क प्रवर्त्तयितान्योऽस्य मार्गस्यैष सनातनः ॥४५॥

मार्गशिवरंतनान्येऽथ भोगभूमितिरोहितान् ।

कुर्वन्ति नूतनान्सन्तः सद्ग्री पूज्यास्त एव हि ॥५५॥

—आ० प०० पर्व ४५ ।

आकुलीनपना लाग् होता है। 'कंगाल' शब्दका तो प्रयोग भी उदाहरण भरमें कहीं नहीं है और इसलिये उसे समालोचकजीकी अपनी कर्तृत समझना चाहिये। लेखक ने जिसके लिये रंक तथा आकुलीन शब्दोंका प्रयोग किया है वह वसुदेवजीका तात्कालीन वेष था, नकि स्वयं वसुदेवजी, और यह बात ऊपरके उदाहरणांशसे स्पष्ट ज़ाहिर है। वेषकी बातको व्यक्तित्व में घटा लेना कोरी भूल है। यह ठीक है कि कभी कभी कोई राजा महाराजा भी अपने दिल बहलावके लिये बाजा बजा लेते हैं परन्तु उनका वह विनोदकर्म प्रायः एकान्तमें होता है—सर्व साधारण सभा-सांसाइटियों अथवा महोत्सवोंके अवसर पर नहीं और उससे वे 'पाण्डिक'—बाजियाँ—नहीं कहलाते। वसुदेवजी, अपना वेष बदल कर 'पण्व' नामका वादित्र हाथमें लिये हुए, साफ़, तौर पर एक पाण्डिकके रूपमें वहाँ (स्वयं वर मंडपमें) उपस्थित थे—राजाके रूपमें नहीं। और पाण्डिकों को—बाजियोंकी-श्रेणियें भी अन्तमें बैठे हुए थे, जैसाकि जिनसेनके निम्न चाक्यमें प्रकट है:—

\*वसुदेवोऽपि तत्रैव भ्रात्रलक्ष्मितवेषभृत् ।

\*इसी पद्धको जिनदास ब्रह्मचारीने निम्नप्रकरसे बदल कर रखा है:—

भ्रात्रलक्ष्मितवेषोपि तत्रैव यदुनन्दनः ।

गृहीतपण्वस्तस्थी मध्ये सर्वकलाविदां ॥

यहाँ 'सर्वकलाविदां' पद वादित्र-विद्याकी सर्वकलाओंके जानने वाले पाण्डिकोंके लिये प्रयुक्त हुआ है। जिनदासने वसुदेवको उन पाण्डिकों-बाजियोंके अन्तमें न बिडलाकर मध्यमें बिडलाया है, यही भेद है और वह कुछ उचित मालूम 'नहीं' होता। उस वक्तकी स्थितिको देखते हुए एक अपरिचित और अनिम-

जायगी। दस्सोंसे विवाह करना आत्मपत्नका अथवा आत्मो-  
न्मतिमें बाधा पहुँचानेका कोई कारण नहीं हो सकता। दस्सों  
में अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित और धर्मांत्माजन मौजूद हैं—वे बीसोंसे  
किसी बातमें भी कम नहींहैं—उन्हें हीन हण्डिसे देखना अथवा  
उनके प्रति असन्नाध रखना अपनी हृद्रुता प्रकट करनाहै। अस्तु।

यह तो हुई तृतीय अशके आत्मपौकी बात, अब उदाहरण  
का शेष चौथा अश —‘रोहिणीका स्वयंवर’ भी लीजिये।

—४५७—

## स्वयंवर-विवाह।

उदाहरणका यह चौथा अंश इस प्रकार लिखा गयाथा:—

“रोहिणी आरिष्टपुर के राजा को लड़की और एक सुप्रति-  
ष्ठित घराने की कन्या थी। इसके विवाहका स्वयंवर रचाया  
गया था, जिसमें जरासन्धादिक बड़े बड़े प्रतापी राजा दूर  
दैशान्तरों से एकत्र हुए थे। स्वयंवरभगडप में वसुदेवजी,  
किसी कारण विशेष से अपना वेष वदल कर ‘पण्व’ नाम का  
घादित्र हाथ में लिये हुए एक ऐसे रङ्ग तथा अकुलीन बाजन्त्री  
(बाजा बजाने वाला) के रूप में उपस्थित थे कि जिससे किसी  
को उस वक्त वहाँ उनके वास्तविक कुल, जाति आदि का कुछ  
भी पता मालूम नहींथा। राहिणी ने सभ्यूर्ण उपस्थित राजाओं  
तथा राजकुमारों को प्रत्यक्ष देखकर और उनके वंश तथा  
गुणादिका परिचय पाकर भी जब उनमें से किसीको भी अपने  
याभ्य वर पसद नहीं किया तब उसने, सब लोगोंको आश्वर्य  
में डालते हुए, बड़े ही निःसकोच भावसे उक्त बाजन्त्री रूप  
के धारक एक अपरिचित और आहान कुल-जाति नामा-  
व्यक्ति ( वसुदेव ) के गले में ही अपनी वरमाला डाल दी।

रोहिणी के इस कृत्य पर कुछ ईर्षालू, मानी और मदान्ध राजा, अपना अपमान समझकर, कुपित हुए और रोहिणीके पिता तथा वसुदेव से लड़ने के लिये तैयार हो गये । उस समय विवाहनीति का उज्ज्बलन करने के लिये उद्यमी हुए उन कुपितानन राजाओंको सम्बोधन करके, वसुदेवजीने बड़ी तंजस्विता के साथ भी वाक्य कहे थे उनमेंसे स्वयंवर-विवाहके नियमसूचक कुछ वाक्य इस प्रकार हैं :—

कन्या बृणीते रुचितं स्वयंवरगता वरं ।

कुलीनमकुलीनं वा क्रमो नास्ति स्वयंवरे ॥

—सर्ग १२, श्लाक ७१ ।

अर्थात्—स्वयंवरको प्राप्त हुई कन्या उस वरको वरण(स्वीकार) करती है जो उसे पसन्द हाता है, चाहे वह वर कुलीन हो या अकुलीन । क्योंकि स्वयंवरमें इस प्रकारका—वरके कुलीन या अकुलीन होनेका—कोई नियम नहीं होता । ये वाक्य सकलकोर्त्ति आचार्यके शिष्य श्रीजिनदास ब्रह्मचारीने अपने हरिवशपुराणमें उद्धृत किये हैं और श्रीजिनसेनाचार्य-कृत हरिवशपुराणमें भी प्रायः इसी आशयके वाक्य पाये जाते हैं । वसुदेवजी के इन वचनों से उनकी उदार परिण्यति और नीति-ज्ञानका अच्छा परिचय मिलता है, और साथ ही स्वयंवर-विवाह की नीतिका भी बहुत कुछ अनुभव हो जाता है । वह स्वयंवर-विवाह, जिसमें वरके कुलीन या अकुलीन होने का कोई नियम नहीं हाता, वह विवाह है जिसे आदिपुराणमें ‘सनातनमार्ग’ लिखा है और सम्पूर्ण विवाह विधानों में सबसे अधिक श्रेष्ठ (वरिष्ठ) विधान प्रकट किया है ॥ युगकी आदिमें सबसे एहले

\*यथा —सनातनोऽस्ति मार्गोऽयं श्रुतिस्मृतियु भाषितः

विवाहविधिमेदेषु वरिष्ठां हि स्वयंवरः ॥४४ ३२॥

इससे भी यह साफ़ ज़ाहिर है कि स्वयंवरमंडप में वसुदेव जी एक राजा की हैसियत से अथवा राजा के वेषमें उपस्थित नहींथे और इसीसे 'राहिणोंने स्वयंवरमंडपमें किसी राजा का नहीं बरा' इन शब्दोंका प्रयोग हो सका है। स्वयंवर-मंडपमें स्थित जब सब राजाओंका परिचय दिया जा चुका था और राहिणोंने उनमें से किसीको भी अपना बर पत्तंद नहीं किया था तभी वसुदेवजीने बीणा बजाकर राहिणीकी चितवृत्ति को आपनो आर आकर्षित किया था । अतः समालोचकजाकी इस कल्पना और आपत्तिमें कुछ भी दम मालूम नहीं होता ।

दूसरी आपत्तिके विषयमें, यद्यपि, अब कुछ विशेष लिखने की जरूरत बाकी नहीं रहती, फिर भी यहाँ पर इतना प्रकट करदेना उचित मालूम होता है कि समालोचक जी ने उसमें लेखकका जो वाक्य दिया है वह कुछ बदल कर रखता है उस में 'अशातकुल जाति' के बाद 'रङ्ग' शब्द अपनी ओरसे बढ़ाया है और उससे पहले 'एक अपरिचित' आदि शब्दोंको निकाल दिया है । इसी प्रकारका और भी कुछ उलटफेर किया है जो ऊपर उद्घृत किये हुए उदाहरणांश परसे सहज ही में जाना जासकता है । मालूम नहीं इस उलटा पत्तीसे समालोचकजी ने क्या नहीं जिकाला है । शायद इस प्रकारके प्रयत्न-द्वारा ही आप लेखकके लिखनेको "सर्वथा शास्त्रविहृद्" सिद्ध करना चाहते हों ! परन्तु ऐसे प्रयत्नोंसे क्या हो सकता है ? समालोचकजीने कहीं भी यह सिद्ध करके नहीं बतलाया कि वरमाला डालनेके बक्त वसुदेवजी एक अपरिचित और अशातकुल-जाति दृष्टि नहीं थे । जिनसेनाचार्यने तो वरमाला डालनेके बाद भी आपको "कोऽपिग्युमकुलः" विशेषणके द्वारा उल्लेखित किया है औरत दनुसार जिनहास ब्रह्मचारीने भी आपके लिये "कोपिगृहू कुलः" विशेषणका प्रयोग किया है, जिससे ज़ाहिर है कि उनका

कुल वहाँ किसीको मालूम नहीं था । वसुदेव जीके कुलीन या अकुलीन होनेका राजाओंमें विवाद भी उपस्थित हुआथा और उसका निर्णय उस बक्से पहले नहीं होसका जब तक कि घुँड़पै वसुदेवने समुद्रविजयका अपना परिचय नहीं दिया । इससे स्पष्ट है कि वरमाला डालनेके बक वसुदेवसे कोई परिचित नहीं था, न वहाँ उनके कुल जातिका किसीको कुछ हाल मालूम था; और वे एक बाजनी (पाणविक) के बेष्टमें उपस्थित थे, यह बात छपर बतलाई ही जा चुकी है । उसी बाजनीवेष में उनके गलेमें वरमाला डाली गई और वरमालाको डाल कर रोहिणी, सबोंको आश्वर्यमें डालते हुए, उन्हींके पास बैठन्हाई । ऐसी हालतमें सेषकका उक्त लिखना किधरसे सर्वथा शास्त्रविरुद्ध है इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं । हाँ, समालोचक जीने इतना ज़कर प्रकट किया है कि वसुदेवने बीणा बजाकर रोहिणीको यह संकेत कियाथा कि “तेरे मनको हरण करने वाला राजहंस यहाँ बैठा हुआ है” इस संकेत मात्रका अर्थ ज्यादासे ज्यादा इतना ही होसकता है कि रोहिणीके दिलमें यह ख्याल पैदा होगया हो कि वह कोई राजा अथवा राजपत्र है । परन्तु राजा तो म्लेच्छ भी होते हैं, अकुलीन भी होते हैं, सगोन्न भी होते हैं, विजातीय भी होते हैं और असर्वर्ण भी होते हैं । जब इन सब बातोंक, कोई निर्णय नहीं किया गया और वरमाला एक अपरिचित तथा अज्ञातकुल जाति व्यक्तिके ही गलेमें—चाहे वह राजलक्षणोंसे मढ़ित या अपने मुखमढ़ल परसे अनुमानित होने वाला राजा ही क्यों न हो—डाल दी गई तबतो यही कहना चाहिये कि स्वयंवर में एक अकुलीन, सगोन्न, विजातीय अथवा असर्वर्णको भी बरा जो सकता है । फिर समालोचक जी की जिनदास ब्रह्मचारीके उक्त श्लोक पर आपत्तिकैसी ? उसमें तो यही बतलाया

तस्यौ पाणविकांतस्यो गृहीतपणवो गृहीः (१) ॥

उनके इस वेषके कारण ही बहुतसे राजा उन्हें 'पाणविक वर' कहने के लिये समर्थ होसके थे और यह कहसके थे कि 'कन्याने बड़ा अन्याय किया जो एक वाजन्त्रीको वर बनाया' । यथा:—

मात्सर्योपिताश्चान्ये जगुः पाणविकं वरं ।

कुर्वत्या पश्यतात्यन्तमन्यायः कन्यया कृतः ॥४८॥

वाजन्त्रीके रूपमें उपस्थित होने की बजासे ही उन ईर्षालु राजाओंको यह कहनेका भी मौका मिला कि यह अकुलीन है, कोई नीच वंशी (कोणि नीचान्वयोद्भवः)है, अन्यथा यह अपना कुल प्रकट करे; क्योंकि उस समय बाजा बजानेका काम या पशा करने वाले शूद्र तथा अकुलीन समझे जाते थे । ऐसी हालतमें बसुदेवके उक्त वेषको रंक तथा अकुलीन कहना कुछ भी अनचित नहीं जान पड़ता । समालोचकजी स्वयं इस बातको स्वीकार करते हैं कि प्रतिस्पर्धी राजाओंने बसुदेवको रंक तथा अकुलीन कहा था\*। और उनके इस कथनका जैन शास्त्रोंमें उल्लेख भी मानते हैं, फिर उनका यह कहना कहाँ तक ठीक हो सकता है कि लेखकने इन शब्दोंको अपनी तरफसे जोड़ दिया, इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं । साथ ही, इस बातका भी अनुभव कर सकते हैं कि समालोचकजीने जो यह कल्पना की है कि स्वयंवर-मंडपमें राजाओंके सिवाय कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता था और इसलिये बाजा बाजाने वाले भी वहाँ राजा

त्रित व्यक्तिके रूपमें बसुदेवका पाणविकोंके अन्तमें—पीछेकी ओर—बैठ जाना या जड़े रहना ही उचित जान पड़ता है ।

\*यथा:—“इक्क और अकुलीन तो केवल प्रतिस्पर्धी राजाओं ने स्पर्धावश बतौर अपशब्दोंके कहा है” ।

ही होते थे, बसुदेवजी उन्होंने बाजा लजाने वाले राजाओंमें जाकर बैठ गये थे\* वह कितनी विलक्षण तथा निःसार मालूम होती है। आपने राजाओंको अच्छा 'पाणविक' बनाया और उन्हें खूब बाजंबीका काम दिया ! और एक बाजत्री ही का काम क्या, जब स्वयंवरमें राजाओं तथा राजकुमारों के सिवाय दूसरेका प्रबेश ही नहीं होता था तबतो यह कहना चाहिये कि पानी पिलाने, जूटे बर्तन उठाने और पक्का भोलने आदि दूसरे सेवा चाकरीके कामोंमें भी वहाँ राजा लोगही, नियुक्त थे ! यह आगन्तुक राजाओंका अच्छा सम्मान हुआ ! मालूम नहीं रोहिणी के पिनाके पास ऐसी कौन सी सत्ता थी जिससे वह कन्याका पणिप्रहण करने की इच्छासे आए हुए राजाओंको ऐसे शूद्र कर्मोंमें लगा सकता ! जान पड़ता है यह सब समालोचकजीकी कोरी कल्पनाही कल्पना है, बास्तविकतासे इसका कोई सम्बन्ध नहीं । ऐसे महोत्सवके अवसर पर आगन्तुक जनोंके विनोदार्थ और मांगलिक कार्योंके सम्पादनार्थ गाने बजानेका काम प्रायः दूसरे लोगही किया करते हैं, जिनका वह पेशा होता है— स्वयंवरोत्सवकी रीति नीति, इस विषयमें, उनसे कोई भिज्ञ नहीं होती। इसके सिवाय, सभालोचकजी एक स्थान पर लिखते हैं,—

"रोहिणीने जिस समय स्वयंवरमण्डपहै किसी राजाको नहीं बरा और धायसे बात चीत कर रहीर्थी उस समय मना-हर बीणका शब्द सुनाई पड़ा ॥"

\*यथा:— 'स्वयंवर मण्डपमें सब राजाही लोग आया करते थे और जो इस योग्य हुआ करते थे उन्हींको स्वयंवर मण्डप में प्रबेश किया जाता था ।' "उन्होंने [बसुदेवने] स्वयंवर मण्डपमें प्रबेश किया और जहाँ ऐसे राजा बैठे हुए थे जोकि बादिन-विद्याविशारद थे उन्होंमें जाकर बैठ गए ।"

ऐसा कोई प्रमाण नहीं विस्तार जिससे यह मालूम होता हो कि पहले एक नगर-प्रामके निवासी आपसमें विवाह सम्बन्ध नहीं किया करते थे । और यदि कहीं ऐसा होता भी हो तो आजकल जब वह प्रथा नहीं रही और एक ही नगर प्रामके निवासी खड़ेलबाल परस्परमें विवाह सम्बन्ध कर सकते हैं तब उनके लिये एक ही नगर-प्रामक निवासियों से बने हुए अपने एक गांवमें विवाह सम्बन्ध करसके पर, लिङ्गान्तकां इच्छितसे कौन बाधा आती है अथवा उसका न करना कहाँ तक युक्तियुक्त हो सकता है, इसका विचार पाठक तत्त्व स्थयं करसकते हैं ।

(३) 'जैनसप्रदाय शिक्षा \*' में यति श्रीपालचंद्रजीने आंसवाल वशको उत्पत्तिका जो इतिहास दियाहै उससे मालूम होता है कि रत्नप्रभसूरि ने, 'महाजन वश' की स्थापना करते हुए, 'तातहड़' आदि अठारह गोत्र और 'सुघड़' आदि बहुतसे नये गोत्र स्थापित किया थे । और उनके पांछे विं सं० सालहसौ तक बहुतसे जैनाचार्योंने राजपूत, महेश्वरी, वैश्य, और ब्राह्मण जाति वालों को प्रतिबोध देकर—उन्हें जैनी बना कर—महाजन वंशका विस्तार किया और उन लोगोंमें अनेक नये गोत्रोंकी स्थापना की । इन सब गोत्रोंका यतिजी ने जो इतिहास दिया है और जिसे प्रामाण्यक तथा अस्यंत खोजके बाद लिखा हुआ इतिहास प्रकट किया है उसमें से कुछु गोत्रों के इतिहासका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

१ कुकुड़बोपड़ा आदि गोत्र—जिनवज्ञभसूरि (विं सं० ११५२) ने मण्डोरके राजा 'नानुदे' एडिहारके पुत्र धवलचंद्र के गलितकुष्ठको कुकड़ी गायके घोको मंत्रित करके तीन दिन चुपड़वाने द्वारा नीरोग किया । इससे राजाने कुटुम्ब-सहित

\*यह पुस्तक विं सं० १९६७में बम्बर्से प्रकाशित हुई है।

जैन धर्म अवलोकित किया और सूरिजीने उसका महाजन बंश तथा 'कुकुडबोपडा' गोत्र स्थापित किया। मंची ने भी धर्म अवलोकित किया और उसका गोत्र 'गणधर चापडा' नियत किया गया। कुकुडबोपडा गांवका बादका चार शाखाएँ हुईं जिनमेंसे एक 'कोठारी' शाखा भी है जो इस बशके एक 'ठाकरसी' नामक व्यक्ति से प्रारंभ हुई। ठाकरसीका राज चुड़ेने आया। कोठार विषत किया था तभी से ठाकरसीकी संतानवाले 'कोठारी' कहलाने लगे।

२ घाड़ीबाल गोत्र—डीडो नामक एक खीची राजपूत घाड़ा मारता था। उसको वि० स० ११५५ में जिनवज्ञम सूरिने प्रतिबोध देकर उसका महाजन बश और 'घाड़ीबाल' गोत्र स्थापित किया।

३ लालाणी आदि गोत्र—लालसिंहको जिन वज्ञम सूरिने प्रतिबोध देकर उसका 'लालाणी' गोत्र स्थापित किया और उसके पाँच बेटोंसे फिर बांडिया, जोरावर, विरमेचा, हरखावत, और मङ्गावत गोत्र चले। इसी तरह एक 'काला' व्यक्ति की ओलाइवाले 'काला' गोत्री कहलाये।

४ पारख गोत्र—पासूजीने एक हीरेको परख की थी उसी दिनसे राजा द्वारा 'पारख' कहे जानेके कारण उनकी संतान के लोग पारख गोत्री कहे जाने लगे।

५ लूणावत आदि गोत्र—'लूणे' के बंशज 'लूणावत' गोत्री हुए परन्तु बादको उसके किसी बंशजके युद्धसे न हटने पर उसकी सततिका गात्र 'नाहटा' होगया। और एक दूसरे बंशजको किसी नवजाव ने 'रायजादा' कहा। इससे उसका गोत्र 'रायजादा' प्रसिद्ध हुआ।

६ रतनपुरा और कटारिया गोत्र—चौहान राजपूत रतन-सिंहको, जिसने रतनपुर बसाया था जिनदृष्टि सूरिने जैनी

बनाकर उसका 'रत्नपुरा' गोत्र स्थापित किया । इसके बंशमें भांभणसिंह नामका व्यक्ति अपने पेटमें कटार मारकर मरणया था । इससे उसकी संतति का गोत्र 'कटारिया' प्रसिद्ध हुआ ।

उर्मिका तथा सेठिया गोत्र—'काकू' नामका एक व्यक्ति बहुत दुर्बल शरीरका था इससे लोग उसे 'राँका' पुकारते रहे । उसे नगरसेठका पद मिला और इसलिये उसकी संतान का गोत्र 'राँका' तथा 'सेठिया' प्रसिद्ध हुआ ।

गोत्रोंकी ऐसी कृत्रिम, विचित्र और जापिक स्थितिके होते हुए पूर्व पूर्व गोत्रोंकी हाईसे सगोत्र विवाहोंका होना बहुत कुछ स्वाभाविक है । इसके लिये, प्रायः सभी जैनजातियोंमें गाद सेने आथवा दत्तकपुत्र प्रहण करनेका रिधाज है, और दत्तकपुत्र अपने गोत्रसे भिन्न गोत्रका भी लिया जाता है । साथ ही, यह माना जाता है कि उसका गोत्र दत्तक सेनेवालोंके गोत्रमें परिणत हो जाता है—उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती—इसी से विवाहके अवसर पर उसके गोत्रका प्रायः कोई खयाल नहीं किया जाता और यदि कहीं कुछ खयाल किया भी जाता है तो वह प्रायः उस दत्तकपुत्रके विवाह तक ही परिमित रहता है—उसके विवाहमें ही उसका पूर्व गोत्र बचा लिया जाता है—आगे होने वाली उसकी उत्तरोत्तर संततिमें फिर उसका कोई खयाल नहीं रखा जाता और न रखा जा सकता है ; क्योंकि एक एक बंशमें न मालूम किनने दत्तक दूसरे बंशों तथा गोत्रों के लिये जा चुके हैं उन सबका किसीको कहाँ तक स्मरण तथा खयाल हो सकता है । यदि उन सब पर खयाल किया जाय—विवाहों के अवसर पर उन्हें टाला जाय—तो परस्परमें विवाहोंका होना ही प्रायः असंभव हो जाय । इसी तरह पर लियोंके गोत्र भी उनके विवाहित होने पर बदल जाते हैं और उनकी प्रायः कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती । यदि उनकी स्वतंत्र सत्ता

मानी जाय तब तो एक कुलमें कितने ही गोत्रोंका संमिलण हो जाता है और उन सबको चचात हुए विवाह करना औरभी ज्यादा असंभव ठहरता है। साथ ही, यह कहना पड़ता है कि भिन्न भिन्न गोत्रके खी-पुरुषोंके सम्बन्धसे संकर गोत्री संतान उत्पन्न होती है और उस संकरताकी उत्तरोत्तर वृद्धि होते रहने से किसी भी गोत्रका अपनी शुद्ध स्थितिमें उपलब्ध होना प्रायः असंभव है। गोत्रोंकी इस कृतिमता और परिवर्तनशीलताकी कितनी ही सूचना भगवज्ञनसेनाचार्यके निम्न वाक्यसे भा मिलती है और उससे यह भाव मालूम होता है कि जैनधर्ममें दीक्षित हाने पर—जैनोपासक आथवाशाषक बनते हुए—आजैनों के गोत्र और जाति आदिके नाम प्रायः बदल जाते थे—उनके स्थानमें दूसरे समयोचित नाम रखने जाते थे। यथा:—

जैनोपासकदीक्षा स्यात्समयः समयोचितम् ।

दधतो मोत्रजात्यादिनामान्तरमतः परम् ॥ ५६ ॥

—आदिपुराण, ३६ चाँ पर्षि ।

ऐसी हालतमें गोत्रोंकी क्या असलियत है—उनकी स्थिति कितनी परिकलिपत और परिवर्तनशाल है—और उन्हें विवाह-शादियोंके अवसर पर कितना महत्व दिया जाना चाहिये, इसका पाठक स्वयं अनुभव कर सकते हैं। साथ ही, ऊपर के सपूर्ण कथनसे यह भी मालूम कर सकते हैं कि पहले जमानेमें गोत्रोंको इतना महत्व नहीं दिया जाता था जितना कि वह आज दिया जाता है।

यहाँ पर में इतना और बतला देना चाहता हूँ कि ओजिन-सेनाचार्यके हरिवशपुराणसे जहाँ यह पाया जाता है कि देवकी और बसुदेव दोनों यदुवशों थे, एक कुटुम्बके थे, दोनोंमें चचा भतीजीका सम्बन्ध था और इसलिये उनका पारस्परिक विवाह

संगोत्र विवाहका एक बहुत बड़ा प्रमाण है, यहाँ यह भी मालूम होता है कि हरिवंशी राजा 'वसु'के एक पुत्र 'बृद्धद्वज्ज्ञ' की सततिमें यदुवंशी राजा 'उद्ग्रसेन' हुआ, दूसरे पुत्र 'सुवसु' की सततिमें जरासंध हुआ और जरासंधकी बहन पश्चात्ती उद्ग्रसेनसे व्याही गई । जिजसे जाहिर है कि राजा वसुके एक बंश और एक गोत्रमें होने वाले दो व्यक्तियोंका परस्पर विवाह सम्बन्ध हुआ । और इससे यह जाना जाता है कि उस समय एक गोत्रमें विवाह होनेका रिवाज था । साथ ही, उक पुराणसे इस बातका भी पता चलता है कि पहले सर्वे भाई बहनोंकी औलादमें जो परस्पर विवाह सम्बन्ध हुआ करता था उसका एक कारण अर्थवा उद्देश्य 'गोत्रप्रीति' भी होता था । यथा:—

नीलस्तस्य सुतः कन्या मान्या नीलांजनाभिधा ।

कुमारकन्ययोर्वृत्ता संकथा च तयोरिति ॥ ४ ॥

पुत्रो मे ते यदा कन्या भविता भविता तयोः ।

अविवादे विवाहोऽत्र गोत्रप्रीत्यै परस्परम् ॥ ५ ॥

—२३ वाँ सर्ग ।

इन पद्धोंमें नील और नीलांजना नामके दो सर्वे भाईबहनों के इस ठहरावका उल्लेख किया गया है कि 'यदि मेरे पुत्र और तुम्हारे पुत्रोंहोंगी तो गोत्रमें प्रीतिकी वृद्धिके लिये उन दोनों का निर्विवाद रूपसे परस्परमें विवाह करवेना होगा'

परन्तु आजकल गोत्र-प्रीतिकी बात तो दूर रही, एक गोत्र में विवाह करना 'गोत्र-बात' अर्थवा 'गोत्रघाव' समझा जाता है । जैनियोंकी कितनों ही जातियोंमें तो, विवाहके अवसर पर, पिताके गोत्रके अतिरिक्त माता, माताके मामा, और पिताके मामा आदि तकके गांडोंको भी टालूने की

फिकर कीजाती है—कहीं चार चार और कहीं आठआठ गोत्र बचाये जाते हैं—और इस तरह पर मामा फूफीकी कन्याओं से विवाह करनेके प्राचीन प्रशस्त विधानसे इनकार ही नहीं किया जाता बल्कि उनके गोत्रों तकमें विवाह करनेको अनुचित ठहराया जाताहै। मालूम नहीं इस सब कल्पनाका क्या आधार है—बह किस सिद्धान्त पर अवलम्बित है—और इन गोत्रोंके बचानेसे उस सिद्धान्तकी वस्तुता कोई रक्षा होजाती है या कि नहीं। शायद सगोत्र विवाहको अच्छा तरहसे टालनेके लिये ही यह सब कुछ किया जाता हो परन्तु गोत्रोंकी वर्तमान स्थितिमें, वास्तविक हथिसे, सगोत्र विवाहका टालना कहाँ तक बन सकता है, इसे पाठक ऊपरके कथनसे भले प्रकार समझ सकते हैं। हो सकता है कि इस कल्पनाके मूलमें कोई प्रौढ़ सिद्धान्त न हो और वह पीछेसे कुछ कारणोंको पाकर निरी कल्पना ही कल्पना बन गई हो। परन्तु कुछ भी हो, इसमें सदेह नहीं कि यह कल्पना प्राचीन कालके विचारों और उस वक्तके विवाह सम्बंधी रीति-रिवाजोंसे बहुत कुछ विलक्षणतया विभिन्न है—उसमें निराधार खोचातानीकी बहुलता पाई जाती है—और उसके द्वारा विवाहका क्षेत्र अधिक संकीर्ण होगया है। समझ में नहीं आता जब बहुत प्राचीन कालसे गोत्रोंमें बराबर अलटा पलटी हाती आई है, अनेक प्रकारसे नवीन गोत्रोंकी सृष्टि होती रही है, एक पुत्र भी पिताके गोत्रको छोड़कर अपनेमें नये गोत्रकी कल्पना कर सकता था और इस तरह पर अपने अधिका अपनी सततिके विवाह क्षेत्रको विस्तीर्ण बना सकता था, तब वे सब थाते आज क्यों नहीं होसकतीं—उनके होनेमें कौनसा सिद्धान्त वाधक है। गोत्र परिपादीको कायम रखते हुए भी, प्राचीन पूर्वजोंके अनुकरण द्वारा विवाह क्षेत्रको बहुत कुछ विस्तीर्ण बनाया जासकता है। अतः समाजके शुभचितक

सहृदय विद्वानों को इस विषय पर गहरा विचार करके गोत्रों की वर्तमान समस्याको इल करना चाहिये और समाजको उसकी उचितिक साधक कोई योग्य तथा उचित मार्ग सुझाना चाहिये । हम भी इस विषय पर अधिक मनन करके अपने विशेष विचारोंको फिर कभी प्रकट करनेका यत्न करेंगे ।

## असर्वण और अन्तर्जातीय विवाह ।

'वण' के चार भेद हैं—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र । ये वर्ण इसी क्रमको लिये हुए हैं, और इनकी सत्ता यहाँ युगकी आदिसे चली आती है । इन्हें 'जाति' भी कहते हैं । यद्यपि जाति नामा नामकर्मके उदयसे मनुष्य जाति एक ही है और उस मनुष्य जातिकी दधिसे सब मनुष्य समान है—मनुष्योंके शरीरोंमें ब्राह्मणादि वर्णोंकी अपेक्षा आकृति आदिका कोई खास भेद नहीं नें से और शूद्रादिकोंके द्वारा ब्राह्मणी आदिमें गर्भकी प्रवृत्ति भी हो सकने से उनमें जातिकृत कोई ऐसा भेद नहीं है जैसा कि गौ और अश्वादिक में पाया जाता है\*—फिर भी घुत्ति अथवा आजीविकाके भेद से मनुष्य जातिके उक्त चार भेद माने गये हैं । जैसा कि भगवज्जिनसेनके निम्न वाक्यसे सूचित होता है :—

मनुष्यजातिरेकैव जातिकर्मदियोद्धवा ।

\*यथा:—वर्णकृत्यादिभेदानां देहेऽस्मिन्न च दर्शनात् ।

ब्रह्मणस्यादिषु शूद्राद्यैर्गर्भाधानप्रवर्त्तनात् ॥४४॥

नास्ति जातिकृतां भेदो मनुष्याणां गवाश्ववत् ।

आकृतिप्रवृत्तात्तद्मादन्यथा परिकल्पते ॥४५॥

—उत्तरपुराण, ७४ वाँ पर्व ।

**वृत्तिभेदाहि तद्देदाच्चातुर्विध्यमिहाशनुते ॥ ४५ ॥**

आदिपुगल, पर्व, इन वाँ ।

इन चार प्रधान आतियों अथवा वर्णोंमें से ही अप्रवाल, खंडेलवाल, आदि नवीन जातियों की सृष्टि हुई है और इसीसे उन्हें उपजातियां कहते हैं । उनमें भी वृत्तिका उपित्से वर्णमेंद पाया जाता है । अस्तु ।

इन वर्णोंमें से प्रत्येक वर्णका व्यक्ति जब अपने ही वर्णकी रूपीसे विवाह करता है तो उसे 'सर्वण विवाह' और जब अपने से मिन्न वर्णके साथ विवाह करता है तो उसे 'असर्वण विवाह' कहते हैं । असर्वण विवाहके 'अनुलोम' और 'प्रतिलोम' ऐसे दो भेद हैं । अपने से नीचे वर्ण वालोंकी कन्याओंसे विवाह करना 'अनुलोम विवाह' और अपने से ऊपरके वर्ण वालोंकी कन्याओं से विवाह करना 'प्रतिलोम विवाह' कहलाता है । यद्यपि, इन दोनों प्रकारके असर्वण विवाहोंमें अनुलोम विवाह अधिक मान्य किया गया है परन्तु फिर भी सर्वण विवाह के साथ भारतवर्षमें होना ही प्रकारके असर्वण विवाहोंका प्रचार रहा है और उनके विधि-विधानों अथवा उदाहरणोंसे जैन तथा जैनेतर हिन्दू साहित्य भरा हुआ है ।

भगवज्जिज्ञसेनाचार्य, आदि पुराणमें, अनुलोम रूपसे असर्वण विवाहका विधान करते हुए, स्पष्ट लिखते हैं :—

**शूद्राशूद्रेण वोढव्या नान्या स्वां तां च नैगमः ।**

**वहेत्स्वां ते च राजन्यः स्वां द्विजन्मा व्यवचित्ताः ॥**

**अर्थात्—** शूद्रका शूद्राशूद्रोके सिवाय और किसी वर्णकी रूपी के साथ विवाह न होना चाहिये, वैश्य अपने वर्णकी और शूद्र-वर्णकी रूपीसे भी विवाह कर सकता है, छविय अपने वर्गकी और वैश्य तथा शूद्रवर्णकी लियाँ व्याह सकता है और ब्राह्मण

अपने वर्ण की तथा शेष तीन वर्णोंकी लिंगोंका भी पाणिप्रहण कर सकता है।

श्री सोमदेव सूरि भी, नीति वाक्यामृतमें, ऐसा ही विधान करते हैं। यथा :—

“आनुलोम्येन चतुस्त्रद्विवर्णकन्याभाजना ब्राह्मण-क्षत्रिय-विशः ।”

अर्थात्—आनुलोम विवाहकी रीति से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य क्रमशः खार, तीन और दो वर्णोंकी कन्याओं से विवाह करने के अधिकारी हैं।

इन दोनों उल्लेखों से स्पष्ट है कि जैन शास्त्रोंमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यके लिये असर्वण विवाह ही नहीं किन्तु शूद्रा तक से विवाह कर लेना भी उचित ठहराया है। हिन्दुओंकी मनु-स्मृतिमें भी प्रायः ऐसा ही विधान पाया जाता है। यथा :—

शूद्रैव भार्या शूद्रस्यसा च स्वा च विशः स्मृते ।

ते च स्वा चैव राङ्गश ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः ॥

—अ० ३, इलो० १३ वाँ ।

यह श्लोक आदि पुराणके उक्त श्लोक से बहुत कुछ मिलता जुलता है और इसमें प्रत्येक वर्णके मनुष्योंके लिये भार्याओं (विवाहित लिंगों) का जो विधान किया गया है वह वही है जो आदि पुराण के उक्त श्लोक में पाया जाता है। अर्थात्, शूद्रकी शूद्रा; वैश्यकी वैश्या और शूद्रा; क्षत्रियकी क्षत्रिया, वैश्या और शूद्रा; और ब्राह्मण की ब्राह्मणी, क्षत्रिय, वैश्या और शूद्रा, ऐसे अनुलोम क्रमसे भार्याएँ मानी गई हैं।

मनुस्मृतिके ह वें अध्याय में दो श्लोक निम्न प्रकारसे भी पाये जाते हैं :—

अक्षमाला वसिष्ठेन संयुक्ताभ्यमयोनिजा ।  
 शारद्वी मन्दपालेन जगामाभ्यर्हणीयताम् ॥२३॥  
 एताश्चान्याश्च लोकेऽस्मिन्नपकृष्टप्रसूतयः ।  
 उत्कर्षं योषितः प्राप्ताः स्वैस्वर्मर्तृगुणैः शुभैः ॥२४॥

इन लोकोंमें यह बनलाया गया है कि—“अधम योनिसे उत्पन्न हुई—निरुप्त (अद्वृत) जातिकी—अक्षमाला नामकी लड़ी वसिष्ठ ऋषि से और शारद्वी नामकी लड़ी मन्दपाल ऋषिके साथ विवाहित होने पर पूज्यता का प्राप्त हुई । इनके सिवाय और भी दूसरी कितनी ही हीन जातियोंकी (खायाँ उच्च जातियोंके पुरुषोंके साथ विवाहित होने पर—अपने अपने भतार के शुभ गुणोंके द्वारा इस लोकमें उत्कर्ष का प्राप्त हुई है । और उन दूसरी लियोंके उदाहरणमें टीकाकार कुललूक भट्टजीने, ‘अन्याश्च सत्यवत्यादयो’ इत्यादि रूपसे ‘सत्यवती’ के नामका उल्लेख किया है । यह ‘सत्यवती,’ हिन्दू शास्त्रोंके अनुसार, एक धीवर की—कैवर्त्य अथवा अन्त्यजकी—कल्या थी । इसकी कुमारा-शस्या में पराशर ऋषिने इससे भोग किया और उससे व्वासजी उत्पन्न हुए जो ‘कानीन’ कहलाते हैं । यद्दको यह भीष्मके पिता राजा शुभनन् से व्याही गई और इस विवाह में ‘विविश्रवीर्य’ नामका पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे राजगद्वी मिली और जिसका विवाह राजा काशीराज की पुत्रियों से हुआ । विविश्रवीर्यके मरने पर उसकी विवेषा लियों से व्यासजी ने, अपनी माता सश्यवती की अनुमतिसे, भोग किया और पाएँड तथा धूतराष्ट्र नामके पुत्र पैदा किये, जिनसे पाएँडवों आदिकी उत्पत्ति हुई ।

इस तरह पर हिन्दू शास्त्रोंमें हीन जातिकी अथवा शूद्रा लियोंसे विवाहके कितने ही उदाहरण पाये जाते हैं और उनकी संतति से अच्छे अच्छे पुरुषों तथा वंशोंका उद्भव होना भी

माना गया है। और जैन शास्त्रोंसे म्लेच्छ, भील तथा वैश्या पुत्रियों जैसे हीन जातिके विवाहोंके उदाहरण 'म्लेच्छ विवाह' आदि प्रकरणों में दिये ही जा चुके हैं। और इन सब उद्देशों से प्राचीन कालमें अनुलोम रूपसे असर्वर्ण विवाहोंका होना स्पष्ट पाया जाता है।

अब प्रनिलोम विवाहको भी लीजिये। धर्म संग्रह आवकाशारके हृवें अधिकार में लिखा है :—

**परस्परं त्रिवर्णानां विवाहः पंक्तिभोजनम् ।**

**कर्तव्यं न च शूद्रैस्तु शूद्राणां शूद्रकैः सह ॥२५६॥**

अर्थात्—प्रथम तीन वर्ण वालों (ब्राह्मण,-क्षत्रिय-वैश्यों) को आपसमें एक दूसरेके साथ विवाह और पक्ति भोजन करना चाहिये किन्तु शूद्रोंके साथ नहीं करना चाहिये। शूद्रोंका विवाह और पक्ति-भोजन शूद्रोंके साथ होना चाहिये।

इस वाक्यके द्वारा यद्यपि, श्रीजिनसेनाचार्यके उक्त कथन से भिन्न प्रथम तीन वर्णोंके लिये शूद्रोंसे विवाहका निषेध किया गया है और उसे मत विशेष कह सकते हैं, जो बहुत पीछेका मत है + —हिन्दुओंके यहाँ भी इस प्रकारका मत विशेष पाया जाता है\*—एरन्तु यह स्पष्ट है कि इसमें प्रथम तीन वर्णोंके लिये परस्पर रोटीका खास तौर पर विधान किया गया

+ क्योंकि 'धर्मसंग्रह आवकाशार' विं स० १५४१ में बन कर समाप्त हुआ है और इसलिये वह जिनसेनके हरिवशपुराण से ७०१ वर्ष बादका बना हुआ है।

\*अत्रि आदि ऋषियोंके इस मत विशेषका उल्लेख मनुस्मृति के निम्न वाक्य में भी पाया जाता है :—

**शूद्रावेदी पतत्यच्चेऽत्यतन्यस्य च ।**

**शीनकस्य सुतांत्पत्या तदपत्यतया भृगोः ॥३-१६॥**

है। और इससे अनुलोम विवाहके साथ साथ प्रतिलोम विवाह का भी जासा विधान पाया जाता है। अर्थात्, क्षत्रियके लिये ब्राह्मणकी और वैश्यके लिये क्षत्रिय तथा ब्राह्मण दोनोंकी कन्याओंसे विवाहका करना उचित ठहराया गया है। जैन-कथा प्रत्योंसे भी प्रतिलोम विवाहका बहुत कुछ पता चलता है, जिसके दो एक उदाहरण नीचे दिये जाने हैं :—

( १ ) वसुदेवजीने, जो स्वयं क्षत्रिय थे, विश्वदेव ब्राह्मण की क्षत्रिय खीमे उपन्न 'सोम श्री' नामकी कन्यासे—उसे ब्रेदविद्यामें जीतकर—विवाह किया था। जैसाकि श्रीजिनसेनाचार्य कृत हरिवशपुराण ( २३ वें सर्ग ) के निम्न वाक्यों से प्रकट है :—

अन्वये तत्तु जातेयं क्षत्रियार्थं सुकन्यका ।

सोमश्रीरिति विख्याता विश्वदेवद्विजनिमनः ॥४६॥

करालब्रह्मदत्तेन मुनिना दिव्यचक्षुपा ।

बेदेजेतुः समादिष्टा महतः सहचारिणी ॥५०॥

इति श्रुत्वा तदाधीत्य सर्वान्वेदान्यदत्तमः ।

जित्वा सोमश्रियं श्रीमानुपयेये विपानतः ॥५१॥

इन वाक्योंसे अनुलोम और प्रतिलोम दोनों प्रकारके विवाहोंका उल्लेख मिलता है।

( २ ) श्रीकृष्ण ने अपने भाई गजकुमारका विवाह, क्षत्रिय राजाओंकी कन्याओंके अतिरिक्त, सोम शर्मा ब्राह्मणकी पुत्री 'सोमा' से भी किया था, जिसका उल्लेख जिनसेनाचार्य और जिनदास ब्रह्मचारी दोनोंके हरिवश पुराणोंमें पाया जाता है। यहाँ जिनदास ग्र० के हरिवशपुराणसे एक पथ नीचे दिया जाता है—

मनोहरतरां कन्यां सोमशर्माग्रजन्मनः ।

सोमाख्यां वृत्तवाशक्री तत्रियाणां तथापराः ॥३४-२६॥

( ३ ) उज्जयिनीके वैश्य पुत्र 'धन्यकुमार' का विवाह राजा श्रेणिकी पुत्री 'गुणवती' के साथ हुआ था । अपनी कुल पूजा जाने पर इन्होंने राजा श्रेणिक से साफ़ कह दिया था कि मैं उज्जयिनीका रहने वाला एक वैश्यपुत्र हूँ और तीर्थयात्रा के लिये निरुला हुआ हूँ । इस पर श्रेणिक न 'गुणवती' आदि १६ कन्याओंके साथ इनेका विवाह किया था । जैसाकि रामचन्द्र-मुमुक्षुकत 'पुण्याञ्चन' कथाकोशसे प्रकट है :—

“ राजा (श्रेणिकः) भयकुमारादिभिरद्वप्यमाययौ ।  
राजभवनं प्रवेश्यकि कुलोभवानिति प्रच्छ ॥  
कुपारो ब्रूत उज्जयिन्यावैश्यात्प्रजोतीर्थयात्रिकः ।  
ततो नृपो गुणवत्यादिभिः षोडशकन्याभिस्तस्य  
विवाहं चकार ॥”

इसी पुण्याञ्चन कथाकोशमें 'भविष्यदत्त' नामके एक वैश्य पुत्रकी भी कथा है, जिसने हरिपुरके अरिजय राजाकी पुत्री 'भविष्यानुरूपा' से और हस्तिनापुरके राजा भूपालकी कन्या 'स्वरूपा' से विवाह किया था और जिसके उल्लेखोंको विस्तार भयसे यहाँ छोड़ा जाता है ।

( ४ ) इसी तरह पर हिन्दू धर्मके प्रन्थोंमें भी प्रतिलोम विवाहके उदाहरण पाये जाते हैं जिसका एक नमूना 'यथाति' राजाका उशना ब्राह्मण (शुकाचार्य) की 'देवयानी' कन्या से विवाह है । यथा :—

तेषां यथातिः पंचानां विजित्य बसुधायिमां ।

देवयानीमुशनसः सुना भार्यामवाप सः ॥

—महाभा० हरि० अ० ३० वाँ ।

इसी विवाहसे 'यद्' प्रका० होता भी माना गया है, जिससे यदुवंश चला।

इन सब उल्लेखोंसे स्पष्ट है कि प्राचीन कालमें आनुलोम वृष्टिसे ही नहीं किन्तु प्रतिलोम रूपमें भी अमवर्ण विवाह होने थे। जाय भागके ग्रंथोंसे भी अमवर्ण विवाहकी रितिका बहुत कुछ पता चलता है—उनमें ऐसे विवाहोंसे उत्पन्न होने वाली संतनिके लिये विरासतके नियम दिये हैं, जिनके उल्लेखोंको भी यहाँ विस्तार भयसे छोड़ा जाता है। अम्तु, वर्णकी 'जाति' सहा होने से अमवर्ण विवाहोंका अन्तर्जातीय विवाह भी कहते हैं। जाय भारत की इन चार प्रधान जातियोंमें अन्तर्जातीय विवाह भी होते थे तब इन जातियों से बनी हुई अग्रवाल, खड़ेलवाल, पहलीवाल, झोमवाल, और परवार आदि उपजातियोंमें, समान वर्ण तथा धर्मके हात हुए भी, परस्पर विवाह न होता क्या अर्थ रखता है और उसके होने में कौन सा सिद्धान्त वाधक है यह कुछ समझमें नहीं आता। जान पड़ता है यह सब आपसकी खीचातानी और परस्परके ईर्षा द्वेषादि का ही परिणाम है—धार्मविक हानि-लाभ अथवा किसी धार्मिक सिद्धान्तसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। वर्णोंकी हष्टि को छोड़कर यहि उपजातियोंकी हष्टिको ही लिया जाय तो उससे भी यह नहीं कहा जा सकता कि पहले उपजातियोंमें विवाह नहीं होता था। आर्य जातिकी अपेक्षा भलेच्छ जाति मिन्न है और भलेच्छोंमें भी मील, शुक, यवन, शवरादिक कितनी ही जातियाँ हैं। जब आयोंका भलेच्छों अथवा भीलादिकोंसे विवाह होता था तो वह भी अन्तर्जातीय विवाह था और बहुत

बहु अन्तर्जातीय विवाह था । उसके मुकाबले में तो यह आयों आयोंकी जातियों अवधा उपजानियोंके अन्तर्जातीय विवाह कुछ भी गणना में गिरे जानेके योग्य नहीं हैं । इसके निषाय, पहले भूमिगोचरियोंके साथ विद्याधरोंके विवाह सम्बन्धका आम दस्तूर था, और उनकी कितनी ही जातियोंका वर्णन शास्त्रोंमें पाया जाता है । वसुदेवजी ने भी अनेक विद्याधर कन्याओंसे विवाह किया था, जिनमें एक 'मदनवेगा' भी थी और वह श्रीजिनसेनाचार्यके कथनानुसार गौरिक जाति के विद्याधर की कन्या थी । वसुदेवजी स्वयं गौरिक जानिके नदी थे और इसलिये गौरिक जानिकी विद्याधर-कन्यासे विवाह करके उन्होंने उपजानियोंकी हटियाँ भी, स्पष्ट रूपसे अन्तर्जातीय विवाह किया था, इसमें सदैह नहीं है, आबूके तेजपाल वस्तुपाल वाले जैन मदिरमें एक शिलालेख संघत १२६७ का लिखा हुआ है, जिससे मालूम हाता है कि प्राच्वाट (पोरवाड) जातिके तेजपाल जैनका विवाह 'मोढ़' जातिकी सुहडा देवीसे हुआ था । इस लेखका एक अंश, जो जैनमित्र (ना० २३ अप्रैल सन् १९३५) में प्रकाशित हुआ, इस प्रकार है :—

“ऊँ संघत १२६७ वर्षे वैशाख सुदी १४ गुरु प्राच्वाट ज्ञानोन चड प्रचड प्रसादमह श्री सोमान्वयेमहं श्री असराज सुत महं श्रीतेज़-पालेन श्रोमत्पत्तन वास्तव्य मोढ़, जातीय ठ० जालहण सुन ठ० आससुनायाः ठकाँ जी संतोषा कुक्षिसंभूतायाः महंश्री तेज़-पाल द्वितीय भार्या महंश्री सुहडा देवया श्रेयार्थ...”

यह, आधुनिक उपजानियोंमें, आजसे करीब ५०० वर्ष पहले के अन्तर्जातीय विवाहका एक नमूना है और तेजपाल नामके एक बड़े ही प्रतिष्ठित तथा धर्मात्मा घुरुष ह्वारा प्रस्तुत किया गया है । इसी तरहके और भी किनने ही नमूने खोज करने पर मिल सकते हैं । कुछ उपजानियोंमें तो अब भी अन्तर्जातीय

विवाह होता रहता है।

ऐसी हालत में इन अप्रवाल, खड़ेलवाल आदि जातियोंमें परस्पर विवाह न होनेके लिये सिद्धान्तकी उप्टिसे, क्या कोई बुक्षियुक्त कारण प्रतीत होता है, इसका पाठक स्वयं अनुभव कर सकते हैं। साध ही, यह भी जान सकते हैं कि दो जातियों में परस्पर विवाहसम्बंध होनेसे उन जातियोंका सोप होना आथवा जाति पाँतिका मेटाजाना कैसे बन सकता है क्या दो भिज्ञ गोशोंमें परस्पर विवाहसम्बंध होनेसे वे मिटजाते हैं या उनका सोप होजाता है ? यदि ऐसा कछु नहीं होता तो फिर दो जातियों में परस्पर विवाहके होनेसे उनके नाशकी आशंका कैसे कीजासकी है ? अतः इस प्रकारकी चिन्ता अर्थ है। जहाँ तक हम समझते हैं एकही धर्म और आचारके मानने तथा पालनेवाली प्रायः इन सभी उपजातियोंमें परस्पर विवाहके होनेसे कोई हानि मालूम नहीं होती। प्रत्यन्त इसके, विवाह-क्षेत्रके विस्तीर्ण होनेसे योग्य सम्बन्धोंके लिये मार्ग खुलता है पारस्परिक प्रेम बढ़ता है, योग्यताके बढ़ानेकी ओर प्रवृत्ति होती है और मृत्युशुद्धया पर पट्टी दूरी कितनीही अल्पमत्यक जातियोंकी प्राणरक्षा भी होती है बास्तवमें ये सब जानियाँ परिकल्पित और परिवर्तनशील हैं—एक अवस्थामें न कभी रही और न रहेगी—इनमें गो आशवादि जातियों जैसा परस्पर कोई भेद नहीं है और इस लिये अपनी जातिका अहकार करना आथवा उसे भेष्ट तथा दूसरी जातिको अपने से हीन मानना मिथ्या है। पं० आशाधरजीने भी, अपने अनगार धर्मामृत प्रथ और उसकी स्वोपक्ष टीकामें, कुल जाति विषयक ऐसी अहकृतिकां मिथ्या ठहराया है और उसे आत्म-पतनका हेतु तथा नीच गोशके बन्धका कारण बतलाया है। साधही, अपने इस मिथ्या ठहरानेका यह हेतु देते हुए कि ‘बरमार्थसे जाति-कुलकी शुद्धिकर कोई निश्चय नहीं बन सकता’—

यह नहीं कहा जा सकता कि अमुक आति अथवा कुलकी  
रक्त-शुद्धि, जिना किसी मिलावटके, अनुग्रह जली आती है—  
उसकी पुस्टिमें नीचे लिखा वाक्य उद्घृत किया है :—

अनादाविह संसारे दुर्वारे मकरध्वजे ।

कुले च कामिनीमूले का जातिपरिकल्पना ॥

और इस वाक्यके द्वारा यह सूचित किया है कि 'जब  
जंसार में अनादि कालसे कामदेव दुर्निवार जला आता है  
और कुलका मूल भी कामिनी है, तब किसी 'जाति कल्पना' को  
क्या महत्व दिया जा सकता है और उसके आधार पर किसी  
को क्या मद करना चाहिये ? अतः जाति-विवाहक मद त्याज्य  
है । उसके कारण कमसे कम सधर्मियों अथवा समान आचार  
को पालने वाली इन उपजातियोंमें पारस्परिक (अन्तर्जातीय)  
सहविवाहोंके लिये कोई रुकावट न होनी चाहिये । अस्तु ।

## उपसंहार और निवेदन ।

इस सब कथन और विवेचनसे, मैं समझता हूँ, पाठकों  
पर समालोचनाकी सारी असलियत छुल जायगी, उसकी  
निःसारता हस्तामलकघत् होजायगी और उन्हें सहज ही में वह  
मालूम पड़ जायगा कि प्राचीन कालमें विवाहका क्षेत्र कितना  
अधिक विस्तौर्ण था और वह आजकल कितना संकीर्ण बना  
दिया गया है । साथही, इस प्रकाश-द्वारा विवाह-क्षेत्रका अना-  
न्यकार दूर होने से वे अपने विवाह-क्षेत्रके गढ़ों, अंदरकों,  
जातियों और कल्पकों आदिका अच्छा अनुभव भी प्राप्त कर  
सकेंगे—उन्हें यह मालूम हो सकेगा कि वे गढ़े आदि रहाँ

तक वास्तविक, कुत्रिम आशंका फैलानिक हैं और उनमें से किस किसमें, किस हद तक, क्या सुधार बन सकता है—और अपने इस अनुभवके कहले वे मिथ्या विभीषिकाओंको दूर करने, विवाह-क्षेत्रकी शुटियोंको सुधारने, रीनि-रिवाजोंमें वयोचित फेरफार करने और इस तरह पर विवाह-क्षेत्रको प्रशस्त तथा विस्तीर्ण बनाकर उसके द्वारा अपनी और अपने धर्म तथा समाजकी रक्षाका समुचित प्रबन्ध करनेके लिये बहुत कुछ समर्थ हो सकेंगे। इसा सदुदेश्यको लेकर यह इतना परिव्रम्म किया गया है।

यहाँ पर पाठकोंको यह जानकर बड़ा कौतुक होगा कि इसी मिथ्या, निःसार, बेतुकी और येहदी समालोचनाके भरोसे पर १०० महवूबलिहजी मालिक फर्म 'हुकमचद जगाधरमल' और सरांफ, चांदनी चौक देहली, ने 'शिल्पाप्रद शास्त्रीय उद्योगशण' के लेखक, प्रकाशक और प्रकाशकके सहायक लाठू पञ्चालजीको शास्त्रार्थका चैलेज दिया था, जो समालोचना-पुस्तक के अन्तिम टाइटिल पेज पर अकित है और जिसमें इन लोगोंसे कहा गया है कि—

“यदि उन्हें अपनी लिखो व प्रकाशित की हुई उपर्युक्त पुस्तक की सत्यता पर कुछ भी विश्वास है तो वे अपने सपक्षके लोगोंको साथ लेकर खुले मैदानमें शास्त्रार्थ करले जिससे उनके हृदयमें लगेहुए मिथ्या और पतित भाव सदा के लिये छूट जाय।”

मुझे इस चैलेजको देखकर बड़ी हँसी आई। सायही, चैलेजदाताके शास्त्राधान और उनके इस छुखोरपन पर खेद भी हुआ। मालूम होता है पटितजीने इस विषय पर कोई गहरा विचार नहीं किया, वे एक भोजे भासे सज्जन आदमी हैं, अपने

इस भोलेपनकी बजाह से ही वे समालोचक तथा समालोचक जीके सहायक एक दूसरे विद्वानके कुछ कहने सुननेमें आगये हैं और इस तरह पर व्यर्थ ही बीचमें एक हथियार बना लिये गये हैं। अन्यथा, उनमें शास्त्रार्थकी कोई स्पिरिट—चेतना, चुनि अथवा उत्साहपरिणाम—नहीं पाई गई। समालोचनाके प्रकाशित होनेके बाद संभौं दो बार देहली गया हूँ और वहाँ लगातार २२ तथा २० दिनके करीब ठहरा हूँ; प० महबूबसिंहजी कितनी ही बार यड़े प्रेमके साथ मुझसे मिले परन्तु उन्होंने कभी शास्त्रार्थको कोई इच्छा प्रकट नहीं की और न 'शिक्षाप्रद शास्त्रार्थ उदाहरण' या उसकी समालोचनाके विषयमें कोई चर्चा ही की। इससे पाठक सहज ही में उनकी मनःपरिणामिका अच्छा अनुमान कर सकते हैं और यह जान सकते हैं कि चैलेजमें उनका नाम देकर उनके भालेपनका कितना दुरुपयोग किया गया है। अस्तु; समालोचनाके प्रकाशित होनेके बाद जबतक मेरा देहली जाना नहीं हुआ तब तक मुझे कुछ सज्जनोंकी ओरसे यौवनमाचार मिलते रहे कि शास्त्रार्थक लिये बहुत कोलाहल मचाया जा रहा है और यहभी कहा जाता है कि यदि शास्त्रार्थ नहीं कराने तो कोर्टमें नालिश करदी जायगी। इसके उत्तर में मैंने उन्हें यही सूचित कर दिया कि मैं आजकलके शास्त्रार्थोंको यसद नहीं करता, उनमें बस्तुत्वका निर्णय करना कोई इष्ट नहीं होता किन्तु जय पराजयके ओर ही इष्ट रहती है और हर एक पक्षका व्यक्ति किसी न किसी तरह हुल्लड़ मचाकर अपने पक्षका जयदोष करना चाहता है; नतीज़ा जिसका यह होता है कि बहुतसे लागोंमें परस्पर बैमनस्य छढ़ जाता है और लाभ कुछ भी होने नहीं पाता। अत. मैं नमालोचनाका विस्तृत उत्तर लिखन्या जिससे सबका लाभ पहुँचेगा। उन्हें यदि कोई मैं आनेकाँ शौक हैं तो वे खुशी से झाँयें, मैं उनके इस कृत्यका

सेहके साथ अभिनवन करेंगा और तब समालोचनाका कोई उत्तर न लिखकर कोर्टमें ही आपना सब उत्तर देलेंगा । परन्तु मेरे देहली पट्टूचले पर कहींसे भी शास्त्रार्थका कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ा । प्रत्युत इसके, प्रकाशुकजी ने समालोचकजीको आश्रह-पूर्वक इस बातकी प्रेरणा की कि वे अपनी समालोचना को प्रकाशित करनेमें अद्यायक लाठोहनलाल तिलोकचंदजीकी कोडी में ही आजाये और वहाँ पर लाठ न धन्धनलालजी आदि कुछ विचारबानोंके सामने लेखकसे प्रकृत पुस्तक के विषयमें अपनी शुंकाओं तथा आपसियोंका समाधान कर लेवें । परन्तु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, अपना अपमान हो जानेकी संभावना प्रकट की और फिर वे देहलीसे ही बाहर चले गये । इससे पाठक समझ सकते हैं कि शास्त्रार्थके चैलेजका कोई सदुइद्य नहीं था, वह इर्यार्थका हुलनड़ मचाकर सत्य पर पर्दा ढालनेका पेशाव्रेमा था, हाँगमात्र था अर्थात् उसे छुड़ारपत कहना चाहिये । किसी भी समझदारने उसे पसंद नहीं किया । अम्बु ।

अब समालोचनाका यह विस्तृत उत्तर पाठकोंके सामने उपस्थित है । आशा है कि सभी सहृदय विद्वानोंको इससे सतोष होगा; इसे पढ़कर समालोचकजी और उनके सहायक भी—यदि उनकी विचारवृत्ति शख्त तथा पक्षपातरहित होगी तो—अपनी भलका मालूम करेंग—उन्हें अपनी कृति पर पश्चात्ताप होगा—और दूसरे वे लाग भी अपने भ्रमका संशोधन कर सकेंगे जिन्हें समालोचना पर से लेखक और लेखककी पुस्तकके विषयमें कुछ अन्यथा धारणा हो गई है । बाकी, जिन सांगोने कलुषाशुयक वशेषती अर्थवा कवायभावसे अभिभूत होकर, लेखकके प्रति एकांगी छोप रखनेके कारण, समालोचना को मिथ्या जानने हुए भी उसका आश्रय लेकर और उसे सत्य प्रतिपादन करते हुए, लेखक पर झड़े कदाच लिये हैं उसके

ध्यक्तिवके प्रतिभी अपने पश्चोंमें आपशब्दोंका प्रयोग किया है और इस तरह पर आपना जहर उगला है, उनमें व्याय अथवा सद्विचार की काई आशा नहीं की जा सकती । ऐसे विद्वानोंके विषयमें मेरी यही भावना है कि उन्हें किनी तरह पर अन्त शुद्धिके द्वारा सद्बुद्धिकी प्राप्ति हो और वे मेरे सदुदेश्य तथा सदाशयको समझनेमें समर्थ हानक ।

अन्तमें, मैं इतना और निगेदन कर देना। उचित समझता हूँ कि मेरा विचार पहले से विवाद-क्षत्र प्रकाश नामकीएक स्वतत्र पुस्तक लिखने को था, समाजाचनाके उत्तरमें पढ़कर मुझे उसको बहुमान रूप देना पड़ा है और इससे उसका आकार भी दुगुनेके करीब बढ़ गया है । यदि समाज ने इसे अपनाया और इसक प्रचारकी अक्षरतको महसूस किया तो दूसरे सस्करणके अवसर पर इसका प्रणालीका बदल कर तथा इसका उत्तरात्मक भाग छालग करके इसे एक स्वतत्र पुस्तक का रूप द दिया जायगा और किनी ही उपयागी बातें और भी इसमें बढ़ादी जायेंगी । इत्यलम् ।

जुगलकिशोर मुख्तार ।



## परिशिष्ट ।

( १ )

मलधारि देवप्रभस्त्रिने, अपने पाण्डवपुराणमें, देवकीके पिता का नाम 'देवक' दिया है और उसे कंसका चचा (पितृव्य पिता का भाई) सूचित किया है। माथ ही लिखा है कि 'कन्नने अपने चचा देवकी सुन्दर रूपवती पुत्री देवकीका विवाह उसके अनुरूप बर वसुदेवके साथ कर दिया था।' यथा:—

पुत्री निजपितृव्यस्य देवकस्य स देवकीम् ।

सुरूपामनुरूपेण शौरिणा पर्यणाययत् ॥२-१६२॥

इससे भी स्पष्ट है कि देवको कसके मामाकी लड़की नहीं थी और न वह कुरुवश्म में ही उत्पत्ति हुई थी; बल्कि यदुवशी राजा उग्रसेनके संग भाई देवक (देवसेन) की पुत्री थी और इस लिये वह कुटुम्बके नाने वसुदेवको भतीजी हुई।

( २ )

इस पुस्तकके ८८ थं पृष्ठ पर यह बतलाया गया है कि हिन्दुओंके यहाँ भी देवकीके पिता देवकको कसके पिता उग्रसेनका संग माना गया है परन्तु एक बात प्रकट करने से रह गई थी और वह यह है कि इन लोगोंको यदुवशी भी माना है—आथान्, जिस तरह वसुदेवजी यदुवशी थे उसी तरह देवकीके पिता देवक भी यदुवशी थे; दोनोंही का जन्म यदुके पुत्र कोष्टु या कोष्टाकी सततिमें माना गया है, जिसके बाह्यका विस्तृत वर्णन महाभारतीय हिंदूशपुराणको देखने से मालूम हो सकता है; और इससे स्पष्ट है कि प्राचीन कालमें हिन्दुओंके यहाँ भी समोन-विवाह होता था। श्रीकृष्णकी सत्य-

भामादिक कुछ लियाँ भी, उनके मतसे, कृष्णको तरह कोष्ठुके वशमें ही उत्पन्न हुई थी, जैसाकि उक्त हरिवशपुराणकटीका कार नीलकण्ठजी, ३६ वर्ष अव्यायकी टीकाका प्रारंभ करते हुए और उसके काष्टारेवाभवत्पुत्रो” इत्यादि पद्म पर टिप्पणी देत हुए, लिखते हैं —

“षट्त्रिशो वर्ण्यते वंशः क्रोष्टोर्यदुसुतस्य च ।  
यत्र जाता महालक्ष्मी लक्ष्मणी शक्तिरीश्वरी ॥१॥  
क्रोष्टोरेवेति । यथा कृष्णः क्रोष्टुवशेजात एवं सत्य-  
भामादयोऽपि तत्रैव जाता इति वक्तुमेवकार ।”





बोर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

२८०.५९

काल न०

लेखक उरम्हासु, जुगलकिशोर +

शीर्षक विष्णु देत्र प्रबलाशा +

खण्ड

कम संख्या

११२